रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 15, 1983/आश्विन 23, 1905

No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 15, 1983/ASVINA 23, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1982

आयकर

फा०आ० 3897 .— सर्वसाधारण को जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने निम्नलिखित संस्था को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया है।

संस्था

वनस्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आयलसीड्स रिसर्च एण्ड डिवेलपमेंट इन्स्टीट्यूट, बम्बई।

यह अधिसूचना 1-12-1981 से 31-12-1983 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 4785(फा०सं० 203/19/80-आ०क०नि०-II]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 7th July, 1982

INCOME-TAX

S.O. 3897.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Agricultural Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

INSTITUTION

Vanaspati Manufacturers Association Oilseeds Research and Development Institute, Bombay.

This notification is effective for a period of two years from 1-12-1981 to 31-12-1983.

[No. 4785 (F. No. 203|19|80-ITA. II]

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1983

आयकर

का०आ० 3898 —इस कार्यालय की दिनांक 26-5-80 की अधिसूचना सं० 3407 (फा०सं० 203/97/80-आ०का० नि०-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में ("संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात :—

1. यह कि उषा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

2. यह कि उक्त संस्थान आपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसम्पत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक, प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

उषा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता।

यह अधिसूचना 1-4-1983 से 31-3-1984 तक एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 5395/फा०सं० 203/18/83-आ०का०नि०-II]

New Delhi, the 17th September, 1983

INCOME-TAX

S.O. 3898.—In continuation of this Office Notification No. 3407(F. No. 203/97/80-ITA.II) dated 26-5-80, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science and Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income tax Rules, 1962 under the category "Association" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions :—

(i) That the Usha Scientific Research Institute, Calcutta will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets, liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

Usha Scientific Research Institute, Calcutta.

This notification is effective for a period of one year from 1-4-1983 to 31-3-1984.

[No. 5395 F. No. 203|18|83-ITA.II]

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1983

आयकर

का०आ० 3899.— सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात :—

1. यह कि नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

2. यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अपैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली।

यह अधिसूचना 1-9-1983 से 31-8-1986 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 5412/फा०सं० 203/35/83-आ०क०नि०-II]

एम०जी०सी० गोयल, अवर सचिव

New Delhi, the 28th September, 1983

INCOME-TAX

S.O. 3899.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions :—

(i) That the Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of the e documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi.

This Notification is effective for a period of three years from 1-9-1983 to 31-8-1986.

[No. 5412|F. No. 203|35|83-ITA.II]
M.G.C. GOYAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1983

आयकर

का०आ० 3900.— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "मराठा मन्दिर" को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ कर निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 के अंतर्गत आने वाले अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 5350/फा०स०/97/53/82-आ०का०नि०-I]

New Delhi, the 30th July, 1983

INCOME-TAX

S.O. 3900.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Maratha Mandir" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1984-85.

[No. 5350|F. No. 197|53|82-ITA-I]

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1983

आयकर

का०आ० 3901.— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "रामकृष्ण मिशन" की उक्त धारा के प्रयोजनार्थ कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1990-91 तक के अंतर्गत, आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5365/फा०स० 197-क/1/15-क/82-आ०का०नि०-1]

New Delhi, the 20th August, 1983

INCOME-TAX

S.O. 3901.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "-Ramakrishna Mission" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment year 1985-86 to 1990-91.

[No. 5365|F. No. 197-A|115-A|82-ITA-I]

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1983

आयकर

का०आ० 3902.— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ "जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1989-90 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5373/फा०सं० 197-क/157/82-आ०का०नि०-1]

New Delhi, the 29th August, 1983

INCOME-TAX

S.O. 3902.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Jawaharlal Nehru Memorial Fund" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1989-90.

[No. 5373|F. No. 197-A|157|82-ITA-I]

आयकर

का०आ० 3903.— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ "बैंडल्स आफ पानीपत मैमोरियल सोसायटी" को कर-निर्धारण वर्ष 1982-83से 1984-85 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5375/फ०सं० 197/106/82-आ०क०नि०-1]

INCOME-TAX

S.O. 3903.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby

notifies "Battles of Panipat Memorial Society" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1984-85.

[No. 5375|F. No. 197|106|82-ITA-I]

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1983

आयकर

का०आ० 3904.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा "विकलांग कल्याणार्थ संस्था कोजीकोड" को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ कर निर्धारण वर्ष 1981-82 से 1983-84 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5403फा/०सं० 197/117/83-आ०का०नि०-1]

New Delhi, the 19th September, 1983

INCOME-TAX

S.O. 3904.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Association for Welfare of the Handicapped, Kozhikode" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years, 1981-82 to 1983-84.

[No. 5403|F. No. 197|117|82-ITA-I]

आयकर

का० आ० 3905.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, "कर्नाटक राज्य भूतपूर्व पुलिस अधिकारी कल्याण निधि" को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ कर निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1985-86 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए, अधिसूचित करती है।

[सं० 5404/फा०सं० 197/153/81-आ०का०नि०-1]

INCOME-TAX

S.O. 3905.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Karnataka State Ex-Police Officers Welfare Fund" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1983-84 to 1985-86.

[No. 5404 (F. No. 197/153/81-ITA-I)]

आयकर

का०आ० 3906.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खंड (is) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, "श्री आद्य जगदगुरू शंकराचार्य श्री महासंस्थान गोकरन न्यास" को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ कर निर्धारण वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि हेतु, अधिसूचित करती है।

[सं० 5405/फा०सं० 197/168/81-आ०क०नि०-I]

INCOME-TAX

S.O. 3906.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sree Adya Jagadguru Shankaracharya Shree Mahasamatheha, Gokarana Trust" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1980-81 to 1983-84.

[No. 5404 (F. No. 197|168|ITA-I]

आय-कर

का०आ० 3907.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुएकेन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, "दी कैंसर फाउण्डेशन, दिल्ली" को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ कर-निर्धारण वर्ष 1981-82 से 1984-85 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5406/फा०सं० 197/160/81-आ०का०नि०-I)]

वी०बी० श्रीनिवासन, निदेशक

INCOME-TAX

S.O. 3907.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tex Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Cancer Foundation, Delhi" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1981-82 to 1984-85.

[No. 5406 (F. No. 197/160/81-ITA-I)]

V. B. SRINIVASAN, Director

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली 15 अक्तूबर 1983

सं० 287/83-सीमाशुल्क

का० आ० 3908 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक राज्य के गुलबर्ग जिला में शाहबाद को भाण्डागार स्टेशन के रुप में घोषित करता है।

[फा० सं० 473/70/83-सीमाशुल्क-7]

आनन्द छाबड़ा, सचिव

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

New Delhi, the 15th October, 1983

No. 287/83-CUSTOMS

S.O. 3908.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares Shahabad in Gulbarga District in the State of Karnataka to be a warehousing station.

[No. 473/70/83-CUS. VII]

A. K. CHHABRA, Secy.
Central Board of Excise and Customs.

भारतीय रिजर्व बैंक

ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग

अधिसूचना

बंबई, 15 जुलाई, 1983

का०आ० 3909.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का II) की धारा 58 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ण) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रिजर्व बैंक को अनुसूचित राज्य सहकारी बकों द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली साप्ताहिक विवरणियों के वर्तमान प्रोफार्मा में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिजव बक का केन्द्रीय बोर्ड केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंक विनियमावली, 1951 के साथ संलग्न फार्म "बी" में निम्नलिखित संशोधन करता है।

(i) पृष्ठ 1 पर II (ख) में "कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम" के स्थान पर शब्द "राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" शब्द रखे जायेंगे।

(ii) पृष्ठ 3 पर मद "1(vi)–17 (4कक)" हटा दिया जायेगा और मद (1) के अंत में आनेवाले शब्द "जोड़" के स्थान पर शब्द "मद (1) का जोड़" शब्द रखे जायेंगे

(iii) पृष्ठ 3 पर मद 2(i) के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा :

2(i) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बक अधिनियम, 1981 के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंक-खंड:

		रु०	रु०
(क)	21		
(ख)	22		
(ग)	23		
(घ)	24		
(ङ)	25		

(iv) वर्तमान मद संख्या 2(i) से 2(iii) तक को मद संख्या (ii) से 2(iv) तक के रूप में पुन: क्रम संख्या दी जाय।

(v) वर्तमान मद 2 (iv) हटा दी जाय।

(vi) पृष्ठ 3 पर मद (2) के अंत में आनेवाले शब्द "जोड़" के स्थान पर "मद (2) का जोड़" शब्द रख जायें।

[सं० आर पी सी डी सी आर आर बी 347/जी 83-4]

टि० ना० अनन्तराम अय्यर, कार्यकारी निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

RURAL PLANNING AND CREDIT DEPARTMENT

Bombay, the 15th July, 1983

S.O. 3909.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) and Clause (c) of Sub-Section (2) of Section 58 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (II of 1934) and in partial modification of the existing proforma for weekly returns, submitted by the Scheduled State Co-operative Banks to Reserve Bank, the Central Board of the Reserve Bank of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following modifications in Form 'B' appended to the Reserve Bank of India Scheduled Banks Regulations, 1951.

(i) At page 1, in item II(b) for "Agricultural Refinance and Development Corporation' the words "National Bank for Agriculture and Rural Development" shall be substituted.

(ii) At page 3, item "1(vi)—17(4AA)" shall be deleted and the word "Total" appearing at the end of item (i) may be substituted by the words "Total of item 1)".

(iii) At page 3 as item 2(i), the following may be inserted : "2(i) National Bank under the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981—Section :

		Rs.	Rs.
(a)	21	.....	
(b)	22	.....	
(c)	23	.....	
(d)	24	.....	
(e)	25	.....	.....

(iv) The existing items 2(i) to 2(iii) may be renumbered as items 2(ii) to 2(iv).

(v) The existing item 2(iv) may be deleted.

(vi) At page 3, the word "Total" appearing at the end of item (2) may be substituted by the words "Total of item (2)".

[RPCD. NO. CRRB. 347/G. 83-4]

T. N. ANANTHARAM IYER, Executive Director

समाहर्तालय केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मध्य प्रदेश

अधिसूचना सं० 9/83

इन्दौर, 29 सितम्बर, 1983

का०आ० 3910.—प्रशासनिक अधिकारी लेखा परीक्षक/स०प्र० लेखा अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, समूह 'ख' के रूप में तदर्थ पदोन्नति के फलस्वरूप श्री के० एम० वाधमारे, कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ने दिनांक 14-9-83 के पूर्वाह्न से प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह 'ख', रतलाम के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

[प० सं० II(3) 10-गोप/83/5359]

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE,
MADHYA PRADESH

NOTIFICATION NO. 9/83

Indore, the 29th September, 1983

S.O. 3910.—Consequent upon his ad hoc promotion as admn. Officer/Examiner of Accounts/Asstt. Chief Accounts Officer, Central Excise, Group 'B' Shri K.M. Waghmare, Office

Superintendent, Central Excise has assumed charge as administrative Officer, Central Excise Divisional Office, Ratlam on 14th September, 1983 (F.N.).

[C. No. II (3) 10-Con/83/5359]

अधिसूचना सं० 10/83

का०आ० 3911.—मध्य प्रदेश समाहर्तालय, इन्दौर के श्री ए० आर० खान, प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, समूह 'ख निवर्तन की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31-8-1983 के अपरान्ह से शासकीय सेवा से निवृत्त हुए।

[प० सं० II(3) 10-गोप 83/5387]
एस० के० धर, समाहर्ता

NOTIFICATION NO. 10/83

S.O. 3911.—Shri A. R. Khan, Administrative Officer, Central Excise, Group 'B' of M.P. Collectorate, Indore, having attained the age of, superannuation retired from Government service in the after-noon of 31st August, 1983.

[C. No. II(3) 10-Con/83/5387]
S. K. DHAR, Collector

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1983

का०आ० 3912—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों की प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की परिषद से परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है कि दियासलाई के निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिय नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद को भेज दिया गया है ;

अत: अब, उक्त उपनियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्तावों को इस निर्देश से प्रकाशित करती है कि कोई भी व्यक्ति उक्त प्रस्तावों के विषय में आपत्ति या सुझाव देना चाहता है तो वह इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद्, 11 वीं मंजिल, प्रगति टावर, 26 राजेन्द्र प्लेस, नयी दिल्ली-110008 को परिषद के कार्यालय में भेज सकता है।

प्रस्ताव

(1) अधिसूचित करना कि दियासलाई का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जायगा।

(2) इस आदेश के उपाबंध में दिए गए दियासलाइयों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1983 के प्रारूप के अनुसार निरीक्षण के प्रकार को क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो ऐसी दियासलाइयों के निर्यात पर लागू होगा।

(3)(क) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों और निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य निकायों के मानकों को ;

(ख) विदेशी क्रेता और निर्यातकर्ता के बीच निर्यात संविदा के करार पाए विनिर्देशों के रूप में निर्यातकर्ता द्वारा घोषित विनिर्देशों को मान्यता प्रदान करना परन्तु यह तब जब कि वे ऊपर खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट मानकों से नीचे के न हों।

टिप्पण:—जब निर्यात संविदा में विस्तृत तकनीकी अपेक्षाएं उपदर्शित नहीं दी गयी हैं या वह केवल नमूनों पर आधारित है तब निर्यातकर्ता लिखित विनिर्देश प्रस्तुत करगा।

(4) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में ऐसी दियासलाईयों के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अभिकरण द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र न हो कि दियासलाइयों उपरोक्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है और और निर्यात योग्य है।

2. इस आदेश की कोई भी बात (क) भावी क्रताओं को भू-मार्ग, वायु मार्ग या जल मार्ग द्वारा दियासलाइयों के वास्तविक नमूनों के निर्यात को लागू नहीं होगी परन्तु यह तब जब कि ऐसे परेषण का पोत-लदान नि:शुल्क मूल्य एक सौ पच्चीस रुपये से अधिक नहीं है।

3. इस आदेश में, "दियासलाई" से लकड़ी या मोम की परत चढ़ी कागज की तीलियां अभिप्रेत हैं जिनके शीर्ष लपट उत्पन्न करने वाले है जो केवल प्रयोग की विशिष्ट दशा में विशेष रूप से तैयार की गई घर्षण सतह पर रगड़ने पर सुलगेगी।

उपाबंध

[आदेश का पैरा (2) देखिए]

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 की उपधारा के खंड (घ) अधीन बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का प्रारूप।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दियासलाई निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1983 है।

2. परिभाषाएं:—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1983 अभिप्रेत है

(ख) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन कोचीन, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई या दिल्ली में स्थापित कोई एक अभिकरण अभिप्रेत है।

(ग) "परिषद" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद अभिप्रेत है

(घ) "दियासलाई" से अभिप्राय लकड़ी या मोम की परत चढी कागज की तीलियां अभिप्रत है जिनके शीर्ष लपट उत्पन्न करने वाले हैं जो केवल प्रयोग की विशिष्टि दिशा में विशेष रूप से तैयार की गई घर्षण सतह पर रगड़ने से सुलगेंगी।

(ङ) "अनुसूची" से इन नियमों में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

3. निरीक्षण का आधार—दियासलाई का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जायगा कि उसकी क्वालिटी सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है, अर्थात:—

(i) राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय मानकों और निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य निकायों के मानक,

(2) विदेशी क्रेता और निर्यातकर्ता के बीच निर्यात संविदा के करार पाए गए विनिदेशों के रूप में निर्यातकर्ता द्वारा घोषित विनिर्देश परन्तु यह तब जब कि वे परिषद द्वारा ऊपर खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट मानकों से नीचे नहीं हैं, और या तो

(क) यह सुनिश्चित करने पर कि उत्पाद का विनिर्माण उत्पादन के दौरान इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में विनिर्दिष्ट के अनुसार आवश्यक क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करत हुए किया गया है।

या

(ख) इन नियमों के परिशिष्ट 'ख' में विनिर्दिष्ट ढंग से किए गए निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर ;

4. निरीक्षण की प्रक्रिया—(1) दियासलाई के परषण का निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता निर्यात संविदा या प्रत्यय आदेश या पत्र की एक प्रति संविदात्मक विनिर्देशों का ब्यौरा देते हुए अभिकरण को लिखित रूप में सूचना देगा ताकि अभिकरण नियम 3 के अनुसार निरीक्षण कर सके।

(2) परिशिष्ट-क में अधिकथित उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग करते हुए विनिर्मित दियासलाई के निर्यात के लिये और अभिकरण द्वारा गठित विशेषज्ञों के पैनल/परिषद द्वारा और यह न्याय निर्णित करने पर कि उत्पादन के दौरान पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण ड्रिलें हैं निर्यातकर्ता उपनियम (1) में उल्लिखित सूचना के साथ इस प्रभाव की एक घोषणा देगा कि निर्यात के लिये आशयित दियासलाई का परेषण क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करते हुए विनिर्मित किया गया है जो परिशिष्ट-क में अधिकथित है और परेषण इस प्रयोजन के लिये मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है।

(3) निर्यातकर्ता निर्यात किए जाने वाले परेषण पर लगाए जाने वाल पहचान चिन्ह अभिकरण को देगा।

(4) उपरोक्त नियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना विनिर्माता के परिसर से परेषण के भेजे जाने से कम से कम सात दिन पूर्व दी जायगी। जबकि उपनियम (2) के अधीन घोषणा सहित सूचना विनिर्माता के परिसर से परेषण को भेजे जाने से कम से कम तीन दिन पूर्व दी जाएगी।

(5) उपनियम (1) के अधीन सूचना और उपनियम (2) अधीन घोषणा यदि कोई हो, प्राप्त होने पर अभिकरण—

या

(क) अपना यह समाधान कर लेने पर कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान विनिर्माता के परिशिष्ट-क में अभिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग किया था और इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप उत्पाद का विनिर्माण करने के लिये इस संबंध में अभिकरण/परिषद द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का यदि कोई हो, पालन किया गया है तीन दिन के भीतर यह घोषित करते हुए प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि दियासलाई का परेषण निर्यात योग्य है। जहां विनिर्माता निर्यातकर्ता नहीं है वहां परेषण का मौखिक रूप से सत्यापन किया जायगा और अभिकरण द्वारा ऐसा सत्यापन और निरीक्षण यदि आवश्यक हो यह सुनिश्चित करने के लिये किया जायगा कि उपरोक्त बातों का पालन किया गया है। परन्तु अभिकरण निर्यात के लिए आशयित परेषणों में से कुछ परेषणों की स्थल पर जांच भी करेगा और विनिर्माण यूनिटों द्वारा अपनायी गयी उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण ड्रिलों की पर्याप्तता के अनुरक्षण का सत्यापन करने के लिये नियमित अन्तरालों पर यूनिटों में भी जायेगा। यदि उपरोक्त यूनिट परिषद/अभिकरण के अधिकारियों के सिफारिश पर विनिर्माण में से किसी भी प्रक्रम पर अपेक्षित क्वालिटी नियंत्रण

संबंधी उपायों को प्रयोग नहीं करता है तो यह घोषित किया जायगा कि यूनिट के पास उत्पादन के दौरान पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण ड्रिल नहीं हैं ऐसी दशाओं में यूनिट उसके द्वारा अपनायी गयी उत्पादन के दौरान पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण ड्रिलों की पर्याप्तता का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए फिर से आवेदन करेगा।

(ख) ऐसी दशाओं में जिनमें निर्यातकर्ता ने उपनियम (2) के अधीन यह घोषित नहीं किया है कि परिशिष्ट ख में अधिकथित क्वालिटी नियंत्रणों की पर्याप्तता का प्रयोग किया गया है वहां परिशिष्ट ख में अधिकथित निरीक्षण/परीक्षण के आधार पर या दोनों के आधार पर अपना यह समाधान कर लेने पर कि दियासलाई का परेषण मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है ऐसा निरीक्षण करने के सात दिन के भीतर यह घोषित करते हुये प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि दियासलाई का परेषण निर्यात योग्य है।

परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार का समाधान नहीं होता है वहां वह निर्यातकर्ता को ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार कर देगा और उसके कारणों सहित निर्यातकर्ता को सात दिन के भीतर ऐसे इंकार की सूचना भी देगा।

(6) जहां निर्यातकर्ता विनिर्माता नहीं है या परेषण का उपनियम (5) के खंड (ख) के अधीन निरीक्षण किया गया है या दोनों ही दशाओं में अभिकरण निरीक्षण की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् परेषण के पैकेजों को इस ढंग से सीलबंद करेगा कि सीलबन्द पैकेजों के साथ छेड़छाड़ न की जा सके।

(7) परेषण की अस्वीकृति की दशा में, यदि निर्यातकर्ता ऐसा चाहता है कि परेषण अभिकरण द्वारा सीलबंद नहीं किया जायेगा किन्तु ऐसे मामलों में निर्यातकर्ता अस्वीकृति के विरुद्ध कोई भी अपील करने का हकदार नहीं होगा।

5. मानक चिन्ह लगाना और उसकी प्रक्रिया— भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) (अधिनियम, 1952 (1952 का 36) भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) नियम, 1955 तथा भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम, 1955 के उपबंध जहां तक हो दियासलाई पर मान्यताप्राप्त चिन्ह या मुद्रा लगाए जाने की प्रक्रिया के संबंध में लागू होंगे।

6. निरीक्षण का स्थान— इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षण या तो,—

(क) ऐसे उत्पाद के विनिर्माता के परिसरों पर किया जायगा, या

(ख) ऐसे परिसरों पर किया जायेगा जहां निर्यातकर्ता ने माल प्रस्तुत किया है, परन्तु यह तब जब कि वहां निरीक्षण लिये के पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों।

7. निरीक्षण फीस —निर्यातकर्ता अभिकरण को निम्नानुसार निरीक्षण फीस देगा,—

(i) (क) उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण स्कीम के अधीन निर्यात करने के लिये प्रति परेषण कम से कम 20 रुपए के अधीन रहते हुए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.2 प्रतिशत की दर से;

(ख) परेषणानुसार निरीक्षण के अधीन निर्यात के लिये प्रति परेषण कम से कम 20 रुपए के अधीन रहते हुए, पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर से।

(2) उन विनिर्माता निर्यातकर्ताओं के लिये जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संबंधित सरकारों के पास लघु उद्योग एककों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं प्रति परेषण कम से कम 20 रुपए के अधीन रहते हुए (क) और (ख) के लिये 0.18 प्रतिशत और 0.36 प्रतिशत की दर से होगी।

8. अपील—(1) नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन प्रमाण-पत्र देने से इंकार किए जाने से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात व्यक्तियों के पैनल को अपील कर सकता है।

(2) विशेषज्ञ पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य गैर सरकारी होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी।

(4) अपील प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर निपटाई जाएगी।

परिशिष्ट-क

[नियम 3 (क) देखिए]

क्वालिटी नियंत्रण :

दियासलाई का क्वालिटी नियंत्रण विनिर्माता द्वारा इससे संलग्न अनुसूची में दिए गए नियंत्रण के स्तरों सहित नीचे अधिकथित उत्पाद के विनिर्माण परिरक्षण और पैकिंग के विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित नियंत्रणों का प्रयोग करके सुनिश्चित किया जाएगा।

(1) क्रय विनिर्देश और कच्ची सामग्री नियंत्रण :—

(क) प्रयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री के गुण समाविष्ट करते हुए क्रय विनिर्देश विनिर्माता द्वारा अधिकथित किए जाएंगे।

(ख) स्वीकृत परेषण के साथ क्रय विनिर्देशों की अपेक्षाओं की सम्पुष्टि करते हुए या तो प्रदायकर्ता का परीक्षण या निरीक्षण प्रमाण-पत्र होगा जिस दशा में किसी विशेष प्रदायकर्ता के क्रेता द्वारा 10 परेषणों में से कम से कम एक बार कालिक जांच पूर्वोक्त परीक्षण या निरीक्षण प्रमाण-पत्रों की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए की जाएगी या क्रय की गयी सामग्री का या तो कारखाने की प्रयोगशाला में या प्रयोगशाला के बाहर या परीक्षण गृह में परीक्षण या निरीक्षण किया जाएगा।

(ग) निरीक्षण या परीक्षण के लिए नमूनों का लिया जाना लेखबद्ध अन्वेषणों पर आधारित होगा।

(घ) निरीक्षण या परीक्षण किए जाने के पश्चात स्वीकृत या अस्वीकृत माल के पृथक्करण के लिए अस्वीकृत सामग्री का निपटान करने के लिए व्यवस्थित पद्धतियां अपनाई जाएंगी।

(ङ) उपरोक्त नियंत्रण के संबंध में विनिर्माता द्वारा अभिलेख नियमित और व्यवस्थित ढंग से रखे जाएंगे।

(2) प्रक्रिया नियंत्रण—

(क) विनिर्माण के विभिन्न प्रक्रम के लिए विनिर्माता द्वारा ब्यौरेवार प्रक्रिया विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे।

(ख) प्रक्रिया विनिर्देशों में अधिकथित प्रक्रियाओं के नियंत्रण के लिए, पर्याप्त उपकरण और उपस्कर सुविधाएं होंगी।

(ग) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त नियंत्रण का सत्यापन करने को सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माता द्वारा पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे।

(3) उत्पाद नियंत्रण—

(क) विनिर्माता के पास यह जांच करने के लिए कि उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यता-प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है जांच के लिए या तो अपनी परीक्षण सुविधाएं होंगी या उसकी पहुंच वहां तक होगी जहां ऐसी परीक्षण सुविधाएं विद्यमान हों।

(ख) परीक्षण या निरीक्षण करने के लिए नमूनों का लिया जाना लेखबद्ध अन्वेषणों पर आधारित होगा।

(ग) परीक्षण के लिए नमूना लेने और किए जाने वाले निरीक्षण के बारे में पर्याप्त अभिलेख नियमित और व्यवस्थित रूप में रखे जाएंगे।

उत्पाद की जांच करने के लिए नियंत्रण के न्यूनतम स्तर नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

(4) परिरक्षण नियंत्रण

उत्पाद को भंडारकरण और अभिवहन दोनों के दौरान अच्छी तरह से परिरक्षित किया जाएगा।

(5) पैकिंग नियंत्रण

पैकेज देखने में सुन्दर होंगे और अभिवहन के दौरान उठाई धराई सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत होंगे।

अनुसूची

नियंत्रण के स्तर

[उप पैरा (iii) (ग) देखिए]

क्रम संख्या	विशेषताएं	अपेक्षाएं	आवृत्ति	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1 (क)	खपच्चियों की विमाएं	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	प्रत्येक 2 घंटे में 25 खपच्चियां	—
(ख)	डिब्बों के लिए आशयित लकड़ी/कागज की मोटाई		प्रत्येक घंटे के पश्चात 10 नग प्रत्येक घंटे के पश्चात 10 नग	—
2 विमाएं कार्य कौशल और फिनिश				—
(क) तिल्लियां				
(ख) डिब्बियां				
3 प्रत्येक डिब्बी में तिल्लियों की संख्या			प्रत्येक घंटे के पश्चात 12 डिब्बियां	—

1	2	3	4	5
4. माचिस सिरा				
(क) डिब्बी के बाहर कोई भी सिरा नहीं निकलेगा		इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	क्र० सं० 3 पर ली गयी डिब्बियों से ली गयी सलाईयों का 10%	--
(ख) जब डिब्बी की घर्षण सतह पर सिरा रगड़ा जाता है और बिना चिंगारी छोड़े ज्वलित होगा और दियासलाई के सिरे उड़ेंगे नहीं।				
5. घर्षण सतह		यथोक्त	प्रत्येक घंटे के पश्चात 12 डिब्बियां	—
6. दोषपूर्ण डिब्बी, टूटी हुई या ढीली फिट की हुई।		यथोक्त	प्रत्येक घंटे के पश्चात 12 डिब्बियां	---
7. बेकार सलाई-तीली तरह विकृत सिरे, टूटे फूटे सिरे दोहरे टूटी हुई लकड़ियां		यथोक्त	क्रम सं० 5 पर दी गयी डिब्बियों से ली गयी सलाईयों का 10%	—
8. सुरक्षा परीक्षण		यथोक्त	प्रति 8 घंटे के उत्पादन तथा भाग की 100 डिब्बियां	
9 170 सेंटीग्रेड से कम ज्वलन		यथोक्त	प्रति 8 घंटे के उत्पादन के तथा उसके भाग की 10 दियासलाईयां	
10. संघात के अधीन ज्वलन		यथोक्त	यथोक्त	
11. जलने की क्वालिटी		यथोक्त	प्रति 8 घंटे में उत्पादन तथा उसके भाग से 100 सलाईयां	
12 घर्षण सतह की घिसाई क्षमता		यथोक्त	प्रति 8 घंटे उत्पादन तथा उसके भाग की 15 डिब्बियां	
13. धुमाव परख		यथोक्त	यथोक्त	

परिशिष्ट-ख

1. परेषणानुसार निरीक्षण

1.1 दियासलाई के परेषण का निरीक्षण और परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप हैं।

1.2 संविदात्मक विनिर्देशों में नमूना मानदंड की बाबत विनिर्दिष्ट अनुबंध के अभाव में नीचे दी गयी सारणी-1 में अधिकथित विनिर्देश लागू होंगे।

सारणी-1

नमूना मानदण्ड

लाटका आकार	चुने जाने वाले डिब्बों की संख्या
1	2
3 से 25	3
26 से 50	4
51 से 100	5
101 से 150	6
151 और अधिक	7

लांट एक हो परेषण में एक प्रकार की सामग्री वाले सभी डिब्बे एक ही लाट के होंगे।

1.3. उपरोक्त सारणी-I के अनुसार सहसा चुने गए सभी डिब्बों में से सारणी-II के डिब्बों के आकार निर्भर करते हुए।

सारणी-II

डिब्बों में पैकेटों की संख्या	चुने जाने वाले पैकेटों की संख्या
12	3
60	4
120	5

1.4 1.3 में से प्रत्येक पैकेट खोलिए और प्रत्येक पैकेट में से सहसा चार दियासलाई की डिब्बियां निकालिए पैकेटों में से इस प्रकार चुनी हुई डिब्बियां एक नमूना होंगी। इन डिब्बियों को फिर सभी डिब्बियों का दो सैटों के बराबर संख्या में सहसा विभाजित किया जाएगा एक सैट का परीक्षण किया जाएगा और दूसरा सैट नमूने के लिए होगा।

1.5 परीक्षणों की संख्या और अनुरूपता के लिए मानदंड यदि निर्यात संविदा में अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं है तो संबंधित भारतीय मानक विनिर्देशों या अन्य राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होंगे।

1.6 परीक्षण की प्रणाली यदि दियासलाई की निष्पादन अपेक्षा के लिए परीक्षा प्रणाली निर्यात संविदा में विनिर्दिष्ट

नहीं है तो यह सुसंगत भारतीय मानक विनिर्देशों या अन्य राष्ट्रीय मानकों में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी।

1.7 पैकिंग—यदि निर्यात संविदा में विनिर्दिष्ट नहीं है तो दियासलाई की डिब्बी की पैकिंग नीचे दिए गए के अनुसार होगी :-

बारह डिब्बियां उपयुक्त कागज में लपेटी जाएंगी, अधिमानतः नीचे रंग का कागज हो, जिसे कसा हुआ पैकेट बनाने के लिए भली प्रकार से चिपकाया या सरेस लगाया जाएगा साठ पैकेट बिटुमन पटलित जलसह धागेदार कागज में पैक किए जाएंगे और डिब्बे को कसा हुआ बनाने के लिए भली प्रकार चिपकाया या सरेस लगाया जाएगा।

दियासलाई की प्रत्येक डिब्बी पैकेट और प्रत्येक डिब्बे पर विनिर्माता का नाम और व्यापार चिन्ह, यदि कोई है, संकेत देते हुए लेबल चिपकाए जाएंगे।

प्रत्येक डिब्बी डिब्बे में रखी दियासलाई की संख्या सूचित करेगी।

[सं० 6 (12)/82/निनि/निप]

MINISTRY OF COMMERCE
(Department of Commerce)
ORDER
New Delhi, the 15th October, 1983

S.O. 3912.—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Council, is of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India that safety matches should be subjected to quality control and inspection prior to export;

And whereas, the Central Government has formulated proposals mentioned below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposals with the direction that any objection or suggestion which any person may like to offer on the said proposals may be sent to the Council within forty five days of the date of publication of this order to the office of he Council at Export Inspection Council of India, 11th floor, Pragati Tower, 26, Rajendra Place, New Delhi-110008.

PROPOSALS

(1) To notify that safety matches shall be subject to quality control and inspection prior to export.

(2) To specify the type of quality control and inspection in accordance with the draft Export of Safety Matches (Quality Control and Inspection) Rules, 1983, set out in Annexure to this order as the type of quality control and inspection which would be applied to such safety matches prior to export.

(3) To recognise:—

(a) National and International Standards and Standards of other bodies recognised by Export Inspection Council;

(b) The specifications declared by the exporter to be the agreed specifications of the export contract between the foreign buyer and the exporter, provided that the same are not below the standard specified in clause (a) above.

Note : When the export contract does not indicate detailed technical requirements or is based only on samples, the exporter should furnish a written down specifications.

(4) To prohibit the export in the course of international trade of such safety matches unless the same is accompanied by a certificate issued by an Agency established by the Central Government under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), to the effect that the safety matches conform to the aforesaid standard specifications and is exportworthy.

2. Nothing in this order shall apply to (a) the export by lands, sea or air of bonafide samples of safety matches to the prospective buyers provided the FOB value of the consignment does not exceed rupees one hundred and twenty five.

3. In this order "Safety Matches" means matches of wooden or wax coated paper sticks having flammable head that can ignite only when struck on a particularly prepared friction surface under specified conditions of use.

ANNEXURE

[See Paragraph (2) of the order]

Draft rules proposed to be made under clause (d) of sub-section (2) of section 17 of the Export (Quality control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Safety Matches (Quality Control and Inspection) Rules, 1983.

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires:——

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "Agency" means any one of the Agencies established under section 7 of the Act at Cochin, Madras, Calcutta, Bombay or Delhi;

(c) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;

(d) "safety matches" means matches of wooden or wax coated paper sticks having flammable head that can ignite only when struck on a particularly prepared friction surface under specified conditions of use.

(e) "Schedule" means the Schedule appended to these rules.

3. Basis of Inspection—Inspection of safety matches shall be carried out with a view to ensuring that the quality of the same conforms to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act, namely:—

(i) National and international standard and standards of other bodies recognised by the Export Inspection Council;

(ii) The specification declared by the exporter to be the agreed specifications of the export contract between he foreign buyer and the exporter, provided that the same are not below the standard specified in clause (i) above, either

(a) by ensuring that the products have been manufactured by exercising necessary inprocess quality control as specified in Appendix—'A' to these rules.

or

(b) on the basis of the inspection and testing carried out in the manner specified in Appendix-'B' to these rules.

4. Procedure of inspection.—(1) An exporter intending to export a consignment of safety matches shall give an intimation in writing to the Agency furnishing therein details of the contractual specification alongwith a copy of the export contract or order or letter of credit to enable the Agency to carry out inspection in accordance with rule 3.

2. For export of safety matches manufactured by exercising adequate inprocess quality control as laid down in Appendix-A, and the manufacturers adjudged as having adequate inprocess quality control drills by the Council/Panel of experts constituted by the Agency for this purpose, the exporter shall also submit alongwith the intimation mentioned in sub-rule (1), a declaration that the consignment of safety matches intended for export has been manufactured by exercising adequate quality control as laid down in Appendix-A and that the consignment conforms to the standard specifications recognised for the purpose.

(3) The exporter shall furnish to the Agency the identification mark applied on the consignment to be exported.

(4) Every intimation under sub-rule (1) above shall be given not less than seven days prior to the despatch of the consignments from the manufacturer's premises while intimation alongwith the declaration under sub-rule (2) shall be given not less than three days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises.

(5) On receipt of the intimation under sub-rule (1) and the declaration, if any, under sub-rule (2), the Agency shall:—

(a) On satisfying itself, that during the process of manufacture, the manufacturer had exercised adequate quality control as laid down in Appendix-A and followed the instructions, if any, issued by the Agency/Council in this regard to manufacture the product to conform to the standard specifications recognised for the purpose, within three days, issue a certificate declaring the consignment of safety matches as exportworthy. Where the manufacturer is not the exporter, the consignment shall be physically verified and such verification and inspection as necessary, shall be carried out by the Agency to ensure that the above conditions are complied with provided that the Agency shall conduct spot checks of some of the consignments meant for export and also visit the units at regular intervals to verify the maintenance of the adequacy of in process quality control drills adopted by the manufacturing unit. If the said unit is found not adopting the required quality control measures at any stage of manufactures, on recommendation of the officers of the Council/Agency, the said unit shall be declared as not having adequate inprocess quality control drills. In such cases, the unit shall apply afresh for the approval of the adequacy of inprocess quality control drills adopted by them.

(b) in case where the exporter has not declared under sub-rule (2) that adequate quality control as laid down in Appendix-A had been exercised, on satisfying itself that the consignment of safety matches conform to the standard specifications recognised for the purpose, on the basis of inspection/testing carried out as laid down in Appendix-B, or on the basis of both, within seven days of carrying out such inspection, issue a certificate declaring the consignment of safety matches as exportworthy.

Provided that where the Agency is not so satisfied, it shall refuse to issue a certificate to the exporter and communicate such refusal within seven days to the exporter alongwith the reasons therefor.

(6) Where the manufacturer is not the exporter, or the consignment is inspected under clause (b) of sub-rule (5), the Agency shall, immediately after completion of the inspection, seal the packages in the consignment in a manner so as to ensure that the sealed packages cannot be tampered with.

(7) In case of rejection of the consignment, if the exporter so desires, the consignment need not be sealed by the Agency and in such cases the exporter shall not be entitled to prefer any appeal against the rejection.

5. Affixation of recognised mark and procedure thereof—The provisions of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 (36 of 1952) the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 and the Indian Standard Institution (Certification Marks) Regulations, 1955 shall, so far as may apply in relation to the procedure or affixation of the recognised mark or seal on safety matches.

6. Place of Inspection.—Every inspection under these rules shall be carried out either,—

(a) at the premises of the manufacturer of such products; or

(b) at the premises at which the goods are offered by the exporter, provided adequate facilities for inspection exists therein.

7. Inspection Fee—Inspection fee shall be paid by the exporter to the Agency as under:—

(i)(a) for exporters under inprocess quality control scheme at the rate of 0.2 per cent of the FOB value subject to minimum of Rs. 20 per consignment;

(b) for exports under consignmentwise inspection at the rate of 0.4 per cent of the F.O.B. value subject to a minimum of Rs. 20 per consignment.

(ii) Subject to the minimum of Rs. 20 per consignment the rate shall be 0.18 and 0.36 per cent for (a) and (b) respectively for manufacturers/exporters who are registered as Small Scale Manufacturing Units with the concerned Governments of States/Union territories.

8. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the Agency to issue a certificate under sub-rule (5) of rule 4 may, within ten days of the receipt of the communication of such refusal, prefer an appeal to a Panel of Experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by the Central Government.

(2) A minimum of two thirds of the total membership of the Panel of Experts shall consist of non-officials.

(3) The quorum for such Panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed off within fifteen days of its receipt.

APPENDIX-A

[See rule 3(a)]

Quality Control:

The quality control of the safety matches shall be ensured by the manufacturer by effecting the following controls at different stages of manufacture, preservation and packing of the products as laid down below together with the levels of control as set out in the Schedule appended hereto.

(i) Purchase specifications and raw materials control:—

(a) Purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of raw material to be used.

(b) Either the accepted consignments shall be accompanied by a supplier's test and inspection certificate corroborating the requirements of the purchase specification, in which case occasional checks shall be conducted at least once in 10 consignments by the purchaser for a particular supplier to verify the correctness of the aforesaid test or inspection certificates or the purchased material shall be regularly tested and inspected either in the laboratory within the factory or in an outside laboratory or test house.

(c) The sampling for inspection or test to be carried out shall be based on the recorded investigation.

(d) After the inspection or test is carried out, systematic methods shall be adopted in segregating the accepted and rejected materials and for disposal of the rejected materials.

(e) Adequate records in respect of the aforesaid controls shall be regularly and systematically maintained by the manufacturer.

(ii) Process Control—

(a) Detailed process specifications shall be laid down by the manufacturer for different stages of manufacture.

(b) Equipment and instrumentation facilities shall be adequate to control the processes as laid down in the process specification.

(c) Adequate records shall be maintained by the manufacturer to ensure the possibility of verifying the controls exercised during the process of the manufacture.

(iii) Product Control—

(a) The manufacturer shall have either his own testing facilities or shall have access to such testing facilites existing elsewhere to check up whether the product conforms to specifications recognised under section 6 of the Act.

(b) Sampling for test and inspection to be carrried out shall be based on the recorded investigation.

(c) Adequate records in respect of sampling and test carried out shall be regularly and systematically maintained.

The minimum levels of control of check the products shall be as specified in the schedule below.

(iv) Preservation control—

The products shall be well preserved both during the storage and the transit.

(v) Packing control—

The packing shall have presentability and sufficient strength to stand handling during transit.

SCHEDULE

Levels of Controls

(See sub paragraph (iii) (c)

Sl. No.	Characteristics	Requirements	Frequency	Remarks
1	2	3	4	5
1.	(a) Dimension of Splints	Standard specifications recognised for the purpose.	25 Splints every two hours	—
	(b) Thickness of wood/paper meant for match box	-do-	After every one hour 10 pieces	—
2.	Dimension, Workman-ship and finish	-do-	After every one hour 10 pieces.	
	(a) Sticks			
	(b) Boxes			
3.	Number of sticks per box	-do-	After every one hour 12 boxes	—
4.	Match Head .			
	(a) No head shall protrude out of box	Standard specifications recognised for the purpose.	10% of the sticks taken from the boxes at Sl. No. 3.	
	(b) Shall ignite without spurting and the match head particles shall not fly when the head is struck against the friction surface of the box.			
5.	Friction Surface	-do-	After every one hour 12 boxes.	—
6.	Defective boxes, broken crushed or lossely fitted.	-do-	After every one hour 12 boxes	—
7.	Unserviceable sticks, badly distorted heads, fractured heads, doubles, broken splints.	-do-	10% of the sticks taken from boxes drawn at Sl. No. 5.	—
8.	Safety test	-do-	100 sticks per 8 hours of production or part thereof.	—
9.	Ignition below 170 C	-do-	10 Sticks per 8 hours of production or part thereof.	—
10.	Ignition under impact.	-do-	-do-	—
11.	Burning quality	-do-	100 sticks per 8 hours of production of part thereof.	
12.	Wearing strength of friction surface	Standard specification recognised for the purpose.	15 boxes per 8 hours of production or part thereof.	—
13.	Damp proofness	-do-	do-	—

APPENDIX-B

1. Consignment wise inspection.

1.1 The consignment of safety matches shall be subjected to inspection and testing to ensure conformity of the same to the standard specifications recognised under section 6 of the Act.

1.2 In the absence of specific stipulation in the contractual specifications as regards sampling criteria the same laid down in Table I given below shall become applicable.

TABLE I

Scale of Sampling

Lot Size	No. of cartons to be selected
1	2
3 to 25	3
26 to 50	4
51 to 100	5
101 to 150	6
151 and above	7

Lot—All the cartons containing materials of the same brand in a single consignment shall constitute a lot.

1.3 From each of the carton selected at random as per Table-I above select at random a certain number of packets depending upon the size of carton, in accordance with Table-II.

TABLE-II

No. of packets in the carton	No. of packets to be selected
12	3
60	4
120	5

1.4 Open each of the packet in 1.3 and take out at random four match boxes from each of the packet. The boxes thus selected from packets shall constitute a sample. These boxes shall then be divided at random into two sets of equal number of boxes. One set shall be subject to required tests and other set shall be for reference samples.

1.5 Number of tests and criteria for conformity if not otherwise specified in the export contract, shall be as per relevant Indian Standard Specification or any other National Standard.

1.6 Methods of test—If not specified in the export contract, methods of test for performance requirement of safety matches shall be as specified in the relevant Indian Standard Specification or any other National Standard.

1.7 Packing.—If not specified in the export contract, the packing of safety matches shall be as given below:—

Twelve match boxes shall be wrapped in a suitable paper preferably blue match paper, which shall be securely pasted or glued to make a tight packet. Sixty such packets shall be packed in a bitumanized laminated water proof thread lined paper and shall be securly pasted or glued to make a tight carton. The match box, the packed and the carton shall have a label affixed to each one of them indicating the manufacturers, name or trade mark, if any,

Each match box should indicate the number of sticks in the box.

[No. 6 (12)/82-EI&EP]

का० आ० 3913.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण), अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दियासलाई के संबंध में यह घोषित करने के प्रयोजन के लिए मानक संस्था प्रमाणन चिन्ह को मान्यता देने का प्रस्ताव करती है, जहां दियासलाई की तीलियों पर ऐसे चिन्ह लगाए या चिपकाए जाते हैं, वहां यह समझा जाएगा कि वे उक्त अधिनियम के अधीन उनको लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप हैं;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्ताव निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण, नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद को भेज दिया है ;

अतः अब, उक्त उपनियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्ताव को इस निदेश से प्रकाशित करती है कि कोई भी व्यक्ति उक्त प्रस्तावों के विषय में आपत्ति या सुझाव देना चाहता है तो वह इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर निदेशक भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (11 वी मंजिल) प्रगति टावर, 26 राजेन्द्र प्लेस, नयी दिल्ली 110008 को भेज सकता है।

स्पष्टीकरण.—इस आदेश में "दियासलाई" से अभिप्राय लकड़ी या मोम की परत चढ़ी कागज की तीलियां अभिप्रेत हैं जिनके शीर्ष लपट उत्पन्न करने वाले हैं जो कि केवल प्रयोग की विशिष्ट दशा में विशेष रूप से तैयार की गयी घर्षण सतह पर रगड़ने से ही सुलगेंगी।

[सं० 6 (12)/82-नि०नि० औ० नि०]

S.O. 3913.—Whereas the Central Government, in exercise the powers conferred by section 8 of the Export (Quality of Control and Inspection Act, 1963 (22 of 1963), proposes to recognise the Indian Standards Institution Certification mark in relation to safety matches for the purpose of denoting that where safety match boxes containing the match sticks are affixed or applied with such mark, they shall be deemed to be inconformity with the standard specifications applicable thereto under the said Act;

And whereas the Central Government forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposals, with the directions that any objection or suggestion which any person may like to offer on the said proposals may be sent to the Council within forty five days of the date of publication of this notification in the Official Gazette to the Director, Export Inspection Council of India, (11th floor), Pragati Tower, 26, Rajendra Place New Delhi-110008.

Explanation.—In this notification safety matches means matches of wooden or wax coated paper sticks having flammable head that can ignite only when struck on a particularly prepared friction surface under specified conditions of use

[No.: 6 (12)|82-EI&EP]

आदेश

का०आ० 3914.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि काजू की गिरियों का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं तथा उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद को भेज दिया है ;

अब, अतः उप-नियम के अनुसरण में, काजू की गिरियों से संबंधित भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचनाओं सं० का०आ० 1022 तथा 1023, तारीख 26 मार्च, 1966 और का०आ०सं० 275 तारीख 21 जनवरी, 1978 का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्तावों को उन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनसे उनके प्रभावित होने की संभावना है ।

2. सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव भेजने का इच्छुक व्यक्ति उन्हें इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद "प्रगति टावर" (ग्यारहवीं मंजिल), 26, राजेन्द्र प्लेस, नयी दिल्ली-110008 को भेज सकेगा ।

प्रस्ताव

1. यह अधिसूचित करना कि काजू की गिरियां निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगी ।

2. इस आदेश के उपाबंध-1 तथा-2 में दिए गए काजू की गिरियों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1983 के प्रारूप के अनुसरण में क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो निर्यात से पूर्व काजू की गिरियों पर लागू होगा ।

3. (क) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों तथा निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा मान्य अन्य निकायों के मानकों को मान्यता देना ;

(ख) इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अपेक्षाओं को निर्दिष्ट करते हुए उत्पाद के अधीन संविदात्मक विनिर्देशों को मान्यता देना ।

4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान काजू की गिरियों के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उनके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त किसी अभिकरण द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाणपत्र न हो कि गिरियां मानक विनिर्देशों के अनुरूप हैं तथा निर्यात योग्य हैं

5. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को भूमि, समुद्री या वायु मार्ग द्वारा काजू की गिरियों के नमूनों के निर्यात को लागू नहीं होगी परन्तु यह तब जब कि ऐसे नमूनों का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 250 रुपए से अधिक न हो ।

6. इस आदेश में "काजू की गिरियों" से सभी प्रकार की काजू की गिरियां अभिप्रेत हैं, जो बिना भूनी हुई, भूनी हुई साबुत, टुकड़ों में सिकी हुई और नमक लगाई हुई ।

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1983 का 22) की धारा 17 के अधीन बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का प्रारूप

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम काजू की गिरियों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1983 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं:—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, :—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है ;

(ख) "परिषद" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद अभिप्रेत है ,

(ग) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित कोई एक अभिकरण अभिप्रेत है ।

3. क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण:—निर्यात के लिए आशयित काजू की गिरियों का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि काजू की गिरियां अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप हैं या तो :—

(क) उपाबंध-1 में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं को अपनाते हुए इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुसार तैयार उत्पाद का निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर किया जाएगा

"या"

(ख) यह सुनिश्चित करके किया जाएगा कि उत्पाद का प्रसंस्करण उपाबंध-2 में प्रसंस्करण के विभिन्न प्रक्रमों पर नियंत्रणों का प्रयोग करते हुए विनिर्दिष्ट नियंत्रण के स्तरों का पालन करते हुए किया गया है।

4 निरीक्षण फीस —

उपाबंध-1 में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए काजू की गिरियों के एक टिन जिसका भार 11.34 किलोग्राम है या उसके भाग के लिए अस्सी पैसे की दर से फीस तथा उपाबंध-2 में निर्दिष्ट प्रक्रिया अपनाने के लिए काजू कि गिरियों के 11.34 किलोग्राम वाले टिन के लिए पचास पैसे की दर से फीस प्रभारित की जाएगी।

भूनी हुई तथा नमक लगाई हुई काजू कि गिरियों के पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रत्येक 100 रुपए या उसके भाग के लिए इन नियमों के अधीन प्रत्येक परेषण के लिए न्यूनतम पचास रुपए निरीक्षण फीस के अधीन रहते हुए पचास पैसे की दर से फीस प्रभारित की जाएगी।

5 अपील

(क) ऐसा कोई व्यक्ति जो उपबंध-2 के खंड 2.7.4 के तथा 2.7.5 अधीन उसके यूनिट को अभिकरण द्वारा अनुमोदन देने से उपाबंध-2 के नियम 5 के उप नियम 1 या उपाबंध-1 के नियम-2 के उपनियम 5 के अधीन निर्यात योग्यता का प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर दिए जाने से व्यथित हो उसके द्वारा ऐसे इंकार किए जाने की सूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात सदस्यों से गठित संबंधित विशेषज्ञों के पैनल के संयोजक को अपील कर सकेगा।

(ख) विशेषज्ञों के पैनल को कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य व्यापार मंडल के सदस्य होंगे।

(ग) पैनल की गणपूर्ति तीन से होगी।

(घ) अपील प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर निपटा दी जाएगी।

अनुसूची

काजू की गिरियों के लिए विनिर्देश

1 सामान्य अपेक्षाएं काजू की गिरियाँ कास्क का छिलका उतार कर और छीलकर (एनाकार्डियम आक्सीडेंटल) से प्राप्त की जाएंगी।

2 विशिष्ट विशेषताएं

अ काजू की गिरियाँ सफेद साबुत

श्रेणी अभिधान	व्यापारिक नाम/आवृत्ति	गंध	काउंट/454 ग्राम माप विवरण	अधिकतम आर्द्रता %	टूटे हुए टुकड़े तथा अधिकतम	एक्साटाक्सिनअंश	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
डब्ल्यू-180	सफेद साबुत सर्पेदीय विशिष्टता	सफेद/पीला	170–180	1.5	5%	अधिकतम 30 पी०	टूटी हुई गिरियाँ तथा अगली निम्न श्रेणी (एस डब्ल्यु) की गिरियाँ यदि कोई हो, निरीक्षण के समय एक साथ 5% से अधिक नहीं होगी।
डब्ल्यू 210	वही	वही	200–210				गिरियाँ उत्पीड़न कीट क्षति फफूंदी बीजावरण विकृत गंध खुरचन शिकन काले या भूरे धब्बे, झिल्ली तथा विजातीय पदार्थों जैसे बाल धूल कालिख आदि से पूर्णतया रहित होंगी
डब्ल्यू-240	वही	वही	220–240				
डब्ल्यू-280	वही	वही	260–280				
डब्ल्यू-320	वही	वही	300–320				
डब्ल्यू-400	वही	वही	350–400				
डब्ल्यू 450	वही	वही	400–450				
डब्ल्यू-500	वही	वही	450–500				

1	2	3	4	5	6	7	8
स भुनी हुई काजू की गिरियां साबुत -							
एस डब्ल्यू भु०का०	भुनी हुई साबुत, विशिष्ट साबुत	हल्का भूरा, हल्का टन सफेदीय हल्का सलेटी य गाढा दंत सफेद	450-500	4 5	10%	अधिकतम 30 पी० पी० बी०	टूटी हुई गिरियां तथा अगली निम्न श्रेणी (एस एस डब्ल्यू) की गिरियां, यदि कोई हों, निरीक्षण के समय एक साथ 10% से अधिक नही होगी। गिरियां उत्पीडन, कीट क्षति, फफूदी, बीजावरण, विकृत गंध, खुरचन, शिकन, काले या भूरे धब्बे, चित्ती तथा विजातीय पदार्थों जैसे बाल धूल, कालिख आदि से पूर्णतया रहित होगी।
डेजर्ट काजू की गिरियां साबुत							
एसएसडब्ल्यू भु०सा०घ	भुनी हुई साबुत घटिया विशिष्ट साबुत	हल्का भूरा हल्का नीला, या गाढ़ा दंत सफेदीय कम भुनी हुई, हल्की चित्तीदार	"	4.5	5%	अधिकतम 30 पी० पी० बी०	टूटी हुई गिरियां, खुरची हुई गिरियां तथा निम्न श्रेणी-(डी डब्ल्यू) की गिरियो, यदि कोई हों निरीक्षण के समय 10% से अधिक नही होगी। गिरियां उत्पीडन कीट क्षति, फफूदी, छिलका, विकृतगंध, गहरी झुलसन, गहरी चित्तीदार, काले या भूरे धब्बे तथा विजातीय पदार्थ जैसे बाल, धूल, कालिख आदि से रहित होगी।
डी०डब्ल्यू डे मा०	गाढ़ा भूरा, भुनी हुई चित्तीदार	गाढ़ा नीला	"	4.5	5%	अधिकतम 30 पी०पी०बी०	गिरियां उत्पीड़न, कीट क्षति, फफूंदी, छिलके विकृत, गंध काले या भूरे धब्बे तथा बाह्य पदार्थ जैसे बाल, धूल, कालिख आदि से पूर्णतया रहित होगी टूटी हुई गिरियों खुरची हुई गिरियो यदि कोई है, निरीक्षण के समय 10% से अधिक नही होगी।
घ काजू की गिरियां सफेद टुकडे							
बी	बड्स, आडी तिरछी टूटी हुई तथा प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई गिरियां	सफेद/पीला दंत सफेद या हल्का सलेटी	"	3.5	5%	अधिक 30 पी०पी०बी०	टूटे टुकड़े या अगली निम्न श्रेणी (एस बी) की गिरियां, यदि कोई हैं, निरीक्षण के समय 5% से अधिक नही होगी। सामग्री उत्पीड़न कीट विकार, फफूदी, बीजावरण, गंध, विकृति, शिकन, चित्ती, खुरचन काले या भूरे धब्बे तथा विजातीय पदार्थों जैसे, बाल, धूल, कालिख आदि से पूर्णतया रहित होगी।
	टुकड़े प्राकृतिक रूप से टूटी हुई गिरियां की लम्बाई	सफेद/पीला दंत सफेद या हल्की सलेटी	"	3.5	5%	अधिकतम 30 पी०पी०बी०	टूटे हुऐ टुकड़े या अगली निम्न श्रेणी (एस एम) की गिरियां, यदि कोई है, निरीक्षण के समय 5% से अधिक नही होगी। सामग्री उत्पीड़न, क्षति फफूदी बीजावरण, विकृत गंध, शिकन, चित्ती खुरचन काले या भूरे धब्बों तथा विजातीय पदार्थों जैसे बाल, धूल कालिख आदि दोषों से पूर्णतया रहित होगी।

1	2	3	4	5	6	7	8
स० ट	सफेद बड़े टुकड़े	सफेद/दंत सफेद पीला या हल्का सलेटी	गिरियां दो से अधिक टुकड़ों में तोड़ी जाएंगी जो 4 छिद्रों वाली/16 एस डब्ल्यू जी छलनी/4.75 मि० मी० आई० एस० छलनी से नहीं निकल सकेंगी।	3.5	5%	अधिक 30 पी०पी०बी०	टूटे टुकड़े या अगली निम्न श्रेणी (एस बी) की गिरियां, यदि कोई है, निरीक्षण के समय 5% से अधिक नहीं होगी। सामग्री उत्पीड़न, कीट विकार, फफूंदी, बीजावरण, विकृत गंध, खुरचन, शिकन, चित्ती, काले या भूरे धब्बों तथा विजातीय पदार्थ जैसे बाल, धूल, कालिख आदि दोषों से रहित होगी।
छो स टु	छोटे सफेद टुकड़े	सफेद/पीला दंत सफेद या हल्का सलेटी	एस डब्ल्यू पी के रूप में वर्णित से छोटी टूटी हुई गिरियां किन्तु जो 6 छिद्रों 20 एस डब्ल्यू जी छलनी 2.50 मि०मी० आई एस छलनी से न निकल सके।	3.5	5%	अधिकतम 30 पी०पी०बी०	टूटी हुई गिरियां या अगली निम्न श्रेणी (एस० एस० पी०) की गिरियां, यदि कोई हैं, एक साथ निरीक्षण के समय 5% से अधिक नहीं होगी। सामग्री उत्पीड़न, कीट क्षति, फफूंदी, बीजावरण, विकृत गंध, खुरचन, शिकन, चित्ती और विजातीय पदार्थों जैसे बाल, धूल, कालिख आदि से पूर्णतया रहित होगी।
बे० बि०	बेबी बिट्स	सफेद/पीला दंत सफेद या हल्का सलेटी	छो० स० टु० में वर्णित छोटी प्रांकुर तथा टूटी हुई गिरियां जो 10 छिद्रों वाली 24 एस० डब्ल्यू० जी० छलनी/1.70 मि० मी० आई०एस० छलनी से न निकल सके।	3.5	5%	अधिकतम 30 पी०पी० बी०	सामग्री उत्पीड़न, कीट क्षति, फफूंदी, बीजावरण, विकृतगंध, खुरचन, शिकन, चित्ती काले या सफेद धब्बों तथा विजातीय पदार्थों जैसे बाल, धूल और कालिख आदि दोषों से पूर्णतया रहित होगी।
काजू की गिरियां भुने हुए टुकड़े							
भु०ब०	भुने हुए बट्स आधी, तिरछी टूटी हुई गिरियां तथा प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई गिरियां	हल्का भूरा, हल्का दंत सफेद, गाढ़ा दंत सफेद, हल्का सलेटी	—	3.5	5%	अधिकतम 30 पी०पी०बी०	टूटी हुई गिरियां या अगली निम्न श्रेणी (भी०बी०) की गिरियां, यदि कोई हैं, निरीक्षण के समय एक साथ 5% से अधिक नहीं होगी। सामग्री उत्पीड़न, कीटक्षति, फफूंदी, बीजावरण, विकृत गंध, खुरचन, शिकन, चित्ती, काले या भूरे धब्बों तथा विजातीय पदार्थों जैसे बाल, धूल, कालिख आदि दोषों से पूर्णतया रहित होगी।
भु० टु०	भुने हुए टुकड़े, प्राकृतिक रूप से लम्बाई में टूटी हुई गिरियां	हल्का भूरा, हल्का दंत सफेद/गाढ़ा दंत सफेद	—	3.5	5%		टूटी हुई गिरियां या अगली निम्न श्रेणी (डी०एस०) की गिरियां, यदि कोई हैं, निरीक्षण के समय एक साथ 5% से अधिक नहीं होगी। सामग्री उत्पीड़न, कीट-क्षति, फफूंदी, बीजावरण, विकृतगंध, खुरचन, सिकन, चित्ती और विजातीय पदार्थ जैसे बाल, धूल, कालिख आदि से पूर्णतया रहित होगी।

1	2	3	4	5	6	7	8
भु० टु०	भुने हुए टुकड़े	हल्का, भूरा, हल्का दंत सफेद/गाढ़ा दंत सफेद	टुकड़े जो 4 छिद्रों वाली 16 एस०डब्ल्यू० जी० छलनी/4.75 मि०मी० आई०एस० छलनी से न निकल सके।	3.5	5%		टूटे हुए, छोटे टुकड़े या अगली निम्न श्रेणी (डी०एस०पी०) की गिरियां, यदि कोई हैं, निरीक्षण के समय एक साथ 5% से अधिक नहीं होगी। सामग्री पूर्णतया उत्पीड़न, कीटक्षति, फफूंदी, बीजावरण, विकृतगंध, खुरचन, शिकन, चित्ती, काले या भूरे धब्बों तथा विजातीय पदार्थ जैसे बाल, धूल, कालिख आदि से रहित होगी।
भु० छो० टु०	भुने हुए छोटे टुकड़े	—	भु० टु० से छोटे टुकड़े जो 6 छिद्रों वाली/20 एस० डब्ल्यू० जी० छलनी 2.80 मि०मी०आई० एस० छलनी से न निकल सके।	3.5	5%		टूटे हुए छोटे टुकड़े या अगली निम्न श्रेणी (डी०एस०पी०) की गिरिया, यदि कोई है, निरीक्षण के समय एक साथ 5% से अधिक नहीं होगी। सामग्री पूर्णतया उत्पीड़न, कीटक्षति, फफूंदी, बीजावरण, विकृत गंध, खुरचन, शिकन, चित्ती, काले या भूरे धब्बों तथा बाह्य पदार्थ जैसे बाल, धूल, कालिख आदि से पूर्णतया मुक्त होगी।
	च डेजर्ट काजू की गिरियों के टुकड़े						
भु०ब०टु०	भुने हुए बढ़िया टुकड़े	हल्का भूरा, गाढ़ा दंत सफेद या हल्के से गाढ़े की ओर नीला, हल्की भुनी हुई हल्की चित्तीदार	टुकड़ों मे टूटी हुई गिरिया जो 4 छिद्रों वाली 16 एस०डब्ल्यू०जी० छलनी/4.75 मि०मी० आई० एस० छलनी से न निकल सके।	3.5	10%		टूटे हुए छोटे टुकड़े, खुरचन तथा अगली निम्न श्रेणी (डी०पी०) के टुकड़े, यदि कोई है, निरीक्षण के समय एक साथ 10% से अधिक नहीं होगी। सामग्री पूर्णतया उत्पीड़न, कीटक्षति, फफूंदी, बीजावरण, विकृतगंध, तथा विजातीय पदार्थों जैसे बाल, धूल, कालिख आदि से रहित होगी।
डे०टु०	डेजर्ट टुकड़े	हल्का भूरा, गाढ़ा दंत सफेद या हल्के से गाढ़ा नीला, भुना हुआ रंगहीन शिकन	टुकड़ों में टूटी हुई गिरियां जो 4 छिद्रों वाली/16 एस०डब्ल्यू०जी० छलनी/4.75 मि०मी० आई० एस० छलनी से न निकल सके	3.5	10%	अधिकतम 30 पी० पी०बी०	छोटे टूटे हुए टुकड़े (डी० एस० पी०) तथा खुरचन, यदि कोई है, निरीक्षण के समय एक साथ 10% से अधिक नहीं होगी। सामग्री पूर्णतया उत्पीड़न, कीटक्षति, फफूंदी, बीजावरण, विकृतगंध तथा विजातीय पदार्थों जैसे बाल, धूल कालिख आदि से रहित होगी।
डे० छो० टु०	डेजर्ट छोटे टुकड़े	--	टुकड़ों में टूटी हुई गिरिया परन्तु जो 6 छिद्रों वाली एस डब्ल्यूजी/2 80 मि०मी०आई० एस० छलनी से न निकल सके।	3.5	10%	अधिकतम 30 पी०पी०बी०	सामग्री पूर्णतया उत्पीड़न, कीटक्षति, फफूंदी, बीजावरण, विकृतगंध तथा विजातीय पदार्थ जैसे बाल, धूल, कालिख आदि से रहित होगी। छोटे टुकड़ों में गिरियां तथा खुरची हुई गिरियों के टुकड़े, यदि कोई हो, निरीक्षण के समय एक साथ 10% से अधिक नहीं होगी।

1	2	3	4	5	6	7	8
डे०ब०	डेजर्ट बड्स तिरछी टूटी हुई गिरियां तथा प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई गिरियां	—	—	3.5	10%	अधिकतम 30 पी०पी०बी०	सामग्री पूर्णतया उत्पीड़न, कीटक्षति, फफूंदी, बीजावरण, विकृतगंध, तथा विजातीय पदार्थों जैसे बाल, धूल, कालिख आदि से रहित होगी।
डे०टु०	डेजर्ट टुकड़े प्राकृतिक रूप से लम्बी टूटी हुई गिरियों के टुकड़े	—	—	3.5	10%	अधिकतम 30 पी०पी०बी०	सामग्री पूर्णतया उत्पीड़न, कीटक्षति, फफूंदी, बीजावरण, विकृतगंध, तथा विजातीय पदार्थों जैसे बाल, धूल, कालिख, आदि से रहित होगी।

*एम० एल० जी० से अभिप्राय अगली निम्न श्रेणी है।

अ० नि० श्रे०

छ. भुनी हुई तथा नमक लगाई हुई काजू की गिरियों के लिए विनिर्देश :

छ. 1 कच्ची सामग्री :

छ.1.1 काजू की गिरियां, जिनमें भुनी हुई, बिना भुनी हुई साबुत गिरियों या टुकड़े सम्मिलित हैं, भुनने तथा नमक लगाने के लिए प्रयोग की जाएंगी।

छ.1.2 वे किसी भी प्रकार के कीटाणु ग्रसन, फफूंदी वृद्धि, विकृत गंध, तथा बीजावरण की उपस्थिति से पूर्णतया रहित होंगी।

छ. 2 तैयार करना :—

छ. 2.1 भुनी हुई तथा नमक लगी हुई काजू की गिरियां किसी भी मान्यता प्राप्त पकाने वाले बर्तन में उनको भूनकर तथा नमक लगा कर या सूखा भूनकर या नमक लगा कर तैयार की जाएं।

छ.2.2 पकाने के लिए प्रयुक्त बर्तन स्टैनलैस स्टील के होंगे।

छ.2.3 भूनने से पहले गिरियों का आर्द्रता अंश 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

छ.3 उत्पाद अपेक्षाएं :

छ. 3.1 क्रेता तथा विक्रेता के बीच की गयी संविदा में यथा अनुबद्ध श्रेणी अभिधान तब तक अनुज्ञात होंगे जब तक की वे तथ्यों का अयथार्थ रूप प्रस्तुत न करते हों।

छ. 3.2 रसायन विश्लेषण पर, काजू की गिरियों को भूनकर तथा नमक लगाकर तैयार करने के पश्चात निम्नलिखित सारणी में दर्शित स्वीकृत स्तरों के अंतर्गत होगी।

1. मुक्त वसीय अम्ल—0.4% (ओलिक अम्ल के रूप में) सतवसा भार पर।

2. पैराक्साइड मूल्य—सतवसा का 2 एम० ई० क्यू०/-0.02 किलोग्राम भुनी हुई और नमक लगाई हुई काजू की गिरियों में मुक्त वसा अम्ल और पैराक्साइड मूल्य के प्राक्कलन की पद्धति परिशिष्ट में दी गयी निर्धारण की पद्धति के अनुसार होगी।

छ.3.3 खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 के परिरक्षण के अधीन परिरक्षक तथा सुरुचित कर्मक अनुज्ञात होगा।

जी० 4 पैक करना :

जी० 4.1. भुनी हुई और नमक लगाई हुई काजू की गिरियां क्रेता द्वारा ऐसे आकार के डिब्बों में और ऐसी अन्य अपेक्षाओं के अनुसार जो विनिर्दिष्ट की जाएं, पैक की जाएंगी।

जी० 4.2 गिरियां संविदा की अपेक्षानुसार पन्नी में भी पैक की जा सकती है।

जी० 4.3 डिब्बे नए साफ और जंगरहित या अन्य सब प्रकार की क्षति से रहित होंगे।

जी० 4.4 गिरियां वैक्यूम वाले आधानों में या अप्रिय गैस के माध्यम से पैक की जाएंगी।

जी० 4.5 क्रेता की पैकिंग अपेक्षाओं के अनुसार डिब्बे गत्ते (कार्ड बोर्ड) के डिब्बों में या विसंक्रमित लकड़ी की पेटियों में पैक किए जाएंगे। प्रत्येक डिब्बों या पैटियों पर निम्नलिखित दर्शाने के लिए चिह्न लगाए जाएंगे :

(क) उत्पाद का नाम

(ख) विनिर्माता का नाम

(ग) पोत लदान चिह्न

(घ) किलोग्राम में शुद्ध और कुल भार।

जी० 5 मुहर बंद करना

जी० 5 पैक किए जाने के पश्चात् प्रत्येक परेषण उचित रूप से जैसा कि परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट हो, मुहरबंद किया जाएगा।

परिशिष्ट

भुनी हुई और नमक लगी हुई काजू की गिरियों में पैरासाइड मूल्य के प्राक्कलन की पद्धति।

मिश्रण में 50 ग्राम काजू की गिरियां और पाउडर लें।

250 लीटर के डाटदार शंवाकर फ्लास्क में चूरा सामग्री लें और उसमे 250 मिलीलीटर क्लोरोफार्म मिलाएं और फ्लास्क को रात भर हलिल दशा (शेकर) में रखें अगले दिन द्रूषण के अंतर्गत मसाले को बूचर फ्लास्क में छान लें। अवशेषों को फिर 100 मिलीलीटर क्लोरोफार्म मे मिला दें और दो घंटे के लिए शेकर में रखें और फिर छान लें। संयुक्त क्लोरोफार्म का अर्क 250 मिलीलीटर तक बनाएं।

अर्क का 10 मिलीलीटर या लगभग 0.5 ग्राम वसा वाला यथोचित एलिकोट भाग सूखे और छोटे दो बीकरो (25 मिलीलीटर क्षमता वाले) में निकाला जाए। डिश को जल के ऊपर रखने से क्लोरोफार्म वाष्पित करना बद कर दिया जाए और फिर देगचियों को 70° सेंटीग्रेड वाले वैक्यूम ओवन मे स्थानांतरण कर दिया जाए। वैक्यूम के अंतर्गत वाष्पीकरण एक घंटे के लिए किया जाएगा। देगचिया बाहर निकाल ली जांएगी और शोषित्र मे ठंडी की जाएंगी और उन्हें खोला जाएगा। देगचियों को फिर ओवन मे 30 मिनट के लिए रखा जाएगा और फिर उठा लिया जाएगा, ठंडा किया जाएगा और तोला जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि दो परिणाम वाचक तोलो का अन्तर 5 मिली ग्राम से अधिक नही होगा।

4 ग्राम वसा वाले क्लोरोफार्म अर्क का एलिकोट 500 मिलिलीटर वाले डाटदार शंक्वाकार फलास्क मे डाला जाएगा और क्लोरोफार्म एसिटिक एसिड का 2.3 अनुपात प्राप्त करने के लिए ग्लेसिक एसिटिक एसिड की अपेक्षित मात्रा मिलायी जाएगी। इसमें से संतृप्त पोटाशियम आयोडाइट घोल या 0.5 मिलीलीटर पिपेट किया जाएगा और घोल को कभी-कभी ठीक एक मिनट के लिए हिला कर स्थिर रहने दिया जाएगा और फिर उसमें 50 मिलीलीटर आसुत जल मिला दिया जाएगा। 0.1 एन सोडियम थायोसल्फेट धीरे-धीरे मिलाते हुए और निरन्तर तथा बलपूर्वक हिलाते हुए इसका अनुमापन करें। अनुमापन लगातार तब तक करते रहे जब तक कि उसका पीला रंग बिल्कुल लुप्त न हो जाए। एक प्रतिशत स्टार्च सूचक का 0.5 मिलिलीटर मिलाएं और अनुमापन लगातार करते रहें जब तक कि नीला रंग लुप्त न हो जाए।

टिप्पण :—

(1) प्रतिदिन अभिकर्मक का पूर्ण निर्धारण करें। पूर्ण अनुमापन 0.1 एन सोडियम थोयोसल्फेट के 0.1 मिलीलीटर से अधिक नही होगा।

(2) अनुमापन आरम्भ करने से पूर्व यदि घोल का रंग हल्का पीला है तो उस अवस्था मे स्टार्च सूचक मिलाया जा सकता है।

(3) यदि अनुमापन 0.1 एन सोडियम थायोसल्फेट घोल के 0.5 मिलीलीटर मे कम हो तो 0.1 एन सोडियम थयोसल्फेट घोल का प्रयोग करते हुए निर्धारण को दोहराए।

पैराक्साइड मूल्य निम्नानुसार प्राक्कलित किया जा सकता है.

पैराक्साईड मूल्य 1000 ग्राम वसा के अनुसार पैराक्साइड के मिली तुल्यो की रूप में होगा—

$$\frac{(\text{ए} - \text{बी}) \times \text{एन} \times 1000}{\text{डब्ल्यू}}$$

जहां ए— मूने का अनुमापन
बी—शून्य
एन—थायोसल्फेट की साधारणता
डब्ल्यू—परीक्षण के लिए ली गयी वसा का भार

2. मुक्त वसा अम्ल के प्राक्कलन की प्रक्रिया.

लगभग 5 ग्राम वसा वाले क्लोरोफार्म के एक एलिकवाट को तोलने वाले शंक्वाकार फ्लास्क में डाला जाएगा। जल तापन पर क्लोरोफार्म वाष्पित किया जाएगा। क्लोरोफार्म के अवशेष वैक्यूम ओवन में वैक्यूम के अधीन हटा दिए जाएंगे। फ्लास्क को क्लोरोफार्म रहित वसा के साथ तोल जाएगा।

फिनोलपिथालिन का सूचक के रूप में प्रयोग करते हुए अल्कोहल (आसुत) हल्के सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल सहित निष्प्रभावित होगा। 50 मिलीलीटर गर्म वसा में निष्प्रभावित अल्कोहल मिलाई जाएगी और फ्लास्क को अच्छी तरह हिलाया जाएगा।

0.1 एन सोडियम हाइड्रोक्साइड सहित अनुमापन तब तक करें जब तक कि गुलाबी रंग जो 30 सैकिण्ड के लिए स्थिर है प्रकट न हो।

टिप्पण. यदि अनुमापन 0.1 एन सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल 0.5 मिली लीटर से कम हो तो 0.02 एन सोडियम हाइड्रोसाक्साइड घोल प्रयुक्त करते हुए निर्धारण दोहराएं।

मुक्त वसीय अम्ल की गणना निम्नानुसार की जाएगी.

तले के रूप में मुक्त वसीय अम्ल प्रतिशत—

$$\frac{\text{ए} - \text{एन} - 28.2}{\text{डब्ल्यू}}$$

$$\frac{\text{ए} \times \text{एन} \times 28.2}{\text{डब्ल्यू}}$$

जहां ए=सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल का मिलीलीटर
एन=सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल की प्रमामान्यता तथा
डब्ल्यू=परीक्षण के लिए ली गयी वसा का भार

उपाबंध 1

परेषणानुसार निरीक्षण की प्रक्रिया :

1. निरीक्षण का आधार

(1) काजू की गिरियों का निरीक्षण यह देखने के विचार से किया जाएगा कि वे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 के अधीन मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप हैं तथा उन पर समुचित श्रेणी अभिधान लेबल लगाया गया है।

(2) काजू की गिरियों को निर्यात करने का इच्छुक व्यक्ति स्वास्थ्य जनक परिसरों में काजू की गिरियों का भूनने, छिलका उतारने, सुखाने और श्रेणीकरण करके उनका परेक्षण इस ढंग से बनाएगा कि परेषण मान्यता प्राप्त श्रेणीकरण विनिर्देशों में से किसी एक के अनुरूप हो।

(3) निर्यातिकर्ता, उपरोक्त उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति में काजू की गिरियां तैयार करने के पश्चात् निर्यातिकर्ता भा० मा० 916 (संशोधित प्रति) के अनुरूप उन्हें नए साफ, सूखे और लीकप्रूफ डिब्बों में पैक करेगा। प्रत्येक टिन इसी प्रकार से बंद किया जाएगा तथा अभिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट ढंग से सील बंद किए जाएंगे।

(4) टिन इसके पश्चात् श्रेणी अभिदान लेबलों से चिन्हित किया जाएगा तथा नालीदार तन्तु बोर्ड डिब्बों में पैक किया जाएगा। सीलबंद टिन में पैक करने के लिए प्रयुक्त नालीदार तन्तु बोर्ड दोहरी के नालीदार तन्तु बोर्ड का होगा जो 25 किलोग्राम अन्तर्वस्तु के लिए भा० मा० 277-भाग-1 (संशोधित प्रति) के अनुसार उचित होगा।

(5) श्रेणी अभिधान लेबलों को प्रयोग करने का इच्छुक निर्यातिकर्ता ऐसे लेबलों की अपेक्षाओं की स्वीकृति अभिकरण के निकटतम कार्यालय से प्राप्त करेगा।

(6) एक डिब्बे में केवल एक ही श्रेणी की काजू की गिरियों का पैक किया जाएगा।

(2) निरीक्षण की प्रक्रिया :—

(1) काजू की गिरियों का निर्यात करने का इच्छुक निर्यातिकर्ता निर्यात के लिए आशयित परेषण की विशिष्टियां देते हुए, अभिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अभिकरण के किसी अधिकारी को आवेदन पत्र देगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन पत्र निर्यात के लिए लदान के प्रारंभ की तारीख से कम से कम सात दिन भुनी तथा नमक लगाई हुई काजू की गिरियों की दशा में 15 दिन के पहले दिया जाएगा।

(3) उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, अभिकरण निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार यह समाधान करने की दृष्टि से काजू की गिरियों के परेषण का निरीक्षण करेगा कि परेषण का उपरोक्त नियम 1 में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार श्रेणीकरण किया गया है, उस पर लेबल लगाया गया है और पैक किया गया है। निर्यातिकर्ता अभिकरण को ऐसा निरीक्षण कर सकने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं देगा।

(4) यदि निरीक्षण के पश्चात् अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि निर्यात की जाने वाली काजू की गिरियों का परेषण नियम 1 में निर्दिष्ट विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है तो वह सूचना प्राप्त होने के सात दिन भुनी तथा नमक लगी हुई काजू की गिरियों की स्थिति में 15 दिन के भीतर यह घोषित करने वाला प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि परेषण निर्यात योग्य है।

(5) जब अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता है, जहां वह सात दिन भुनी तथा नमक लगी हुई काजू की गिरियों की स्थिति में 15 दिन की उक्त अवधि के भीतर, ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार कर देगा तथा ऐसे इंकार की सूचना उसके कारणों सहित लिखित रूप में निर्यातिकर्ता को देगा।

(6) प्रमाण पत्र के पश्चात् भी अभिकरण को भण्डारकरण के किसी स्थान पर अभिवहन के दौरान या उसके वस्तुतः लदान से पूर्व पत्तनों पर परेषण की क्वालिटी पुनः निर्धारित करने का अधिकार होगा।

(7) यदि इन प्रक्रमों में से किसी भी प्रक्रम पर परेषण यह पाया जाता है कि मानक विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है तो मूल रूप से जारी किया गया प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जाएगा।

(3) निरीक्षण का स्थान :

इन नियमों के प्रयोजन के लिए निरीक्षण निर्यातिकर्ता के उन परिसरों पर किया जाएगा जहां माल निरीक्षण के लिए रखा जाएगा, परन्तु यह तब जब कि वहां निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों।

उपाबंध II

उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण के लिए प्रसंस्करण यूनिटों द्वारा नियंत्रण स्तर का अपनाया जाना।

क्वालिटी नियंत्रण : अधिकरण द्वारा अनुमोदित केवल प्रसंस्करण यूनिट ही निर्यात के लिए काजू की गिरियों का प्रसंस्करण करने के पात्र होंगी तथा ऐसा अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अर्हित होने के लिए एक यूनिट के पास नीचे विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाएं होनी चाहिएं।

1. **संभरक यूनिटें**

साधारण : अधिकरण द्वारा अनुमोदित केवल संभरण यूनिटें ही निर्यात के लिए कच्ची काजू की गिरियों को संसाधित करेंगी। यूनिट में विद्यमान कीट विज्ञान संबंधी पहलुओं के प्रति विशेष निदेश से सफाई तथा स्वास्थ्य की स्थितियों के विनिर्णय के लिए तथा निर्यात के लिए काजू की गिरियों के प्रसंस्करण हेतु उपलब्ध न्यूनतम सुविधाओं की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए संभरक यूनिटें/शाखा कारखाने अधिकरण द्वारा मूल्यांकन किए जाने के अधीन होंगे। संभरक यूनिट के पास नीचे विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाएं होंगी।

1.1 **परिवेश और निर्माण**

(1) उन यूनिटों का परिवेश, जो प्रसंस्करणकर्ता के भौतिक नियंत्रण के अधीन हैं, ऐसा होगा जिससे किसी की सफाई की कोई समस्या नहीं होगी।

(2) भवन ठोस समाधान प्रद रूप में रखे जाएंगें।

(3) कार्य करने वाले कक्षों को प्रसन की किसी भी जोखिम से बचाने के लिए अच्छी अवस्था में रखा जाएगा।

2 प्रसंस्करण क्षेत्र :

(1) कच्ची गिरी के गोदाम तथा प्रसंस्करण कक्ष इस प्रकार के होंगे कि प्रभावशाली प्रति पीडक तथा पीडकहरण संक्रियाएं की जा सकें।

(2) प्रसंस्करण कक्षों में कृतक पक्षियों तथा सजातियों का प्रवेश रोकने के लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी।

(3) सभी कार्य क्षेत्रों में अच्छी रोशनी होगी।

(4) खाद्य उत्पादों के भंडारकरण के लिए प्रयोग किये गए क्षेत्र या कक्ष या डिब्बे उनसे पृथक और सुचिन्ह होंगे, जो अखाद्य सामग्री के लिए प्रयोग किए गए हैं।

(5) सभी बर्तन, ट्रे, मेज की सतह, जो सामग्री के सम्पर्क में आती है, प्रयोग के पूर्व, पश्चात् तथा प्रयोग के अन्तरालों के दौरान जब भी आवश्यक हों, साफ की जाएंगी।

1.3 प्रसाधन सुविधा :

(1) यूनिट में विधि के अधीन तथा अपेक्षित पर्याप्त प्रशाधन सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। प्रसाधनों में साबुन तथा पर्याप्त पानी के प्रदाय का प्रबंध किया जाएगा।

1.4 कार्मिकों का स्वास्थ्य तथा स्वच्छता :

(1) संयंत्र का प्रबंध मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में यह जानकारी हो कि वह संचारी रोग से पीड़ित है, यूनिट के किसी भी क्षेत्र में काम करने की अनुमति न दी जाए।

(2) प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी व्यक्ति कार्य करते समय अपनी अत्यधिक सफाई रखेंगें।

(3) कार्यकर्ता प्रत्येक अनुपस्थिति के पश्चात् प्रसंस्करण कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व अपने हाथ धोएंगे।

(4) प्रसंस्करण कक्षों में किसी भी रूप में तम्बाकू का चबाना, थूकना तथा धूमपान करना प्रतिषिद्ध होगा।

1.5 परिवहन सुविधाएं :

(1) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पूर्व प्रसंस्कृत तथा तैयार उत्पाद पैक किए जाने वाले केन्द्रों में केवल पालिथीन के स्तर वाले जंग रहित धातु के डिब्बों में ले जाया जाता है।

1.6 निरीक्षण प्रक्रिया :

(1) संभरण यूनिटों के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए निर्यातकर्ता परिषद द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संभरण यूनिटों के ब्यौरे अधिकरण को लिखित रूप में देगा।

(2) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, अधिकरण के अधिकारी यूनिट में प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध सुविधाओं, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य दशाओं विनिर्णय का करने के लिए संभरण यूनिटो में जाएंगें।

(3) यदि यह पाया जाता है कि इन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाएं यूनिट में उपलब्ध है और स्वास्थ्य कर तथा स्वच्छता दशाएं समाधान प्रद हैं और कोई प्रसन समस्या दिखाई नहीं देती है, तो अधिकरण यूनिट का अनुमोदन कर देगा तथा निर्यात के लिए काजू की गिरियों का प्रसंस्करण करने के लिए भी अनुज्ञात कर देगा।

(4) यदि यह पाया जाता है कि यूनिट में न्यूनतम स्वच्छता संबंधी और स्वास्थ्यकर दशाएं नहीं हैं तो प्रसंस्करणकर्ता को उस यूनिट में निर्यात के लिए काजू की गिरियों का प्रसंस्करण करने को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(5) वह यूनिट जिसका अनुमोदन नहीं किया गया है या जिसका अनुमोदन वापस ले लिया गया है, दोषों का सुधार करने के पश्चात् नया अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नए सिरे से आवेदन पत्र दे सकता है।

(6) यदि किसी भी समय, किसी भी कारण से उत्पाद को विनिर्देशों के अनुरूप बनाने में कठिनाई आती है या यदि अधिकरण द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाता है तो अभिकरण को सूचना दे कर निर्यात के लिए उत्पादन को निलम्बित कर दिया जाएगा, परन्तु अभिकरण दोषों का सुधार करने के लिए दो सप्ताह की अवधि की सूचना देगा।

(7) निर्यात के लिए प्रक्रिया केवल तभी पुनः आरम्भ की जाएगी जब अभिकरण उसका लिखित अनुमोदन कर दे।

(8) भूनना, सूखना, छिलका उतारना, श्रेणी करण, भंडारकरण इत्यादि जैसी संसाधन प्रक्रियाएं यूनिट के अनुभवी कार्मिक के पर्यवेक्षणाधीन स्वास्थ्यकर दशाओं में की जाएगी।

(9) प्रसंस्करण संक्रियाओं को, जब भी आवश्यक समझा जाय, अभिकरण के अधिकारी जांचपड़ताल करेंगे।

1.7 **प्रसंस्करण** :

(1) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवश्यक प्रतिपीडक तथा पीडक हरण उपाय कालिकतः तथा जब कभी अभिकरण के अधिकारियों द्वारा सुझाव दिया जाए, किए जाते हैं।

2.0 **पैक करने के केन्द्र** ।

साधारण : अभिकरण द्वारा अनुमोदित पैक किए जाने के केन्द्र ही निर्यात के लिए काजू की गिरियों को पैक करने के पात्र होंगे।

2.0 ऐसे अनुमोदित पैक किए जाने के केन्द्र केवल अनुमोदित संसाधन यूनिटों से ही निर्यात के लिए पैक की जाने वाली गिरियां प्राप्त करेंगे। अनुमोदन के लिए अर्ह होने के लिए पैक करने वाले केन्द्र के पास नीचे यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाएं होनी चाहिए :

2.2 **परिवेश, संनिर्माण तथा अभिन्यास** :

(1) भवन स्थायी/अर्धस्थायी संनिर्माण का होगा तथा अच्छी दशा में रखा जाएगा।

(2) उस परिसर के जो प्रसंस्करणकर्ता के वस्तुगत नियंत्रण के अधीन है, आसपास किसी भी प्रकार का दलदल, कूड़े का ढेर या पशु गृह नहीं होगा।

जो किसी भी प्रकार की सफाई की समस्याओं को उत्पन्न कर सकता हो।

(3) काम की जाने वाली परिसरों से प्रसंस्करण को किसी भी जोखिम से बचाने के लिए अच्छी दशा में रखा जाएगा।

2.3 **प्रसंस्करण क्षेत्र** :

(1) प्रसंस्करण कक्षों से कीटाणुओं, कृन्तकों, पक्षियों तथा सजातियों के प्रवेश का निवारण करने के लिए उपाय किए जाएंगे।

(2) सभी कार्य क्षेत्रों में अच्छी रोशनी होगी।

(3) खाद्य उत्पादों के भंडारकरण के लिए प्रयोग किए गए क्षेत्र या कक्ष उनसे पृथक और सुरक्षित होंगे, जो अखाद्य सामग्री के लिए प्रयोग किए जाते हैं।

(4) प्रसंस्करण संक्रियाओं के दौरान काम करने के क्षेत्र में से अपशिष्ट सामग्री बारबार हटाई जाएगी।

(5) सभी बर्तन, ट्रे, तथा मेज की सतह जो काजू की गिरियों के सम्पर्क में आती है प्रयोग के पूर्व, पश्चात् तथा प्रयोग अन्तरालों के दौरान, जब भी आवश्यक हो साफ की जाएंगी।

(6) सभी छोटे पात्र जैसे ट्रे, बाउल और क्षेत्रों को भरने के लिए प्रवृत्त बर्तन लकड़ी के अतिरिक्त संक्षारण सामग्री से बने होंगे तथा उनकी सतह दरारों से मुक्त चिकनी होगी।

(7) प्रसंस्करण संक्रियाओं के दौरान काम करने के क्षेत्रों से अपशिष्ट बार-बार हटाई जाएगी।

(8) पैकिंग/भराई अनुभाग के प्रवेश पर हाथ धोने की सुविधाएं जैसे हाथ धोने का पात्र तथा साबुन की सुविधा होगी।

2.4 **मशीनरी** :

(1) पैकिंग केन्द्र के पास 26" ऊंचाई के वैक्यूम को निकालने के योग्य एक विटापैक उपकरण काम करने की अच्छी दशा में होगा। वैक्यूमीकरण के दौरान डिब्बों में से निकाली गयी वैक्यूम उपवर्शित करने के लिए मेज के साथ विटापैक लगाया जाएगा।

(2) पैकिंग केन्द्र के भराई अनुभाग में वातीय बाहरी पदार्थ संदघकर्ता (पी एफ एम एस) का प्रबंध किया जाएगा जो गिरियों के साथ विद्यमान बाह्य पदार्थ को पृथक करेगा काजू की गिरियों को भरने का सम्पूर्ण कार्य केवल पी एफ एम एस द्वारा ही किया जाएगा।

(3) स्वास्थ्य दशाओं के अधीन रखे गए पैकिंग केन्द्रों में, गिरियों को अनुकूल रखने के लिए आवश्यक शीतलन सुविधाएं होंगी ।

2.5 प्रसाधन सुविधाएं :

(1) सफाई के प्रकार की पर्याप्त प्रसाधन सुविधाओं का प्रबंध किया जाएगा । प्रसाधनों में साबुन तथा पर्याप्त पानी का प्रबंध किया जाएगा ।

2.6 कार्यकारों का स्वास्थ्य तथा स्वच्छता :

(1) प्लांट प्रबंध मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में यह जानकारी हो कि वह संचारी रोग से पीड़ित है, यूनिट के किसी भी क्षेत्र में काम करने की अनुमति न दी जाए ।

(2) प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी व्यक्ति कार्य करते समय अपनी अत्यधिक सफाई रखेंगे ।

(3) कार्यकर्ता प्रत्येक अनुपस्थिति के पश्चात् प्रसंस्कारण कक्षों में प्रवेश करने के पूर्व अपने हाथ धोएंगे

(4) प्रसंस्करण कक्षों में तम्बाकू का चबाना, थूकना तथा किसी भी रूप में उसका प्रयोग करना प्रतिषिद्ध होगा ।

(5) प्रसंस्करण कक्षों में खाना रखने वाले डिब्बे नहीं रखे जाएंगे ।

(6) प्रबंध मण्डल भराई तथा पैकिंग अनुभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को स्वच्छ एप्रेन (हैड गियर) देगा ।

2.7 पैक करने वाले केन्द्रों का अनुमोदन :

(1) निर्यात करने के लिए काजू की गिरियों को पैक करने का इच्छुक प्रसंकरण कर्ता अपने ऐसा करने के आशय की सूचना लिखित रूप में अभिकरण द्वारा विहित, प्रार्फामों में अभिकरण को देगा ।

(2) ऐसे सूचना प्राप्त होने पर, अभिकरण के अधिकारी पैकिंग यूनिट में यह देखने के लिए जाएंगे कि यूनिट में प्रसंस्करण के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

(3) यदि यह पाया जाता है कि यूनिट में न्यूनतम विहित सुविधाएं हैं तो यूनिट को निर्यात के लिए काजू की गिरियों को पैक करने के लिए अनुमोदित कर दिया जाएगा ।

(4) यदि यह नहीं पाया जाता है कि यूनिट में न्यूनतम विहित सुविधाएं हैं तो यूनिट को निर्यात के लिए काजू की गिरियों को पैक करने के लिए अनुमोदित नहीं किया जाएगा ।

(5) किसी यूनिट को दिया गया अनुमोदन कम से कम दो सप्ताह की सूचना देने के पश्चात निम्नलिखित कारणों से वापस ले लिया जाएगा ।

(i) यदि उपस्कर तथा मशीनरी अच्छी काम करने की दशा में न हों ।

(ii) यदि यूनिट की स्वास्थ्यकर तथा सफाई संबंधी दशाएं समाधानप्रद न हों;

(iii) यदि संभरण यूनिट की स्वास्थ्यकर तथा सफाई संबंधी दशा समाधानप्रद हैं तथा अभिकरण के अधिकारियों ने कीट विज्ञान सर्वेक्षण में कीट ग्रसन के मामलों को देखा है ।

(iv) यदि प्रसंस्करणकर्ता ने परिषद द्वारा जारी किए गए नियमों के उपबंधों का अतिक्रमण या जान-बूझकर अतिक्रमण करने का प्रयत्न किया हो ।

(6) प्रसंस्करणकर्ता को अनुमोदन के ऐसे वापस लेने के बारे में लिखित रूप में सूचना दी जाएगी ।

(7) जब विटापैक मशीन काम करने की विहित दशा में न हो तो यूनिट में विटापैक कार्य नहीं किया जाएगा ।

(8) वह यूनिट जिसका अनुमोदन वापस ले लिया गया है, दोषों को सुधारने के पश्चात् फिर से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नए सिरे से आवेदन पत्र देगा ।

(9) यदि किसी भी यूनिट को किसी भी समय किसी कारण से अपेक्षाओं की अनुरूपता बनाए रखने में कोई कठिनाई हो या यदि अभिकरण द्वारा निर्देशित किया गया हो तो अभिकरण को सूचित करते हुए निर्यात के लिए उत्पाद निलम्बित कर दिया जाएगा ।

(10) निर्यात के लिए प्रसंकरण को केवल तभी पुनः आरम्भ किया जाएगा जब वह लिखित रूप में अभिकरण द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए ।

2.8 काजू की गिरियों की पैकिंग तथा भराव :

(1) निर्यात के लिए काजू की गिरियों को पैक करने का इच्छुक निर्यातकर्ता उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण मापों के स्तरों का प्रयोग करते हुए इन नियमों में निर्दिष्ट काजू की गिरियों की प्रक्रिया के पश्चात उन्हें भारतीय मानक 916 (संशोधित प्रति) के अनुरूप नए साफ सूखें और लीकप्रूफ डिब्बों में पैक करेगा । प्रत्येक टिन भली प्रकार से बंद किए जाएंगे तथा अभिकरण द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट ढंग से सीलबंद किए जाएंगे ।

(2) टिन इसके पश्चात श्रेणी अभिधान लेबलों से विहित किया जाएगा तथा नालीदार तन्तु बोर्ड डिब्बों में पैक किया जाएगा सीलबंध टिन पैक करने के लिए प्रयुक्त नालीदार तन्तु बोर्ड दोहरी तह के नालीदार तन्तु बोर्ड का होगा जो 25 किलोग्राम अन्तर्वस्तु के लिए भा० मा० 277 भाग I (संशोधित प्रति) के अनुसार उचित होगा।

(3) श्रेणी अभिधान लेबलों को प्रयोग करने का इच्छुक निर्यातकर्ता ऐसे लेबलों की अपेक्षाओं की स्वीकृति अभिकरण के निकटतम कार्यालय से प्राप्त करेगा

(4) एक डिब्बे में केवल एक ही श्रेणी की काजू की गिरियों को पैक किया जाएगा।

3. संयुक्त युनिटें :

(1) एक संयुक्त काजू के कारखाने में जिसमें दोनों-निर्यात के लिए काजू की गिरियों का प्रसंस्करण करने तथा पैक करने की सुविधाएं हैं, अनुमोदन के लिए पात्र होने के लिए संभरण यूनिट तथा पैकिंग केन्द्र के लिए विहित सुविधाएं होंगी ऐसी यूनिटों के लिए एक संयुक्त अनुमोदन पर्याप्त होगा।

4. अभिलेखों का रखा जाना :

(1) काजू की गिरियों के प्रसंस्करण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए प्रसंस्करण कर्ता संबंधित परिसरों पर आवश्यक अभिलेख/रजिस्टर रखेगा और ये अभिकरण के अधिकारियों को निरीक्षण के लिए जब भी अपेक्षित हो, उपलब्ध कराए जाएंगें।

5. निरीक्षण की प्रक्रिया

(1) काजू की गिरियों के परेषण का निर्यात करने का इच्छुक निर्यात कर्ता इस आधार पर विहित प्रोफार्मा में अभिकरण को, लिखित रूप में सूचना देगा तथा ऐसी सूचना के साथ इस आशय का घोषणा पत्र भी देगा कि काजू की गिरियों का परेषण इस संबंध में अभिकरण द्वारा यथा विहित उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण मापों के स्तरों को अपनाते हुए प्रसंस्कृत किया गया है।

(2) ऐसी सूचना पोत लदान के लिए प्रमाण पत्र की प्राप्ति की अपेक्षित तारीख से कम से कम पांच कार्य दिवस (भुनी हुई तथा नमक लगी हुई काजू की गिरियों के संबंध में 10 दिन) से पूर्व अभिकरण के कार्यालय को पहुंच जाएगी।

(3) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर अभिकरण सामान्यत : अपेक्षित रूप से जांच नमूने लेगा और यदि अभिकरण का समाधान हो जाता है कि निर्यात किया जाने वाला परेषण विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप है तो वह निर्यातकर्ता को यह घोषणा करते हुए कि परेषण निर्यात करने योग्य है, प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(4) जब अभिकरण का इस प्रकार का समाधान नहीं होता है तो वह ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर देगा तथा ऐसे इंकार की आने की सूचना उसके कारणों सहित लिखित रूप में निर्यातकर्ता को देगा।

(5) निरीक्षण के प्रयोजन के लिए अभिकरण के अधिकारी की मुसंगत अभिलेखों और उन परिसरों तक, जहां काजू की गिरियों का प्रसंस्करण पैकिंग तथा भंडारकरण किया जाता है, पहुंच होगी।

(6) प्रमाणन के पश्चात भी अभिकरण को भंडारकरण के किसी स्थान पर या अभिवहन के दौरान या पत्तनों पर उसके लदान से पूर्व परेषण को क्वालिटी पुनः निर्धारित करने का अधिकार होगा।

(7) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाता है कि परेषण मानक विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है तो मूल रूप से जारी किया गया प्रमाण पत्र वापस ले लिया जाएगा।

[सं० 6(9)/83 ई० आई० एण्ड ई० पी०]

सी० बी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक

ORDER

S.O. 3914.—Whereas in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India that Cashew Kernels should be subjected to Quality Control and Inspection prior to export.

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule the Central Government in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 1022 and 1023 dated the 26th March, 1966 and S.O. No. 275 dated 21st January, 1978 relating to Cashew Kernels hereby publishes the said proposals for information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestion with respect to the said proposals may forward the same within 45 days of the date of publication of this order in the Official Gazette to the Export Inspection Council, Pragati Tower (11th floor), 26, Rajendra Place, New Delhi-110008.

PROPOSALS

(1) To notify that Cashew Kernels shall be subject to Quality Control and Inspection prior to export;

(2) To specify the type of Quality Control and Inspection in accordance with the draft Export of Cashew Kernels (Quality Control and Inspection) Rules, 1983 as set out in Annexure-I and II to this order as the type of inspection which shall be applied to Cashew Kernels prior to their export;

(3) To recognise :

(a) National and International Standards and standards of other bodies recognised by the EIC.

(b) "Contractual Specification subject to the products specifying the minimum of the characteristics specified in the Schedule to this order".

(4) To prohibit the export of Cashew Kernels in the International trade unless the same are accompanied by a

certificate of inspection issued by an Agency recognised by the Central Government under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 to the effect that Cashew Kernels conform to the standard specifications and are exportworthy.

(5) Nothing in this order shall apply to the export by land, sea or air of samples of Cashew Kernels to prospective buyers, provided that no such sample is in excess of F.O.B. value of Rs. 250.

(6) In this order, 'CASHEW KERNELS', means all type of cashew kernels unscorched, scorched, wholes, pieces, roasted and salted kernels.

DRAFT RULES PROPOSED TO BE MADE UNDER SECTION 17 OF THE EXPORT (QUALITY CONTROL AND INSPECTION) ACT, 1963 (22 of 1963).

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Cashew Kernels (Quality Control and Inspection) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions : In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;

(c) "Agency" means any one of the Agencies established under section 7 of the Act at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras.

3. Quality Control and Inspection : The inspection of cashew kernels intended for export shall be carried out with a view to ensure that cashew kernels conform to the standard specifications recognised under section 6 of the Act, either,

(a) On the basis of inspection and testing of finished products as per the specifications recognised for this purpose by adopting the procedure specified in Annexure-I.

'or'

(b) by ensuring that the product has been processed by exercising the controls at different stages of processing by following the levels of controls as specified in Annexure-II.

4. Inspection Fee :

A fee at the rate of eighty paisa for one tin of 11.34 Kgs of Cashew Kernels or part thereof for adopting the procedure specified in Annexure-I and a fee at the rate of fifty paisa for one tin of 11.34 Kgs of Cashew Kernels for adopting the procedure specified in Annexure-II shall be charged.

In the case of Roasted and Salted Cashew Kernels a fee at the rate of fifty paise for every Rs. 100/- FOB value or part thereof shall be charged subject to a minimum inspection fee of Rs. 50/- for every consignment, under these rules.

5. Appeal :

(a) Any person aggrieved by the refusal of the Agency to accord approved for his unit under clause 2.7.4 and 2.7.5 of Annexure-II or to issue a certificate of export-worthyness under sub-rule (4) of rules 5 of Annexure-II or sub-rule 5 of rule 2 of Annexure-I may within ten days of receipt of the communication of such refusal by it, prefer an appeal to the convener of the concerned Panel of Expert consisting of not less than three, but not more than 7 members, appointed for the purpose by the Central Government.

(b) Atleast two-thirds of the total membership of the Panel of Experts shall consist of trade members.

(c) The quorum of the Panel shall be three.

(d) The appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt.

SCHEDULE

SPECIFICATION FOR CASHEW KERNELS

1. General Characteristics : Cashew Kernels shall have been obtained through shelling and peeling Cashew Nuts (ANACARDIUM OCCIDENTALE)

2. Special Characteristics :

Grade Designation	Trade name/ Shape	Colour	Count/454gms. Size description	Max. Moistures	Broken pieces & NLG Max.	Aflatoxin content	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. Cashew Kernels—White Wholes :						
W—180	White wholes-Characteristic wholes	White paleivory/ light ash	170—180	4.5	5%	Max. 30% P.P.b	Broken kernels and kernels of next lower grade (SW) if any, shall not together exceed 5% at p. plb. the time of inspection.
W—210	-do-	-do-	200—210	,,	,,	,,	The kernels shall be completely free from infestation, insect damage mould, testa, rancidity, scraped, shrivelled black or brown spotosed speckled and foreign matter like hair, dirt soot etc.
W—240	-do-	-do-	220—240	,,	,,	,,	
W—280	-do-	-do-	260—280	,,	,,	,,	
W—320	-do-	-do-	300—320	,,	,,	,,	
W—400	-do-	-do-	350—400	,,	,,	,,	
W—450	-do-	-do-	400—450	,,	,,	,,	
W—500	-do-	-do-	450—500	,,	,,	,,	
	B. Scorched Cashew Kernels—Wholes :						
SW	Scorched Wholes-ch racteristic	Light Brown Light ivory, Light ash or deep ivory	—	4.5	10%	Max. 30% P.P.b.	Broken kernels and kernels of next lower grade (SSW) if any, shall not together exceed 10% at the time of inspection. The kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, testa, rancidity, scrapped, shrivelled, black or brown spotted, speckled and foreign matter like hair, dirt, soot etc.

1	2	3	4	5	6	7	8
	C. Dessert Cashew Kernels Wholes :						
SSW	Scorched Wholes Seconds Characteristic wholes	Light brown Light Blue or deep ivory, slightly scorched, slightly speckled	—	4.5	5%	Max. 30 P.P.b.	Broken Kernels Scraped kernels and kernels of next lower grade (DW) if any, shall not exceed 10% at the time of Inspection. The kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, testa, rancidity deep scorched deep speckled, black or brown spotted and foreign matters like hair, dirt, soot etc.
DW	Dessert Wholes Characteristic wholes	Deep brown Deep blue Scorched Speckled	—	3.5	5%	Max. 30 P.P.b.	The kernels shall be completely free from infestation insect damage mould, testa, rancidity, black or brown spots and foreign matters like hair, dirt, soot etc. Broken kernels, scrapped kernels, if any, shall not exceed 10% at the time of inspection.
	D. Cashew Kernels-White Pieces :						
B.	Butts, Kernels broken crosswise and naturally attached	White/pale ivory or light ash	—	3.5	5%	Max. 30 P.P. b.	Broken pieces or kernels of next lower grade (SB), if any shall not together exceed 5% at the time of inspection. The material shall be completely free from infestation, insect damage mould, testa, rancidity, shrivelled, Speckled Scraped, black or brown spotted and foreign matter like hair, dirt, soot etc.
S	Splits, Kernels, splits naturally lengthwise	White/pale ivory or light ash	—	3.5	5%	Max. 30 P.P.b	Broken pieces or kernels of next lower grade (SS) if, any, shall not together exceed 5% at the time of inspection The material shall be completely free from infestation, insect damage, mould, testa, rancidity, Shrivelled, Speckled Scraped, black or brown spotted and foreign matter like hair, dirt, soot etc.
LWP	Large white pieces.	White/pale ivory or light ash	Kernels broken into more than two pieces and not passing through a 4 mesh/ 16SWG sieve/4.75 mm. I.S. Sieve.	3.5	5%	Max. 30 P.P.b.	Broken pieces or pieces of next lower grade (SP) if, any, together shall not exceed 5% at the time of inspection. The material shall be completely free from infestation insect damage, mould, testa rancidity, scraped, shrivelled speckled, black or brown spotted and foreign matters like hair, dirt, soot etc.
SWP	Small white pieces	White/pale ivory or light ash	Broken kernels smaller than these described as LWP, but not passing through a 6 mesh 20 SWG sieve/2.80mm I.S. Sieve.	3.5	5%	Max. 30 P.P.b.	Broken pieces or pieces of next lower grade (SSP), if any together shall not exceed 5% at the time of inspection. The material shall be completely free from infestation, insect damage, mould, testa, rancidity, scraped, Shrivelled, Speckled, black or brown spotted and foreign matters like hair, dirt, soot etc.

1	2	3	4	5	6	7	8
BB	Baby Bits	..	Plumules and broken kernels smaller than those described as SWP but not passing through a 10 mesh 24 SWG sieve/1.70 mm I.S. Sieve.	3.5		Max. 30 P.P.b.	The material shall be completely free from infestation, insect damage, mould testa, rancidity, scraped, shrivelled, speckled, black or brown spotted and foreign matters like hair, dirt, soot etc.
	E. Cashew Kernels-Scorched Pieces :						
SB	Scorched Butts, Kernels broken cross-wise and naturally attached.	Light brown, light/ ivory, deep ivory/ light ash	..	3.5	5%	Max. 30 P.P.b.	Broken pieces of the next lower grade (DB), if any, together not to exceed 5% at the time of inspection. The material shall be completely free from infestation insect damage, mould testa, rancidity, scraped shrivelled, speckled, black or brown spotted and foreign matters like hair, dirt, soot etc.
SS	Scorched Splits, Kernels Splits naturally lengthwise	Light brown light/ ivory/deep ivory	..	3.5	5%		Broken pieces or the next lower grade (DS) if any, together not exceed 5% at the time of inspection. The material shall be completely free from infestation, insect damage, mould, testa, rancidity, scraped, shrivelled, speckled, black or brown spotted and foreign matters like hair, dirt, spot etc.
SP	Scorched pieces	„	Pieces not passing through a 4 mesh. 16 SWG sieve/4.75 mm I.S. Sieve.	3.5	5%		Broken smaller pieces or the next lower grade (SPS) if, any, together shall not exceed 5% at the time of inspection. The material shall be completely free from infestation, insect damage, mould, testa, rancidity, scraped, shrivelled, speckled, black or brown spotted and foreign matters like hairs dirt, spot etc.
SSP	Scorched small pieces	..	Pieces smaller than SP but not passing through a 6 mesh/ 20 SWG sieve 2.80 mm I.S. Sieve.	3.5	5%		Broken smaller pieces of the next lower grade (DSP) if any, together shall not exceed 5% at the time of inspection. The material shall be completely free from infestation, insect damage, mould testa, rancidity, scraped, shrivelled, speckled, black or brown spotted and foreign matter like hair, dirt, spot etc.
SPS	F. Dessert Cashew Kernels Pieces :						
	Scorched pieces second	Light brown deep ivory or light to deep blue slightly scroched slightly speked.	Kernels broken into pieces but not passing through 4 mesh/ 16 SWG Sieve/4.75 mm I.S. Sieve	3.5	10%		Small broken pieces, scraped and pieces of next lower grade (DP) if any, together shall not exceed 10% at the time of inspection. The material shall be completely free from infestation insect damage, mould, testa, rancidity and foreign matter like hair, dirt, spot etc.
DP	Dessert pieces	Light brown deep ivory or light to deep blue scorched discolured shrivelled.	Kernels broken into pieces but not passing through 4 mesh/ 16 SWG Sieve/4.75 mm I.S. Sieve.	3 5	10%	Max. 30 P.P.b.	Small broken pieces (DSP) and scraped if any, shall not exceed 10% at the time of inspection. The material shall be completely free from infestation, insect damage, mould, testa, rancidity and foreign matters like hair, dirt, spot etc.

1	2	3	4	5	6	7	8
DSP	Dessert small pieces	..	Kernels broken into pieces but not passing through 6 mesh 20 SWG/2.80mm. I.S. Sieve.	3.5	10%	Max. 30 ppb.	The matrial shall be completely free from infestation, insect damage, mould testa, reancidity and foreign matters like hair, dirt, spot etc. Smaller broken pieces and scraped pieces if any, shall not exceed together 10% at the time of inspection.
DB	Desert Butts Kernels broken crosswise and naturally attached.	..	..	3.5	10%	Max. 30 ppb.	The material shall be completely free from infestation, insect damage, mould, testa, ranidity and foreign matters like hair, dirt, spot etc.
DS	Dessert splits Kernels split naturally attached	..	..	3.5	10%	Max 30 ppb.	The material shall be completely free from infestation, insect damage, mould, testa, rancidity, and foreign matters like hair, dirt spot etc.

*NLG denotes Next Lower Grade.

G. Specifications for Roasted and Salted Cashew Kernels

G.1 Raw Materials :

G.1.1 Cashew Kernels, which shall include scorched, unscorched whole or pieces shall be used for roasting and salting.

G.1.2 They shall be completely free from insect infestation of any kind, fungal growth, rancidity and the presence of test.

G.2 Preparation :

G.2.1 Roasted and Salted Cashew Kernels shall be prepared by roasting the Cashew Kernels in any of the recognised cooking media and slating, or through the dry roasting and salting process.

G.2.2 The cooking utensils used shall be of stainless steel.

G.2.3 The moisture content of kernels before roasting shall not be more than 3.5 per cent.

G.3 Product requirements :

G.3.1 The grade designations as stipulated in the contract between the buver and the seller shall be allowed unless they make any misrepresentation of the facts.

G.3.2 The kernels, after the preparation through roasting and salting, on chemical analysis shall be within the acceptance levels shown below :

1. Free fatty acid 0.4% (As oleic) on the weight of extracted fat.
2. Peroxide value 2 meq/0.02 Kg of extracted fat.

The method of estaimation of free fatty acid and Peroxide value in roasted and salted Cashew Kernels shall be as per the method of determination given in the Appendix.

G.3.3 Preservatives and flavouring agents shall be permitted as admissible under the prevention of Food Adulteration Act, 1954.

G.4 Packing

G.4.1 The roasted and salted Cashew Kernels shall be packed in consumer containers of the size and other requirements as may be specified by the buyer.

G.4.2 The kernels may also be foil packed as required in the contract.

G.4.3 The containers shall be new, clean and free from rusing or any kind of damage.

G.4.4 The kernels shall be packed in the containers under vacuum or in the medium of inert gas.

G.4.5 The containers shall be packed in cardboard cartons or disinfacted wooden cases according to the packing requirements of the buyer.

G.4.6 Each cartons or case shall be marked to show :—

(a) name of the product

(b) name of the manufacturer

(c) shipping marks

(d) net and gross weight in Kgs.

G.5 Sealing :

G.5.1 Each consignment after packing shall be suitably sealed as may be specified by the Council.

APPENDIX

Procedure for estimation of Peroxide value in Roasted and Salted Cashew Karnels Weight 50 gms. of Cashew Kernels and Powder these in a Grinder.

Take the powdered material in 250 ml. stoppered conical flask and add 150 ml. of chloroform, keep the flask in shaker over night, Next day the slurry is filtered in a Buchner flask under suction. The residue again mixed with 100 ml. of chloroform and kept in a shaker for two hours and filter The volume of the combined chloroform extracts is than made upto 250 ml.

10 ml. each of the extracts or suitable aliguote portion containing about 0.5 gm. fat is pipetted out into two previously dried and weighed small beakers (25 ml. capacity), chloroform is evaported off by keeping the dishes on water both. Then the dishes are transferred to a vacuum oven maintained at 70°C. Evaporation under vacuum is carried out for one hour. Dishes are taken out, cooled in a desicator and weighed. The dishes are again kept in the oven or 30 minutes, than taken out, cooled and weighed. This process is repeated until the difference between the two consecutives weighings is not more than 5 mg.

Aliquote of the choloroform extract containing about 4 grn. of fat is taken in a 500 ml. stoppered conical flash and required quantity of glacial acetic acid is added to get 2:3 ratio of chloroform acetic acid. 0.5 ml. of saturated potassium iodide solution is pipetted out into this and the solution is allowed to stand with occasional shaking for exactly 1 minutes and ten 50 ml. distilled water is added. titrate this with 0.1 N sodium thisulphate adding is gradually and with constant and vigorous shaking. Titration is continued until the yellow colour has almost disappeared. 0.5 ml. of 1% starch indicator is added and the titration continued until the blue colour just disappeared.

Note :

(1) Conduct blank determination of the reagent daily. Blank titration should not exceed 0.1 ml. of 0.1 N sodium thiosulphate.

(2) If the colour of the solution is light yellow before the start of titration, starch indicator may be added that stage.

(3) If the titration is less than 0.5 ml. of 0.1 N sodium thiosulphate solution, repeat the determination using 0.01 N, sodium, thio-sulphate solution.

The peroxide value may be calculated as under :

Peroxide value as milli equivalents of peroxide per 1000 gms of fat : $\frac{(a-b) \times N \times 1000}{W}$

Where a = tritration of samples

b = blank

N = normality of thiosulphate

W = weight of fat taken for test.

2. Procedure for estimation of Free Fatty Acids.—An aliquet of the chloroform containing about 5 gm. of fat is taken in a weighed conical flask. Chloroform is evaporated off on a water bath. Traces of chloroform is removed under vacuum in the vacuum oven, Flask is weighed with chloroform free fat.

Absolute alochol (Distilled) is neutualised alochol with dilute sodium hydroxide solution using phenolphtalin as indicator. To the fat 50 ml. of hot. neutralised alochol is added and the flask is shaken well. Titrate with 0.1 N. Sodium Hydroxide till a pink colour which is stable for 30 seconds appeared.

Note : If the titration is less than 0.5 ml. of 0.1 N. Sodium Hydroxide solution, repeat the determination using 0.02 N. Sodium Hydroxide solution.

The free fatty acid may be calculated as under :

Free Fatty acid as oleic, percentage = $\frac{A \times N \times 28.2}{W}$

Where A = ml. of the sodium hydroxide solution.

N = normality of the sodium hydroxide solution and

W = Weight in gms of fat taken for test.

ANNEXURE-I

PROCEDURE FOR CONSIGNMENTWISE INSPECTION

1. Basis of Inspection.—(1) Inspection of Cashew Kernels shall be carried out with a view to seeking that the same conforms to the specifications recognised by the Central Government under Section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) and that the proper grade designation label has been affixed.

(2) Any person desiring to export cashew kernels shall prepare a consignment of cashew kernels by roasting, peeling, drying and grading in hygienic premises so as to make the consignment conform to any one of the recognised grade specifications.

(3) After preparing the cashew kernels in the manner specified in sub-rule (2) above, the exporter shall pack the same in new, clean, dry and leak-proof tin container confirming to I.S 916 (latest version). Each tin shall be securely closed and sealed in such manner as may be specified by the Agency from time to time.

(4) The tin shall thereafter be marked with grade designation labels and packed in corrugated fibre board cartons. The corrugated fibre board used for packing sealed tins shall be double wall corrugated fibre board cartons. The corrugated fibre board used for packing sealed tins shall be of double wall corrugated fibre board suitable for a mass content of 25 Kgs. as per IS 2771 Part I (latest version).

(5) Exporters intending to use grade designation labels shall obtain their requirements of such labels from nearest office of the Agency.

(6) Cashew Kernels of only one grade shall be packed in a carton.

2. Procedure for Inspection.—(1) Any exporter intending to export Cashew Kernels shall submit an application to the Agency, or an officer of the Agency authorised in this behalf by the Agency, giving particulars of the consignment intended to be exported.

(2) An application under sub-rule (1) shall be made not less than seven days (15 days in the case of Roasted and Salted Cashew Kernels) before the date of commencement of loading for export.

(3) On receipt of the application referred to in sub-rule (2) the Agency shall inspect the consignment of Cashew Kernels as per the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time, with a view to satisfying itself that the consignment has been graded, labelled and packed in accordance with the rules referred to in rule 1.1 above. The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection.

(4) If, after inspection, the Agency is satisfied that the consignment of Cashew Kernels to be exported complies with the requirements of the specifications referred to in Rule 1, it shall, within seven days (15 days in the case of Roasted and Salted Cashew Kernels) of the receipt of intimation, issue a certificate declaring the consignment of exportworthy.

(5) When the Agency is not so satisfied, it shall, within the said period of seven days (15 days in the case of Roasted and Salted Cashew Kernels) refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter in writing alongwith the reasons therefor.

(6) Subsequent to cartification, the Agency shall have the right to reasses the quality of the consignment at any place of storage, in transit, or at the ports before its actual shipment.

(7) In the event of the consignment being found not conforming to the Standard Specifications at any of these stages, the certificate of inspection originally issued shall be withdrawn.

3. Place of Inspection.—Inspection for the purpose of these rules shall be carried out at the premises of the exporter where the goods are offered for inspection, provided adequate facilities exist therein for inspection.

ANNEXURE-II

CONTROL LEVELS FOR INPROCESS QUALITY CONTROL TO BE ADOPTED BY THE PROCESSING UNITS

Quality Control.—Only processing units approved by the Agency shall be eligible for processing Cashew Kernels for export and submit to quality for such approval shall have the following minimum facilities.

1. Feeder Units General.—Only Feeder units approved by the Agency shall process raw cashewnuts for export. In order to adjudge the sanitary and hygienic conditions

with special reference to ontomological aspects prevailing in the unit and assess the adequency of the minimum facilities available to process Cashew Kernels for export, the feeder units/branch factories shall be subjected to an evaluation by the Agency. A feeder unit shall have the minimum facilities as specified below :

1.1 Surroundings and Construction :

(1) The surroundings of units, which are under the physical control of the processor, shall be such as not to pose any sanitory problems,

(2) The building shed shall be maintained satisfactorily.

(3) The working rooms shall be maintained in good repair to prevent any risk of infestation.

1.2 Processing Areas :

(1) The rawnut godowns and the processing rooms shall be such as to permit effective anti-infestation, and dis-infestation operation.

(2) Arrangements shall be available to prevent entry of rodents, birds and the like into the processing room.

(3) All the working areas shall be well lighted.

(4) Areas or compartments and the containers used for the storage of edible products shall be separated and distinct from those used for inedible materials.

(5) All the utensils, trays and table surface which come intot contact with the material shall be cleaned before, after and during intervals of use as often as necessary.

1.3 Toilet Facility :

(1) Adequate toilet facilities as required under the law shall be provided in the unit. Soap plentiful supply of water shall be provided at the toilet.

1.4 Personnel health and hygiene :

(1) Plant management shall take care to ensure that no person while known to be affected with a communicable disease is permitted to work in any area of the unit.

(2) All persons working in the processing areas shall maintained a high degree of personal cleanliness while on duty.

(3) The workers shall wash their hands before entering the processing room after each absence.

(4) Chewing, spitting and use of tobacco in any form shall be prohibited in the processing rooms.

1.5 Transportation facilities :

(1) It shall be ensured that pre-processed and finished products are transported to the packing centres only in polythene laminated/rusting metallic containers.

1.6 Procedure of Inspection :

(1) For the purpose of assessment of feader units, the exporter shall inform the Agency in writing, in the proforma prescribed by the Council, the details of the feeder units.

(2) On receipt of such information, the Agency officers shall visit the feeder units in order to adjudge the sanitary and hygienic conditions and facilities for processing availble in the unit.

(3) If the unit is found to have the minimum facilities as specified in these rules and the hygienic and sanitary conditions are satisfactory and no infestation problems noticed, the Agency shall approve the unit and permit it to carry out processing of Cashew Kernels for export.

(4) If the unit is found not to have the minimum santiary and hygienic conditions, the processor shall not be allowed to process Cashew Kernels for export in that unit.

(5) A unit which is not approved or whose approval has been withdrawn may, after rectifying the defects, make fresh application to the Agency for getting fresh approval.

(6) If, at any time, there is any difficulty in maintaining, the conformity of the product to the specifications for any reason or is so directed by the Agency, production for export shall be suspended under intimation to the Agency provided, however, that the Agency shall give a notice period of 2 weeks for rectification of defects.

(7) The processing for export shall be resume only after the same is approved by the Agency in writing.

(8) The processing operations such as toasting, drying, peeling, grading, storage etc. shall be carried out in hygienic conditions under the supervision of experienced personnel of the unit.

(9) The processing operations shall be subjected to check by the Agency officers as often as found necessary.

1.7 Processing :

(1) It shall be ensured that necessary anti-infestation and dis-infestation measures are carried out periodically and as and when suggested by the Agency officers.

2.0 Packing Centre :

General.—Only packing centres approved by the Agency shall be eligible for packing Cashew Kernels for export.

2.1 Such approved packing centres shall obtain kernels for packing for export from approved feeder units only. A packing centre to quality for approval shall have minimum facilities as specified belows :

2.2 Surroundings, Constructions and layout :

(1) The buildings shall be of permanent/semi-permanent construction and kept in good repair.

(2) The surrounding which are under the physical control of the processor shall not have any swamps, dumpsor, animal housing nearby, which mgiht pose any senitary problems.

(3) The working premises shall be kept in good repair to prevent any risk of Infestation.

2.3 Processing areas :

(1) measures shall be adopted to protect against entry of insects, rodents, birds and the like into the processing rooms.

(2) All the working areas shall be well lighted.

(3) Areas or compartments used for the storage of edible products shall be separate and distinct from those used or inedible materials.

(4) Waste material shall be frequently removed from the working areas during processing operations.

(5) All the utensils, trays and table surface which come in contact with Cashew Kernels shall be cleaned before, after and during intervals of use as often as necessary.

(6) All small receptacles like trays, bowls and utensils used in filling areas shall be of non-corrodible materials other than wood, and shall also have smooth surfaces free from crevices.

(7) Rejected materials shall be frequently removed from the working areas during processing operations.

(8) Hand washing facility such as wash basin and soap shall be provided at the entrance to the packing/filling section.

2.4 Machinery :

(1) The packing centre shall have a vitapack equipment in good working condition capable of drawing a vacuum of 26" HG. The vitapack shall be fitted with a guage to indicate the vacuum drawn the tine durmg vacuumisation.

(2) The packing centre shall be provided with a pneumatic foreign matter segregator (PFMS) in the filling section to segregate any foreign matter that may be present with the kernels. The entire filling operations of Cashew Kernels shall be done only through PFMS.

(3) The packing centre shall have necessary cooling facilities for conditioning the kernels, maintained under hygienic conditions.

2.5 Toilet Facility :

(1) Adequate toilet facilities of sanitary type shall be provided. Soap and plentiful supply of water shall be provided at the toilets.

2.6 Personal Health and Hygiene :

(1) Plant management shall take care to ensure that no person while known to be affected with a communicable diseas is permitted to work in any area of the unit.

(2) All persons working in the processing area shall maintain a high degree of personal cleaniness while on duty.

(3) The workers shall wash their hands before entering the processing rooms after each absence.

(4) Chewing, spitting and use of tobacco in any form shall be prohibited in the processing rooms.

(5) Lunch boxes shall not be kept in the processing rooms.

(6) The management shall provide clean Aprons and headgears to the employees working in the filling and packing sections.

2.7 Approval of packing centre :

(1) A processor intending to pack Cashew Kernels for export shall inform his intention to do so in writing, in the proforma prescribed by the Agency in this behalf.

(2) On receipt of such information, the Agency Officers shall visit the packing unit in order to adjudge the facilities for processing available in the unit.

(3) If the unit is found to have the minimum prescribed facilities the unit shall be approve to pack Cashew Kernels for export.

(4) If the unit is found not to have the minmum prescribed facilities the unit shall not be approved to pack Cashew Kernels for export.

(5) The approval so accorded shall be withdrawn in respect of a unit for the following reasons, after giving a notice of minimum period of two weeks.

(i) If the equipments and machinery are not in good working condition;

(ii) If the sanitary and hygienic conditions of the unit are not satisfactory;

(iii) If the sanitory and hygienic conditions of the feeder unit are not satisfactory and cases of infestation have been reported in the entomological survey by the Agency Officers

(iv) If the processor has violated or deleberately attempted to violate the provisions of the rules issued by the Council.

(6) Such withdrawal of approval shall be intimated in writing to the processor.

(7) No vitapacking work shall be undertaken in the unit, when the vitapack machine is not in the prescribed working condition.

(8) A unit, whose approval has been withdrawn, may, after rectifying the defects, make a fresh application to the Agency for obtaining fresh approval.

(9) If at any time, there is any difficulty for a unit in maintaining the conformity to the requirements for any reason or if directed by the Agency, production for export shall be suspended under intimation to the Agency.

(10) The processing for export shall be resumed only after the same is approved by the Agency in writing.

2.8 Filling and Packing of Cashew Kernels :

(1) An exporter intending to pack Cashew Kernels for export shall after preparing the Cashew Kernels in the behalf specified in these rules exercising the levels of in-process Quality Control measures shall pack the same in new, clean, dry and leak-proof tin containers conformity to IS 916 (latest verson). Each tin shall be securely closed and sealed in such manner as may be specified by the Agency from time to time.

(2) The tin shall thereafter, be marked with grade designation labels and packed in corrugated fibre board cartons. The corrugated fibre board used for packing sealed tins shall be of double wal corrugated fibre board suitable for a mass content of 25 Kgs. (as per I.S. 277)-Part I (latest version).

(3) Exporters intending to use grade designation labels shall obtain their requirements of such lables from the nearest office of the Agency.

(4) Cashew Kernels of only one grade shall be packed in a carton.

3. Composite Unit :

(1) A composite cashew factory having facilities for both processing and packing of Cashew Kernels for export shall have the prescribed facilities of the feeder unit and the packing centre to be eligible for approval. For such units a composite approval will be sufficient.

4. Maintenance of records :

(1) Necessary records/registers shall be maintained by the processor at the respective premises in order to ensure effective control of the processing of cashew kernels and these shall be made available to the Agency Officers for inspection as and when required.

5. Procedure of Inspection :

(1) An exporter intending to export a consignment of cashew kernels shall give intimation to the Agency in writing in the proforma prescribed in this behalf and submit along with such intimation a declaration to the effect that the consignment of Cashew Kernels has been processed adopting the levels of in-process quality control measures as prescribed by the Agency in this regard.

(2) Such intimation shall reach the Agency office not less than five working days (10 of in the case of Roasted and Salted Cashew Kernels) prior to the required date of receipt of certificate for shipment.

(3) On receipt of such intimation, the Agency shall normally draw check samples as required, and if the Agency is satisfied that the consignment to be exported complies with the specified standards it shall issue a certificate to the exporter declaring the consignment exportworthy.

(4) When the Agency is not so satisfied, it shall refuse to issue such certificate and communicate such refusal in writing to the exporter along with the reasons therefor.

(5) For the purpose of inspection, the Agency officer shall have access to relevant records and premises where processing, packing and storage of Cashew Kernels are carried out.

(6) Subseqeunt to certification, the Agency shall have the right to reassess the quality of the consignment at any place of storage, while in transit or at the ports before its actual shipment.

(7) In the event of the consignment being found not conforming to the standard specifications at any of these stages, the certificate of inspection originally issued shall be withdrawn.

[F. No. 5(4)/83-EI&EP]

का०आ० 3915 :—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बेशे-दा-मीट के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1978* का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बेशे-दा-मीट निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बेशे-दा-मीट निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1983** में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात —
"3 निरीक्षण का आधार—निर्यात की जाने वाली बेशे-दा-मीट का निरीक्षण यह देखने के विचार से किया जाएगा कि इसकी क्वालिटी इन नियमों के उपाबंध में दिए गए मानक विनिर्देशों के अनुरूप है।

उपाबंध

सुखाई हुई बेशे-दा-मीट के लिए विनिर्देश

10.1 सें०मी० तथा अधिक	पृष्ठीय ओर से	मसालों की विशिष्ट	सुखाई हुई बेशे-दा-मीट
(4″–6″) 7.6 सें०मी० से 10.0 सें०मी० (3″–4″) 5.0 सें०मी० से 7.5 सें०मी० (2″–3″) 5.0 सें०मी० से कम (2″)	काले की ओर गहरा भूरा तथा उदर की ओर से हल्का सफेद	गंध और किसी भी दुर्गंध से रहित होगी	होलोयूरिया स्केबर मसालों से तैयार की जाएगी सामग्री भली प्रकार सुखाई-जाएगी। तथा फफूंदी, कीड़ो तथा अणु बाधा से रहित होगी। यह किसी दृष्टिगत संदूषणों से भी रहित होगी उसमें किनारों पर सफेद पदार्थ अधिक नहीं होगा। सुखाई हुई बेशे-दा-मीट का विशिष्ट आकार होगा।

टिप्पण: बचे खुचे सहित अगले उच्च तथा निम्न आकार के आधार पर 5 प्रतिशत की सहायता अनुमोदित की जाएगी।

[सं० 6(30)/76-ई०आई०एण्ड ई०पी०]

पाद टिप्पण

*का०आ० 1272 तारीख 14-4-1979 का०आ० 2136 तारीख 22-7-1978 के अनुसार शुद्धि पत्र।

**का०आ० 1787 तारीख 5-7-1980 तथा का०आ० 2791 तारीख 18-10-1980 के अनुसार शुद्धिपत्र।

S.O. 3915.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following Rules to further amend the Export of Beche-de-mer (Inspection) Rules, 1978.*

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Beche-de-mer (Inspection) Amendment Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Beche-de-mer (Inspection) Amendment Rules, 1980**, the Rule 3, shall be substituted as follows :—

"3. Basis of Inspection-Inspection of Beche-de-mer for export shall be carried out with a view to seeing that the quality of the same conforms to the standard specifications as set out in the Annexure to these rules.

ANNEXURE

SPECIFICATIONS FOR DRIED BACHE-DE-MER

10.1 cm. and above (4″—6″) 7.6 cm. to 10.0 cm (3″—4″) 5.0 cm. to 7.5 cm (2″—3″) Below 5.0 cm. (2″)	Dark Brown to Black on the dorsal side and pale white in the Ventral side.	Characteristic Odour of the species and shall be free from any off.	Dried Bache-de-mer shall be prepared from the species Holothuria scabra. The material shall be properly dried and free from fungal, insect and mite infestation. It shall be also free from any visible contamination. There should not be too much white discharge at the out ends. The dried Bache-de-mer shall have the characteristic shape.

Note:—A tolerance of 5% by weight of the next higher or lower size grade alongwith brokens shall be permitted.

[NO. 6(30)/76-EI&EP]

Foot Note:
*S.O. 2136 dated 22-7-1978 and corrigendum vide S.O. 1272 dated 14-4-1979.
**S.O. 1787 dated 5-7-1980 and corrigendum vide S.O. 2791 dated 18-10-1980.

का०आ० 3916.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं०का०आ० 824(इ) तारीख 30 सितम्बर, 1980 को अधिक्रांत करते हुए, बासमती चावल का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1980* में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बासमती चावल का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बासमती चावल का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1980 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 2 में:—

(i) खंड (ग) में "कोई अन्य अभिकरण" शब्दों के स्थान पर "या अधिनियम की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित किसी भी निर्यात निरीक्षण अभिकरण " शब्द रखे जाएंगे।

(ii) खंड (घ) में "या अधिनियम की धारा 7 के अधीन मान्यता प्राप्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा" शब्दों के स्थान पर "या अधिनियम की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित किसी भी निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा" शब्द रखे जाएंगे।

(iii) खंड (ङ) में "या अधिनियम की धारा 7 के अधीन मान्यता प्राप्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा" शब्दों के स्थान पर "या अधिनियम की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित किसी भी निर्यात निरीक्षण अधिकरण द्वारा" शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 4 में—

(i) उपनियम 1 में "या अधिनियम की धारा 7 के अधीन मान्यता प्राप्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा " शब्द के स्थान पर "या अधिनियम की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित किसी भी निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) उपनियम (2) में "या अधिनियम की धारा 7 के अधीन मान्यता प्राप्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा" शब्दों के स्थान पर "या अधिनियम की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित किसी भी निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा" शब्द रखे जाएंगे।

(iii) उपनियम (3) में "या अधिनियम की धारा 7 के अधीन मान्यताप्राप्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा" शब्दों के स्थान पर "या अधिनियम की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित किसी भी निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा" शब्द रखे जाएंगे।

(iv) उपनियम (5) में "या अधिनियम की धारा 7 के अधीन मान्यता प्राप्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा" शब्दों के स्थान पर "या अधिनियम की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित किसी भी निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा" शब्द रखे जाएंगे।

(v) उपनियम (6) में "या अधिनियम की धारा 7 के अधीन मान्यताप्राप्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा" शब्दों के स्थान पर "या अधिनियम की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित किसी भी निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा" शब्द रखे जाएंगे।

(vi) उपनियम (7) में "या अधिनियम की धारा 7 के अधीन मान्यता प्राप्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा" शब्दों के स्थान पर "या अधिनियम की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित किसी भी निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा" शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम (6) में "या अधिनियम की धारा 7 के अधीन मान्यताप्राप्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा" शब्दों के स्थान पर "या अधिनियम की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित किसी भी निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा" शब्द रखे जाएंगे।

उक्त नियमों के नियम 8 में :—

(i) "या अधिनियम की धारा 7 के अधीन मान्यता प्राप्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा" शब्दों के स्थान पर "या अधिनियम की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित किसी भी निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) "कृषि विपणन सलाहकार का निर्णय अन्तिम होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा।

[सं० 6(8)/77-ई०आई० एण्ड ई०पी०]

सी०बी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक

S.O. 3916.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 824 (E) dated 30th September, 1980, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Basmati Rice (Inspection) Rules, 1980*, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Basmati Rice (Inspection) Amendment Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In rule 2 of the Export of Basmati Rice (Inspection) Rules, 1980 (hereinafter referred to as the said Rules)—

(i) in clause (c) for the words "any other agency" the words "or any of the Export Inspection Agencies established by the Central Government at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Act" shall be substituted.

(ii) in clause (d) for the words "or by any other agency recognised under section 7 of the Act" the words "or by any of the Export Inspection Agencies established by the Central Government at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Act" shall be substituted.

(iii) in clause (e) for the words "or by any other Agency recognised under section 7 of the Act* the words "or by any of the Export Inspection Agencies setablished by the Central Government at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Act" shall be substituted.

3. In rule 4 of the said rules.—

(i) In sub-rule (1) for the words "or by any other agency recognised under section 7 of the Act, the words "or by any of the Export Inspection Agencies established by the Central Government at Bombay, Catculta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Act" shall be substituted.

(ii) In sub-rule (2) for the words "or by any other agency recognised under section 7 of the Act" the words "or by any of the Export Inspection Agencies established by the Central Government at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Act" shall be substituted.

(iii) In sub-rule (3) for the words "or by any other agency recognised under section 7 of the Act" the words "or by any of the Export Inspection Agencies established by the Central Government at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Act, shall be substituted.

(iv) in sub-rule (5) for the words "or by any other agency recognised under section 7 of the Act" the words "or by any of the Export Inspection Agencies established by the Central Government at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Act" shall be substituted.

(v) in sub-rule (6) for the words "or by any other agency recognised under section 7 of the Act" the words "or by any of the Export Inspection Agencies established by the Central Government at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Act" shall be substituted.

(vi) in sub-rule (7) for the words "or by any other agency recognised under section 7 of the Act" the words "or by any of the Export Inspection Agencies established by the Central Government at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Act" shall be substituted.

4. In rule 6 of the said rules for the words "or by any other agency recognised under section 7 of the Act" the words "or by any of the Export Inspection Agencies established by the Central Government at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Act, shall be substituted.

5. In the rule 8 of the said rules :

(i) For the words "or to any other agency recognised under section 7 of the Act" the words "or to any of the Export Inspection Agencies established by the Central Government at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Act" shall be substituted.

(ii) The words "The decision of the Agricultural Marketing Adviser shall be final" shall be omitted.

[No. 6 (8)/77-EN&EP]

C.B. KUKRETI, Jt. Director

Foot Notes :

S.O. 1026, dated 19-4-1980

मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1983

का०आ० 3917.—सर्वश्री योगी रेस्टोरेन्ट, 403 के, सियोन ट्राम्बे रोड चैम्बर, बम्बई को अलकोहल/शराब/स्प्रिट (जिन और बीयर को छोड़कर) का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस पी/ए/1455911 दिनांक 26-4-82 प्रदान किया गया था।

2. होटल ने अब उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि आयात लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति अभी तक सर्वथा अप्रयुक्त है एवं किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराए बिना ही खो गई है। होटल इस बात से सहमत है और वचन दिया है कि यदि मुद्रा विनिमय नियंत्रण की मूल प्रति खोज ली जाएगी तो उसे रिकार्ड के लिए इस कार्यालय को लौटा देंगे।

3. अपने तर्क के समर्थन में होटल योगी, बम्बई ने आयात-निर्यात क्रियाविधि पुस्तक, 1983-84 के अध्याय 15 के पैरा 353 की शर्त के अनुसार एक शपथ पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट है कि आयात लाइसेंस सं० पी/ए/1455911 दिनांक 26-4-82 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है और निदेश देता है कि आयात लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि आवेदक को जारी की जाए। मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति रद्द कर दी गई है।

4. आयात लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि अलग से जारी की जा रही है।

[मिसिल सं० 2-वाई/होटल/81-82/जीएल एस/359]

शंकर चन्द, उप मुख्य नियंत्रक,
आयात एवं निर्यात,
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS & EXPORTS

ORDER

New Delhi, the 30th September, 1983

S.O. 3917.—M|s. Yogi Restaurant, 403-K, the Trombay Road, Chamber, Bombay was granted an Import Licence No. P|A|1455911 dt. 26-4-82 for the import of Liquor Wines|Sprits (Excluding Gin & Beer).

2. The Hotel has now requested for issue of duplicate exchange control copy of the above Licence on the ground that the original Exchange Control Copy of Import Licence has been lost without being registered with the Customs authority and utilised at all. The Hotel agrees and under takes to return the origional Exchange Control Copy if tranced later on to this office for record.

3. In support of the contention, The Hotel Yogi, Bombay have filed an affidavit as required in terms of para 353 of Chapter XV of Hand Book of Import Export Procedure 1983-84. The Undersigned is satisfied that the original (Exchange Control Copy of the Import Licence No. P|A|1455911 dt. 26-4-82 has been lost and directs that duplicate exchange control copy of the Import Licence may be issued to the applicant. The original Exchange Control Copy has been cancelled.

4. The duplicate exchange control copy of the Import Licence is being issued separetely.

[F. No. 2-Y|Hotel|81-82|IGLS|359]

SHANKAR CHAND, Dy. Chief Controller of Imports & Exports
For Chief Controller of Imports and Exports.

नागरिक पूर्ति मंत्रालय

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 1983-09-21

का०आ० 3918.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाण चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 8 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन, 304 लाइसेंसों के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, उनका मार्च 1983 में स्वीकरण किया गया है।

अनुसूची

क्रम संख्या	सीएम/एल संख्या	से	तक	भारतीय मानक विशिष्टि की पद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	00051 11	83-02-01	84-01-31	IS : 10 (भाग 2) —1976
2.	00052 12	83-02-01	84-01-31	IS : 10 (भाग 2) —1976
3.	00131 10	83-01-16	84-01-15	IS : 561–1978
4.	00156 19	83-01-16	84-01-15	IS : 220–1972
5.	00272 22	83-02-16	84-02-15	IS : 398 (भाग 2) —1976

1	2	3	4	5
6.	00386 31	83-03-16	84-03-15	IS : 1320–1981
7.	00522 22	83-01-01	83-12-31	IS : 10 (भाग 2) —1976
8.	00943 38	83-04-01	84-03-31	JS : 2818 (भाग 2) —1973
9.	00998 53	83-02-16	84-02-15	2552–1979
10.	01196 31	83-01-01	83-12-31	IS : 2556–1973
11.	01494 38	83-03-01	84-02-29	IS : 2645–1975
12.	01605 27	83-03-16	84-04-15	IS : 10 (भाग 4) —1976
13.	01650 32	83-03-16	84-03-15	IS : 398 (भाग 1) –1976
14.	01876 48	83-03-16	84-03-15	IS : 10 '(भाग 2) –1976
15.	01895 51	83-02-01	84-01-31	IS : 245–1970
16.	01916 39	83-01-01	83-12-31	IS : 561–1978
17.	02003 11	83-02-01	84-01-31	IS : 1029–1970
18.	02017 17	83-01-01	84-07-15	IS : 774–1971
19.	02167 30	82-12-16	83-12-15	IS : 1660–1967
20.	02174 29	83-02-16	84-02-15	IS : 10 (भाग 4) –1976
21.	02220 18	83-02-01	84-01-31	IS : 560–1980
22.	02238 28	83-02-01	84-01-31	IS : 1856–1977
23.	02239 29	83-02-01	84-01-31	IS : 2266–1977
24.	02270 28	83-03-01	84-02-29	IS : 10 (भाग 4) –1976
25.	02273 31	83-03-01	84-02-29	IS : 3413–1977
26.	02371 32	83-01-16	84-01-15	IS : 10 (भाग 2) –1976
27.	02377 38	83-02-17	84-02-15	IS : 10 (भाग 3)– —1974
28.	02404 24	82-09-16	83-09-15	IS : 1221–1971
29.	02442 30	83-01-16	84-01-15	IS : 561–1978
30.	02536 35	83-02-01	84-01-31	IS : 1786–1979
31.	02575 42	83-03-16	84-03-15	IS : 694–1977
32.	02590 41	83-03-16	84-03-15	IS : 2566–1965
33.	02591 42	83-03-16	84-03-15	IS : 2566–1965
34.	02648 42	83-01-16	84-03-31	IS : 2567–1978
35.	0271132	83-02-01	84-01-31	SI : 325–1978
36.	02739 44	83-02-16	84-02-15	IS : 4985–1981
37.	02735 43	83-01-01	83-12-31	IS : 269–1976
38.	02844 44	83-03-01	84-02-29	IS : 10 (भाग 4) –1976
39.	02861 45	83-01-16	84-01-15	IS : 6595–1980
40.	02867 51	83-02-16	84-02-15	IS : 10 (भाग 4) –1976
41.	02878 54	82-02-01	84-01-31	IS : 2512–1978
42.	02888 56	83-02-01	84-01-31	IS : 1786–1979
43.	02914 41	83-02-16	84-02-15	IS : 780–1980
44.	02921 40	83-02-16	84-03-31	IS : 398 (भाग 2) –1976
45.	02922 41	83-02-16	84-02-15	IS : 694–1977
46.	02941 44	83-03-01	84-02-29	IS : 1392–1971
47.	03105 20	82-12-16	83-12-15	IS : 1011–1981
48.	03149 32	83-03-16	84-03-15	IS : 10 (भाग 2) 1976
49.	03248 34	82-12-16	83-12-15	IS : 398 (भाग 1) –1976
50.	03362 35	83-03-16	84-03-15	IS : 335–1972
51.	03406 30	83-03-01	84-03-31	IS : 1551–1976
52.	03623 37	83-01-01	83-12-31	IS : 6915–1978
53.	03705 38	83-02-16	84-02-15	IS : 2148–1968
54.	03717 42	83-02-16	84-03-31	IS : 325–1978
55.	03730 39	83-03-01	84-02-29	IS : 398 (भाग 1) 1976
56.	03736 45	83-03-16	84-03-15	IS : 5557–1969
57.	03789 58	83-02-01	84-01-31	IS : 3903–1975
58.	03790 51	83-02-01	84-01-31	IS : 5281–1979
59.	03791 52	83-02-01	84-01-31	IS : 562–1978
60.	03792 53	83-02-01	84-01-31	IS : 565–1975
61.	03793 54	83-02-01	84-01-31	IS : 1507–1977
62.	03901 40	83-02-01	84-01-31	IS : 1011–1981
63.	04026 26	83-01-01	83-12-31	IS : 1786–1979
64.	04099 43	83-01-01	83-12-31	IS : 5676–1970
65.	04160 31	83-02-01	84-01-31	IS : 5679–1970
66.	04161 32	83-03-01	84-02-29	IS : 10 (भाग 4) 1976
67.	04165 36	83-02-01	84-01-31	IS : 10 (Part 4) 1976
68.	04186 41	83-02-01	84-01-31	IS : 5346–1975
69.	04187 42	83-02-01	84-01-31	IS : 10 (भाग 4) 1976
70.	04195 42	83-02-01	84-01-31	IS : 6747–1981
71.	04209 31	83-02-01	84-01-31	IS : 398 (भाग 1) –1976
72.	04211 25	83-02-16	84-02-15	IS : 10 (भाग 2) –1976
73.	04212 26	83-02-16	84-02-15	IS : 10 (भाग 2) –1976
74.	04247 37	83-03-01	84-02-29	IS : 1786–1979
75.	04803 43	83-03-16	84-03-15	IS : 1322–1970
76.	04829 53	83-01-01	83-12-31	IS : 633–1975
77.	04830 46	83-01-01	83-12-31	IS : 565–1975
78.	04835 51	83-03-16	84-03-15	IS : 7406 (भाग 1) –1974
79.	04864 56	83-01-01	84-01-31	IS : 5604–1970
80.	04877 61	82-12-16	83-12-15	IS : 4964–1980
81.	04922 49	83-01-16	84-01-15	IS : 335–1972
82.	04967 62	83-02-01	84-01-31	IS : 4964–1980
83.	04996 67	83-02-16	84-02-15	IS : 5346–1975
84.	05018 30	83-02-01	84-01-31	IS : 325–1978
85.	05020 24	83-02-16	84-02-15	IS : 561–1978
86.	05025 29	83-03-01	84-02-29	IS : 4184–1967
87.	05051 31	83-03-01	84-02-29	IS : 1239 (भाग 1) –1979
88.	05060 32	83-03-16	84-03-15	IS : 7407 (भाग 2) 1980
89.	05061 33	83-01-16	84-01-15	IS : 6914–1978
90.	05063 35	83-01-16	84-01-15	IS : 8054–1976

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
91.	05066 38	83-03-16	84-03-15	IS : 1786–1979
92.	05068 40	83-03-16	84-03-15	IS : 1507–1977
93.	05105 28	83-03-16	84-03-15	IS : 562–1978
94.	05110 25	83-03-16	84-03-15	IS : 561–1978
95.	05515 42	83-01-01	83-12-31	IS : 4323–1980
96.	05536 47	83-01-01	83-12-31	IS : 1307–1982
97.	05693 59	83-01-01	83-12-31	IS : 171–1973
98.	05727 52	83-03-01	84-02-29	IS : 1538 (भाग 7) –1976
99.	05737 54	83-01-01	83-12-31	IS : 633–1975
100.	05757 58	83-01-01	83-12-31	IS : 171–1973
101.	05758 59	83-01-01	83-12-31	IS : 171–1973
102.	05792 61	83-01-16	84-01-15	IS : 2148–1968
103.	05801 45	83-01-16	84-01-15	IS : 171–1973
104.	05829 57	83-01-16	84-01-15	IS : 171–1973
105.	05830 50	83-01-16	84-01-15	IS : 171–1973
106.	05855 59	83-01-16	84-01-15	IS : 4964–1980
107.	05865 61	83-01-16	84-01-15	IS : 6915–1978
108.	05874 62	83-02-01	84-01-31	IS : 1554 (भाग 1) –1976
109.	05880 60	83-02-16	84-02-15	IS : 633–1975
110.	05891 63	83-02-16	84-02-15	IS : 5430–1981
111.	05896 68	83-02-16	84-02-15	IS : 4323–1980
112.	05897 69	83-02-16	84-02-15	IS : 4323–1980
113.	05905 52	83-02-16	84-02-15	IS : 1166–1973
114.	05909 56	83-03-01	84-02-29	IS : 8057–1976
115.	05913 52	83-02-16	84-02-15	IS : 868–1956
116.	05914 53	83-03-01	84-02-29	IS : 562–1978
117.	05924 55	83-3-0-01	84-02-29	IS : 4246–1978
118.	05925 56	83-03-01	84-02-29	IS : 633–1975
119.	05942 57	83-02-16	84-02-15	IS : 636–1979
120.	05975 66	83-03-01	84-02-29	IS : 2580–1965
121.	06000 24	83-03-01	84-02-29	IS : 8144–1976
122.	06565 56	82-12-01	83-11-30	IS : 1786–1979
123.	06617 51	83-01-01	83-12-31	IS : 1786–1979
124.	06635 53	83-01-16	84-01-15	IS : 6595–1980
125.	06674 60	83-02-01	84-01-31	IS : 3903–1975
126.	06678 64	83-02-01	84-01-31	IS : 2566–1965
127.	06690 60	83-02-01	84-01-31	IS : 8291–1976
128.	06705 50	83-01-01	83-12-31	IS : 4832 (भाग III)–1968
129.	06707 52	83-02-01	84-01-31	IS : 4159–1976
130.	06730 51	83-02-16	84-02-15	IS : 2208–1962
131.	06733 54	83-02-16	84-02-15	IS : 226–1975
132.	06736 57	83-02-16	84-02-15	IS : 3903–1975
133.	06759 64	83-02-16	84-02-15	IS : 1165–1975
134.	06772 61	83-03-01	84-02-29	IS : 1161–1979
135.	06776 65	83-03-01	84-02-29	IS : 4355–1977
136.	06777 66	83-03-01	84-02-29	IS : 8423–1977
137.	06779 68	83-03-01	84-02-29	IS : 4654–1974
138.	06785 66	83-03-01	84-02-29	IS : 4964–1980
139.	06791 64	83-03-01	84-02-29	IS : 6914–1978
140.	06829 61	83-03-01	84-02-29	IS : 2141–1979
141.	06833 57	83-01-01	83-12-31	IS : 562–1978
142.	07167 50	83-04-01	84-03-31	IS : 4654–1974
143.	07298 60	83-02-16	84-02-15	IS : 3564–1975
144.	07379 60	83-01-16	84-01-15	IS : 868–1956
145.	07453 53	83-01-16	84-01-15	IS : 1161–1979
146.	07457 57	83-03-16	84-03-15	IS : 863–1979
147.	07458 58	83-01-16	84-01-15	IS : 4654–1974
148.	07459 59	83-01-16	84-01-15	IS : 2879–1975
149.	07464 56	83-01-16	84-01-15	IS : 2594–1977
150.	07465 57	83-01-16	84-01-15	IS : 4467–1967
151.	07481 57	83-02-01	84-01-31	IS : 632–1978
152.	07488 64	83-02-01	84-01-31	IS : 2834–1981
153.	07522 49	83-02-16	84-02-29	IS : 814 (भाग 1) –1974
154.	07542 53	83-03-01	84-02-29	IS : 10 ((भाग 4) –1976
155.	07547 58	83-03-01	84-02-29	IS : 1554 (भाग 1) –1976
156.	07550 53	73-03-01	84-02-29	IS : 868–1956
157.	07565 60	83-03-01	84-02-29	IS : 1165–1975
158.	07568 63	83-03-01	84-02-29	IS : 1161–1979
159.	07569 64	83-03-01	84-02-29	IS : 1970–1982.
160.	07584 63	83-03-01	84-02-29	IS : 758–1975
161.	07835 63	83-03-01	84-02-29	IS : 458–1971
162.	08225 47	83-01-01	83-12-31	IS : 1786–1979
163.	08226 48	83-01-01	83-12-31	IS : 2171–1976
164.	08257 55	83-01-01	83-12-31	IS : 4964–1980
165.	08290 56	83-01-16	84-01-15	IS : 2148–1968
166.	08294 60	83-01-16	84-01-15	IS : 4964–1980
167.	08319 52	83-02-01	84-01-31	IS : 1786–1979
168.	08325 50	83-03-16	84-03-15	IS : 694–1977
169.	08354 55	83-02-01	84-01-31	IS : 10 (भाग 2)– –1976
170.	08360 53	83-02-16	84-02-15	IS : 4964–1980
171.	08361 54	83-02-16	84-02-15	IS : 5672–1970
172.	08363 56	83-02-16	84-02-15	IS : 1061–1982
173.	08381 58	83-03-01	84-02-29	IS : 914–1966
174.	08389 66	83-03-01	84-02-29	IS : 8268–1976
175.	08390 59	83-03-01	84-02-29	IS : 4323–1980
176.	08394 63	83-03-01	84-02-29	IS : 4964–1980
177.	08396 65	83-03-01	84-02-29	IS : 398–(भाग 2) –1976
178.	08420 48	83-03-16	84-03-15	IS : 4654–1974
179.	08436 56	83-03-16	84-03-15	IS : 694–1977
180.	08441 53	83-03-16	84-03-15	IS : 10 (भाग 2) –1976
181.	08465 61	83-03-16	84-03-15	IS : 2312–1967
182.	0847 260	83-03-16	84-03-15	IS : 694–1977
183.	08473 61	83-03-16	84-03-15	IS : 694–1977
184.	08500 47	83-03-16	84-03-15	IS : 1943–1964
185.	08502 49	83-03-16	84-03-15	IS :1963 1964
186.	09105 44	82-11-16	83-11-15	IS : 4588–1977
187.	09243 53	83-01-01	83-12-31	IS : 3903–1975
188.	09259 61	83-01-16	84-01-15	IS : 834–1975
189.	09260 54	83-01-16	84-01-15	IS : 834–1975
190.	09280 58	83-01-16	84-01-15	IS : 7121–1973
191.	09281 59	83-01-16	84-01-15	IS : 834–1975

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
192.	09286 64	83-01-16	84-01-15	IS : 8944–1978
193.	09289 67	83-01-16	84-01-15	IS : 1011–1981
194.	09292 62	83-01-16	84-01-15	IS : 2507–1975
195.	09305 50	83-01-16	84-01-15	IS : 2653–1980
196.	09306 51	83-01-16	84-01-15	IS : 2653–1980
197.	09308 53	83-01-16	84-01-15	IS : 562–1978
198.	09319 56	83-02-01	84-01-31	IS : 564–1975
199.	09320 49	83-02-01	84-01-31	IS : 561–1978
200.	09323 52	83-02-01	84-01-31	IS : 10 ((भाग 4)–1976
201.	09331 52	83-02-01	84-01-31	IS : 5996–1970
202.	09335 56	83-02-01	84-01-31	IS : 2266–1977
203.	09337 58	83-02-01	84-01-31	IS : 5852–1977
204.	09341 54	83-02-01	84-01-31	IS : 171–1973
205.	09355 60	83-02-16	84-02-15	IS : 996–1964
206.	09359 64	83-02-16	84-02-15	IS : 1011–1981
207.	09360 57	83-02-16	84-03-15	IS : 1341–1976
208.	09369 66	83-02-16	84-02-15	IS : 8035–1976
209.	09371 60	83-02-16	84-02-15	IS : 6994–((भाग 1)–1973
210.	09372 61	83-02-16	84-02-15	IS : 814 (भाग 1 और 2)–1974
211.	09373 62	83-02-16	83-11-30	IS : 7406 (भाग 1)–1980
212.	09374 63	83-02-16	84-11-30	IS : 7406 (भाग 1)–1980
213.	09380 61	83-02-16	84-02-15	IS : 2906–1980
214.	09382 63	83-02-16	84-02-29	IS : 7406 (भाग 2)–1980
215.	09395 68	83-02-16	84-02-15	IS : 9128–1979
216.	09399 72	83-02-16	84-02-15	IS : 4955–1982
217.	09405 53	83-02-16	84-11-30	IS : 7406 (भाग 2)–1980
218.	09407 55	83-02-16	84-02-15	IS : 694–1977
219.	09411 51	83-02-16	84-02-15	IS : 2785–1979
220.	09419 59	83-02-16	84-02-15	IS : 2509–1973
221.	09425 57	83-03-01	84-02-29	IS : 1165–1965
222.	09431 55	83-03-01	84-02-29	IS : 4964–1980
223.	09433 57	83-03-01	84-02-29	IS : 565–1975
224.	09436 60	83-03-01	84-02-29	IS : 204 (भाग 1)—1988
225.	09439 63	83-03-01	84-02-29	IS : 8268–1976
226.	09440 56	83-03-01	84-02-29	IS : 7577–1975
227.	09444 60	83-03-01	84-02-29	IS : 694–1977
228.	09454 62	83-03-01	84-02-29	IS : 1989 (भाग 1)—1978
229.	09460 60	83-03-01	84-02-29	IS : 398 (भाग 2)–1976
230.	09464 64	83-03-01	84-02-29	IS : 7406 (भाग 2)–1980
231.	09465 65	83-03-01	84-02-29	IS : 7406 (भाग 1)–1974
232.	09466 66	83-03-01	84-03-31	IS : 8028–1976
233.	09468 68	83-03-01	84-02-29	IS : 6595–1980
234.	09473 65	83-03-01	84-02-29	IS : 10001–1981
235.	09490 66	83-03-16	84-04-15	IS : 10 (भाग 3)–1974
236.	09495 71	83-03-16	84-03-15	IS : 1786–1979
237.	09514 57	83-03-16	84-03-15	IS : 9294–1979
238.	09700 57	82-08-01	83-07-31	IS : 2653–1980
239.	09965 80	82-10-01	83-09-30	IS : 1678–1978
240.	10125 17	82-12-16	83-12-15	IS : 7122-1973
241.	10145 21	82-12-16	83-12-15	IS : 4964–1980
242.	10155 23	82-12-16	83-12-15	IS : 1856-1977
243.	10189 33	83-01-01	83-12-31	IS : 1856–1977
244.	10202 13	83-01-01	83-12-31	IS : 9048-1979
245.	10205 16	83-01-01	83-12-31	IS : 1875-1978
246.	10208 19	83-01-01	83 12 31	IS : 5780–1970
247.	10214 19	83-01-01	83-12-31	IS : 7121–1973
248.	10237 24	83-01-16	84-01-15	IS : 8737 (भाग 2)–1978
249	10240 17	83-01-16	84-01-15	IS : 2681–1979
250.	10243 22	83-01-16	84 01-15	IS : 226–1975
251.	10244 23	83-01-16	84 01-15	IS : 1736-1979
252.	10245 24	83-01-16	84-01 15	IS : 6914–1978
253.	10257 28	83-01-16	84 01-15	IS : 6915–1978
254.	10268 31	83-01-16	84-01-15	IS : 398 (भाग 2)–1976
255.	10269 32	83-01-16	84 01-15	IS : 398 (भाग 2)–1976
256.	10270 25	83-01-16	83-11-15	IS : 398 (भाग 2)–1976
257.	10271 26	83-01-16	84-01-15	IS : 8054–1976
258.	10283 30	83-02-01	84-01-31	IS : 8623–1977
259.	10291 30	83-02-16	84 02-15	IS : 378 (भाग 2)–1976
260.	10292 31	83-02-16	84-02-15	IS : 814 (भाग 2)–1974
261.	10296 35	83-02-16	84-03-31	IS : 3879–1981
262.	10301 15	83-02-16	84-02-15	IS : 398 (भाग 2)–1976
263.	10302 16	83-02-16	84-02-15	IS : 398 (भाग 2)–1976
264.	10303 17	83-02-16	84-02-15	IS : 398 (भाग 2)–1976
265.	10305 19	83-02-16	84-02-15	IS : 3098–1965
266.	10308 22	83-02-16	84-02-15	IS : 4246–1978
267.	10314 20	83-02-16	84-02-15	IS : 1011–1981
268.	10329 27	83-03-16	84-07-31	IS : 2818 (भाग 3)–1980
269.	10336 26	83-02-16	84-02-15	IS : 398 (भाग 2)–1976
270.	10345 27	83-02-16	84-02-15	IS : 1322–1970
271.	10346 28	83-02-01	84-01-31	IS : 6047–1970
272.	10348 30	83-02-01	84-01-31	IS : 8391–1977
273.	10351 25	83-01-16	84-01-15	IS : 6595–1980
274.	10354 28	83-02-16	84 02-15	IS : 7407 (भाग 3)–1980
275.	10355 29	83 02-16	84-02-15	IS : 7406 (भाग 2)–1980

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
276.	10359 33	83-02-16	84-02-15	IS : 1876–1979
277.	10363 29	83-02-16	84-02-15	IS · 1392–1971
278.	10364 30	83-02-16	84-02-15	IS : 493–1958
279.	10369 35	83 02-16	83-12-31	IS : 398 (भाग 1) –1976
280.	10370 28	83-02-16	84-02-15	IS : 780–1980
281.	10378 36	83-03-01	84-02-29	IS : 694–1977
282.	10379 37	83-03 01	84-02 29	IS : 1786-1979
283.	10395 37	83-03-01	84-02-29	IS : 7181–1974
284.	10396 38	83-03-01	84-02-29	IS : 4985 1981
285.	10399 41	83-03-01	84-02-29	IS : 814 (भाग 2) —1974
286.	10400 17	83-03-01	84-09-30	IS : 398 (भाग 1) –1976
287.	10424 25	83-03-16	84-03-15	IS : 1488–1969
288.	10425 26	83-03-16	84-03-15	IS : 4323–1980
289.	10426 27	83-03-01	84-02-29	IS : 398 (भाग 1) –1976
290.	10430 23	83-03-01	84-05-31	IS : 3903–1975
291.	10431 24	83-03-01	84-05-31	IS : 1307–1973
292.	10435 28	83-03-16	84-03-15	IS : 750–1976
293.	10448 33	83-03-01	84-02-29	IS : 398 (भाग 1) –1976
294.	10489 42	83-03-16	84-03-15	IS : 1322–1970
295.	10490 35	83-03-16	84-08-31	IS : 280–1978
296.	10504 24	83-03-16	84-03-15	IS : 4985–1968
297.	10511 23	83-03-16	84-03-15	IS : 7406 (भाग 2) –1980
298.	10512 24	83-03-16	84 03-15	IS : 4109–1967
299.	10534 30	83-03-16	84 03-15	IS : 10 (भाग 2) –1976
300.	10584 40	83-03-16	84-03-15	IS : 10 (भाग 2) –1976
301.	10598 46	83-03-16	84-03-15	IS : 10 (भाग 2) –1976
302.	10954 46	83-04-01	84-03-31	IS : 3667–1966
303.	10955 47	83-04-01	84-03-31	IS : 1828 (भाग 3) –1971
304.	10957 49	83-04-01	84-03-31	IS : 3790–1971

[सं० सी एम डी/13 : 12]

ए० पी० बनर्जी, अपर महानिर्देशक

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 1983-09-21

S.O. 3918—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that 304 licences, particulars of which are given in the following Schedule, have been renewed during the month of March 1983.

SCHEDULE

Sl. No.	CM/L No.	Valid From	Valid To	Indian Standard Specification No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	00051 11	83-02-01	84-01-31	IS : 10 (Part II)–1976
2.	00052 12	83-02-01	84-01-31	IS : 10 (Part II)–1976
3.	00131 10	83-01-16	84-01-15	IS : 561–1978
4.	00156 19	83-01-16	84-01-15	IS : 220–1972
5.	00272 22	83-02-16	84-02-15	IS : 398 (Part II)–1976
6.	00386 31	83-03-16	84-03-15	IS : 1320—1981
7.	00523 22	83-01-01	83-12-31	IS : 10 (Part II)–1976
8.	00943 38	83-04-01	84-03-31	IS : 2818 (Prt II)–1973
9.	00998 53	83-02-16	84-02-15	2552–1979
10.	01196 31	83-01-01	83-12-31	IS : 2556–1973
11.	01494 38	83-03-01	84-02-29	IS : 2645–1975
12.	01605 27	83-03-16	84-04-15	IS : 10 (Part IV)–1976
13.	01650 32	83-03-16	84-03-15	IS : 398 (Part-I)–1976
14.	01876 48	83-03-16	84-03-15	IS : 10 (Part II)–1976
15.	01895 51	83-02-01	84-01-31	IS : 245—1970
16.	01916 39	83-01-01	83-12-31	IS : 561—1978
17.	02003 11	83-02-01	84-01-31	IS : 1029—1970
18.	02017 17	83-01-01	84-07-15	IS : 774—1971
19.	02167 30	82-12-16	83-12-15	IS : 1660—1967
20.	02174 29	83-02-16	84-02-15	IS : 10 (Part IV)–1976
21.	02220 18	83-02-01	84-01-31	IS : 560—1980
22.	02238 28	83-02-01	84-01-31	IS : 1856—1977
23.	02239 29	83-02-01	84-01-31	IS : 2266—1977
24.	02270 28	83-03-01	84-02-29	IS : 10 (Part IV)–1976
25.	02273 31	83-03-01	84-02-29	IS : 3413–1977
26.	02371 32	83-01-16	84-01-15	IS : 10 (Part II)–1976
27.	02377 38	83-02-16	84-02-15	IS : 10 (Part III)–1974
28.	02404 24	82-09-16	83-09-15	IS : 1221–1971
29.	02442 30	83-01-16	84-01-15	IS : 561—1978
30.	02536 35	83-02-01	84-01-31	IS : 1786–1979
31.	02575 42	83-03-16	84-03-15	IS : 694–1977
32.	02590 41	83-03-16	84-03-15	IS : 2566–1965
33.	02591 42	83-03-16	84-03-15	IS : 2566–1965
34.	02648 42	83-01-16	84-03-31	IS : 2567–1978
35.	02711 32	83-02-01	84-01-31	IS : 325–1978
36.	02739 44	83-02-16	84-02-15	IS : 4985–1981
37.	02835 43	83-01-01	83-12-31	IS : 260 1976

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
38.	02844 44	83-03-01	84-02-29	IS : 10 (Part IV)–1976
39.	02861 45	83-01-16	84-01-15	IS : 6595–1980
40.	02867 51	83-02-16	84-02-15	IS : 10 (Part IV)–1976
41.	02878 54	83-02-01	84-01-31	IS : 2512–1978
42.	02888 56	83-02-01	84-01-31	IS : 1786–1979
43.	02914 41	83-02-16	84-02-15	IS : 780–1980
44.	02921 40	83-02-16	84-03-31	IS : 398 (Part II)–1976
45.	02922 41	83-02-16	84-02-15	IS : 694–1977
46.	02941 44	83-03-01	84-02-29	IS : 1392–1971
47.	03105 20	83-12-16	83-12-15	IS : 1011–1981
48.	03149 32	83-03-16	84-03-15	IS : 10 (Part II)–1976
49.	03248 34	82-12-16	83-12-15	IS : 398 (Part I)–1976
50.	03362 35	83-03-16	84-03-15	IS : 335–1972
51.	03406 30	83-03-01	84-03-31	IS : 1551–1976
52.	03623 37	83-01-01	83-12-31	IS : 6915–1978
53.	03705 38	83-02-16	84-02-15	IS : 2148–1968
54.	03717 42	83-02-16	84-03-31	IS : 325–1978
55.	03730 39	83-03-01	84-02-29	IS : 398 (Part I)-1976
56.	03736 45	83-03-16	84-03-15	IS : 5557–1969
57.	03789 58	83-02-01	84-01-31	IS : 3903–1975
58.	03790 51	83-02-01	84-01-31	IS : 5281–1979
59.	03791 52	83-02-01	84-01-31	IS : 562–1978
60.	03792 53	83-02-01	84-01-31	IS : 565–1975
61	03793 54	83-02-01	84-01-31	IS : 1507–1977
62.	03901 40	83-02-01	84-01-31	IS : 1011–1981
63.	04026 26	83-01-01	83-12-31	IS : 1786–1979
64.	04099 43	83-01-01	83-12-31	IS : 5676–1970
65.	04160 31	83-02-01	84-01-31	IS : 5679–1970
66.	04161 32	83-03-01	84-02-29	IS : 10 (Part IV)-1976
67.	04165 36	83-02-01	84-01-31	IS : 10 (Part IV)-1976
68.	04186 41	83-02-01	84-01-31	IS : 5346–1975
69.	04187 42	83-02-01	84-01-31	IS : 10 (Part–IV 1976
70.	04195 42	83-02-01	84-01-31	IS : 6747–1981
71.	04209 31	83-02-01	84-01-31	IS : 398 (Part I) -1976
72.	04211 25	83-02-16	84-02-15	IS : 10 (Part II)–1976
73.	04212 26	83-02-16	84-02-15	IS : 10 (Part II)-1976
74.	04247 37	83-03-01	84-02-29	IS : 1786–1979
75.	04803 43	83-03-16	84-03-15	IS : 1322–1970
76.	04829 53	83-01-01	83-12-31	IS : 633–1975
77.	04830 46	83-01-01	83-12-31	IS : 565–1975
78.	04835 51	83-03-16	84-03-15	IS : 7406 (Part I)–1974
79.	04864 56	83-04-01	84-03-31	IS : 5604–1976
80.	04877 61	82-12-16	83-12-15	IS : 4964–1980
81.	04922 49	83-01-16	84-01-15	IS : 335–1972
82.	04967 62	83-02-01	84-01-31	IS : 4964–1980
83.	04996 67	83-02-16	84-02-15	IS : 5346–1975
84.	05018 30	83-02-01	84-01-31	IS : 325–1978
85.	05020 25	83-02-16	84-02-15	IS : 561–1978
86.	05022 29	83-02-01	84-02-29	IS : 4184–1967
87.	05051 31	83-02-01	84-02-29	IS : 1239 (Part-I) 1970
88.	05060 32	83-03-16	84-03-15	IS : 7407 (Part II)–1980
89.	05061 33	83-01-16	84-01-15	IS : 6914–1978
90.	05063 35	83-01-16	84-01-15	IS : 8054–1976
91.	05066 38	83-03-16	84-01-15	IS : 1786–1979
92.	05068 40	83-03-16	84-03-15	IS : 1507–1977
93.	05105 28	83-03-16	84-03-15	IS : 562–1978
94.	05110 25	83-03-16	84-03-15	IS : 561–1978
95.	05515 42	83-01-01	83-12-31	IS : 4323–1980
96.	05536 47	83-01-01	83-12-31	IS : 1307-1982
97.	05693 59	83-01-01	83-12-31	IS : 171–1973
98.	05727 52	83-03-01	84-02-29	IS : 1538 (Part VII)–1976
99.	05737 54	83-01-01	83-12-31	IS : 633–1975
100.	05757 58	83-01-01	83-12-31	IS : 171–1973
101.	05758 59	83-01-01	83-12-31	IS : 171–1973
102.	05792 61	83-01-16	84-01-15	IS : 2148–1968
103.	05801 45	83-01-16	84-01-15	IS : 171–1973
104.	05829 57	83-01-16	84-01-15	IS : 171–1973
105.	05830 50	83-01-16	84-01-15	IS : 171–1973
106.	05855 59	82-01-16	84-01-15	IS : 4964–1980
107.	05865 61	83-01-16	84-01-15	IS : 6915–1978
108.	05874 62	83-02-01	84-01-31	IS : 1554–(Part I)–1976
109.	05880 60	83-02-16	84-02-15	IS : 633–1975
110.	05891 63	83-02-16	84-02-15	IS : 5430–1981
111.	05896 68	83-02-16	84-02-15	IS : 4323–1980
112.	05897 69	83-02-16	84-02-15	IS : 4323–1980
113.	05905 52	83-02-16	84-02-15	IS : 1166–1973
114.	05909 56	83-03-01	84-02-29	IS : 8057–1976
115.	05913 52	83-02-16	84-02-15	IS : 868–1956
116.	05914 53	83-03-01	84-02-29	IS : 562–1978
117.	05924 55	83-03-01	84-02-29	IS : 4246–1978
118.	05925 56	83-03-01	84-02-29	IS : 633–1975
119.	05942 57	83-02-16	84-02-15	IS : 636–1979
120.	05975 66	83-03-01	84-02-29	IS : 2580–1965
121.	06000 24	83-03-01	84-02-29	IS : 8144–1976
122.	06565 56	82-12-01	83-11-30	IS : 1786–1979
123.	06617 51	83-01-01	83-12-31	IS : 1786–1979
124.	06635 53	83-01-16	84-01-15	IS : 6595–1980
125.	06674 60	83-02-01	84-01-31	IS : 3903–1975
126.	06678 64	83-02-01	84-01-31	IS : 2566–1965
127.	06690 60	83-02-01	84-01-31	IS : 8291–1976
128.	06705 50	83-01-01	83-12-31	IS : 4832 (Part III)–1968

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
129.	06707 52	83-02-01	84-01-31	IS : 4159—1976
130	06730 51	83-02-16	84-02-15	IS : 2208—1962
131.	06733 51	83-02-16	84-02-15	IS : 226—1975
132.	06736 57	83-02-16	84-02-15	IS : 3903—1975
133.	06759 64	83-02-16	84-02-15	IS : 1165—1975
134.	06772 61	83-03-01	84-02-29	IS : 1161—1979
135.	06776 65	83-0301	84-02-29	IS . 4355—1977
136.	06777 66	83-03-01	84-02-29	IS : 8423—1977
137.	06779 68	83-03-01	84-02-29	IS : 4654—1974
138.	06785 66	83-03-01	84-02-29	IS : 4964—1980
139.	06791 64	83-03-01	84-02-29	IS : 6914—1978
140.	06829 61	83-03-01	84-02-29	IS : 2141—1979
141.	06833 57	83-01-01	83-12-31	IS : 562—1978
142.	07167 50	83-04-01	84-03-31	IS : 4654—1974
143.	07298 60	83-02-16	84-02-15	IS : 3564—1975
144.	07379 60	83-01-16	84-01-15	IS : 868—1956
145.	07453 53	83-01-16	84-01-15	IS : 1161—1979
146.	07457 57	83-03-16	84-03-15	IS : 863—1969
147.	07458 58	83-01-16	84-01-15	IS : 4654—1974
148.	07459 59	83-01-16	04-01-15	IS : 2879—1975
149.	07464 56	83-01-16	84-01-15	IS : 2594—1977
150.	07465 57	83-01-16	84-01-15	IS : 4467—1967
151.	07481 57	83-02-01	84-01-31	IS : 632—1978
152.	07488 64	83-02-01	84-01-31	IS : 2834—1981
153.	07522 49	83-02-16	84-02-29	IS : 814 (Part I)—1974
154.	07542 53	83-03-01	84-02-29	IS : 10 (Part IV)—1976
155.	07547 58	83-03-01	84-02-29	IS : 1554 (Part I)—1976
156.	07550 53	83-03-01	84-02-29	IS : 868—1956
157.	07565 60	83-03-01	84-02-29	IS : 1165—1975
158.	07568 63	83-03-01	84-02-29	IS : 1161—1979
159.	07569 64	83-03-01	84-02-29	IS : 1970—1982
160.	07584 63	83-03-01	84-02-29	IS : 758—1975
161.	07835 63	83-03-01	84-02-29	IS : 458—1971
162.	08225 47	83-01-01	83-12-31	IS : 1786—1979
163.	08226 48	83-01-01	83-12-31	IS : 2171—1976
164.	08257 55	83-01-01	83-12-31	IS : 4964—1980
165.	08290 56	83-01-16	84-01-15	IS : 2148—1968
166.	08294 60	83-01-16	84-01-15	IS : 4964—1980
167.	08319 52	83-02-01	84-01-31	IS : 1786—1979
168.	08325 50	83-03-16	84-03-15	IS : 694—1977
169.	08354 55	83-02-01	84-01-31	IS : 10 (Part II)—1976
170.	08360 53	83-02-16	84-02-15	IS : 4964—1980
171.	08361 54	83-02-16	84-02-15	IS : 5672—1970
172.	08363 56	83-02-16	84-02-15	IS : 1061—1982
173.	08381 58	83-03-01	84-02-29	IS : 944—1966
174.	08389 66	83-03-01	84-02,29	IS : 8268—1976
175.	08390 59	83-03-01	84-02-29	IS : 4323—1980
176.	08394 63	83-03-01	84-02-29	IS : 4964—1980
177.	08396 65	83-03-01	84-02-29	IS : 398 (Part II)—1976
178.	08420 42	83-03-16	84-03-15	IS : 4654—1974
179.	08436 56	83-03-16	84-03-15	IS : 694—1977
180.	08441 53	83-03-16	84-03-15	IS : 10 (Part II)—1976
181	08465 61	83-03-16	84-03-15	IS : 2312—1967
182.	08472 60	83-03-16	84-03-15	IS : 694—1977
183.	08473 61	83-03-16	04-03-15	IS : 694—1977
184.	08500 47	83-03-16	04-03-15	IS : 1943—1964
185.	08502 49	83-03-16	84-03-15	IS : 1943—1964
186.	09105 44	82-11-16	83-11-15	IS : 4588—1977
187.	09243 53	83-01-01	83-12-31	IS : 3903—1975
188.	09259 61	83-01-16	84-01-15	IS : 834—1975
189.	09260 54	83-01-16	84-01-15	IS : 834—1975
190.	09280 58	83-01-16	84-01-15	IS : 7121—1973
191.	09281 59	83-01-16	84-01-15	IS : 834—1975
192.	09286 64	83-01-16	84-01-15	IS : 8944—1978
193.	09289 67	83-01-16	84-01-15	IS : 1011—1981
194.	09292 62	83-01-16	84-01-15	IS : 2507—1975
195.	09305 50	83-01-16	84-01-15	IS : 2653—1980
196.	09306 51	83-01-16	84-01-15	IS : 2653—1980
197.	09308 53	83-01-16	84-01-15	IS : 562—1978
198.	09319 56	83-02-01	84-01-31	IS : 564—1975
199.	09320 49	83-02-01	84-01-31	IS : 561—1978
200.	09323 52	83-02-01	84-01-31	IS : 10 (Part IV)—1976
201.	09331 52	83-02-01	84-01-31	IS . 5996—1970
202.	09335 56	83-02-01	84-01-31	IS : 2266—1977
203.	09337 58	83-02-01	84-01-31	IS : 5852—1977
204.	09341 54	83-02-01	84-01-31	IS : 171—1973
205.	09355 60	83-02-16	84-02-15	IS ; 996—1964
206.	09359 64	83-02-16	84-02-15	IS : 1011—1981
207.	09360 57	83-02-16	84-03-15	IS : 1341—1976
208.	09369 66	83-02-16	84-02-15	IS : 8035—1976
209.	09371 60	83-02-16	84-02-15	IS : 6994 (Part I)—1973
210.	09372 61	83-02-16	84-02-15	IS : 814 (Part I & II)—1974
211.	09373 62	83-02-16	84-11-30	IS : 7406 (Part II)..1980
212.	09374 63	83-02-16	84-11-30	IS : 7406 (Part II)—1980
213.	09380 61	83-02-16	84-02-15	IS : 2906—1980
214.	09382 63	83-02-16	84-02-29	IS · 7406 (Part II)—1980
215.	09395 68	83-02-16	84-02-15	IS · 9128—1979
216.	09399 72	83-02-16	84-02-15	IS . 4955—1982
217.	09405 53	83-02-16	84-11-30	IS . 7406 (Part II)—1980
218.	09407 55	83-02-16	84-02-15	IS : 694—1977
219.	09411 51	83-02-16	84-02-15	IS : 2785—1979
220	9419 59	83-02-16	84-02-15	IS : 2509—1973
221.	09425 57	83-02,01	84-02-29	IS : 1165—1975
222.	09431 55	83-03-01	84-02-29	IS : 4964—1980
223.	09433 57	83-03-01	84-02-29	IS : 565—1975
224	09436 60	83-03-01	84-02-29	IS · 204 (Part I)—1978

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
225.	09439 63	83-03-01	84-02-29	IS : 8268—1976
226.	09440 56	83-03-01	84-02-29	IS : 7577—1975
227.	09444 60	83-03-01	84-02-29	IS : 694—1977
228.	09454 62	83-03-01	84-02-29	IS : 1989 (Part I)—1978
229.	09460 60	83-03-01	84-02-29	IS : 398 (Part II)—1976
230.	09464 64	83-03-01	84-02-29	IS : 7406 (Part II)—1980
231.	06465 65	83-03-01	84-02-29	IS : 7406 (Part I)—1974
232.	09466 66	83-03-01	84-03-31	IS : 8028—1976
233.	09468 68	83-03-01	84-02-29	IS : 6595—1980
234.	09473 65	83-03-01	84-02-29	IS : 10001—1981
235.	09490 66	83-03-16	84-04-15	IS : 10 (Part III)—1974
236.	09495 71	83-03-16	84-03-15	IS : 1786—1979
237.	09514 57	83-03-16	84-03-15	IS : 9294—1979
238.	09700 57	82-08-01	83-07-31	IS : 2653—1980
239.	09965 80	82-10-01	83-09-30	IS : 1678—1978
240.	10125 12	82-12-16	83-12-15	IS : 7122—1973
241.	10145 21	82-12-16	83-12-15	IS : 4964—1980
242.	10155 23	82-12-16	83-12-15	IS : 1856—1977
243.	10189 33	83-01-01	83-12-31	IS : 1856—1977
244.	10202 13	83-01-01	83-12-31	IS : 9048—1979
245.	10205 16	83-01-01	83-12-31	IS : 1875—1978
246.	10208 19	83-01-01	83-12-31	IS : 5780—1970
247.	10214 17	83-01-01	83-12-31	IS : 7121—1973
248.	10237 24	83-01-16	84-01-15	IS : 8737 (Part II)—1978
249.	10240 19	83-01-16	84-01-15	IS : 2681—1979
250.	10243 22	83-01-16	84-01-15	IS : 226—1975
251.	10244 23	83-01-16	84-01-15	IS : 1786—1979
252.	10245 24	83-01-16	84-01-15	IS : 6914—1978
253.	10257 28	83-01-16	84-01-15	IS : 6915—1978
254.	10268 31	83-01-16	84-01-15	IS : 398 (Part II)—1976
255.	10269 32	83-01-16	84-01-15	IS : 398 (Part II)—1976
256.	10270 25	83-01-16	84-11-15	IS : 398 (Part II)—1976
257.	10271 26	83-01-16	84-01-15	IS : 8054—1976
258.	10283 30	83-02-01	84-01-31	IS : 8623—1977
259.	10291 30	83-02-16	82-02-15	IS : 398 (Part II)—1976
260.	10292 31	83-02-16	84-02-15	IS : 814 (Part I)—1974
261.	10296 35	83-02-16	84-03-31	IS : 3899—1981
262.	10301 15	83-02-16	84-02-15	IS : 398 (Part II)—1976
263.	10302 16	83-02-16	84-02-15	IS : 398 (Part II)—1976
264.	10303 17	83-02-16	84-02-15	IS : 398 (Part II)—1976
265.	10305 19	83-02-16	84-02-15	IS : 3098—1965
266.	10308 22	83-02-16	84-02-15	IS : 4246—1978
267.	10314 20	83-02-16	84-02-15	IS : 1011—1981
268.	10329 27	83-03-16	84-07-31	IS : 2818 (Part III)—1980
269.	10336 26	83-02-16	84-02-15	IS : 398 (Part II)—1976
270.	10345 27	83-02-16	84-02-15	IS : 1322—1970
271.	10346 28	83-02-01	84-10-31	SI : 6047—1970
272.	10348 30	83-02-01	84-01-31	IS : 8391—1977
273.	10351 25	83-01-16	84-01-15	IS : 6595—1980
274.	10354 28	83-02-16	84-02-15	IS : 7407 (Part III)—1980
275.	10355 29	83-02-16	84-02-15	IS : 7406 (Part II)—1980
276.	10359 33	83-02-16	84-02-15	IS : 1876—1979
277.	10363 29	83-02-16	84-02-15	IS : 1392—1971
278.	10364 30	83-02-16	84-02-15	IS : 493—1958
279.	10369 35	83-02-16	83-12-31	IS : 398 (Part I)—1976
280.	10370 28	83-02-16	84-02-15	IS : 780—1980
281.	10378 36	83-03-01	84-02-29	IS : 694—1977
282.	10379 37	83-03-01	84-02-29	IS : 1786—1979
283.	10395 37	83-03-01	84-02-29	IS : 7181—1974
284.	10396 38	83-03-01	84-02-29	IS : 4985—1981
285.	10399 41	83-03-01	84-02-29	IS : 814 (Part II)—1974
286.	10400 17	83-03-01	84-09-30	IS : 398 (Part I)—1976
287.	10424 25	83-03-16	84-03-15	IS : 1488—1969
288.	01425 26	83-03-16	84-03-15	IS : 4323—1980
289.	10426 27	83-03-01	84-02-29	IS : 398 /Part I)—1976
290.	10430 23	83-03-01	84-05-31	IS : 3903—1975
291.	10431 24	83-03-01	84-05-31	IS : 1307—1973
292.	10435 28	83-03-16	84-03-15	IS : 750—1976
293.	10448 33	83-03-01	84-02-29	IS : 398 (Part I)—1976
294.	10489 42	83-03-16	84-03-15	IS : 1322—1970
295.	10490 35	83-03-16	84-08-31	IS : 280—1978
296.	10504 24	83-03-16	84-03-15	IS : 4985—1968
297.	10511 23	83-03-16	84-03-15	IS : 7406 (Part II)—1980
298.	10512 24	83-03-16	84-03-15	IS : 4109—1967
299.	10534 30	83-03-16	84-03-15	IS : 10 (Part II)—1976
300.	10584 40	83-03-16	84-03-15	IS : 10 (Part II)—1976
301.	10598 46	83-03-16	84-03-15	IS : 10 (Part II)—1976
302.	10954 46	83-04-01	84-03-31	IS : 3667—1966
303.	10955 47	83-04-01	84-03-31	IS : 1828 (Part III)—1971
304.	10957 49	83-04-01	84-03-31	IS : 3790—1971

[No. CMD/13 : 12]

A. P. BANERJI, Addl. Director General

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली 23 सितम्बर, 1983

का० आ० 3919:—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकारी को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है और आगे यह निदेश देता है कि उक्त अधिकारी उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किसी संपदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

सारणी

अधिकारी का नाम और पदाभिधान	सरकारी स्थान और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1	2
उप प्रबन्धक (कार्मिक) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, रखा कापर परियोजना, सिंघ भूम (बिहार)	नीचे के उपाबंध में उल्लिखित हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के या उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिए गए स्थान

उपाबन्ध

ग्राम	थाना सं०	प्लाट सं०	क्षेत्रफल एकड़ में	कब्जे का प्रकार
1	2	3	4	5
स्वासपुर	घटसिला			अर्जित भूमि
उत्तर-रेल	(1105)	763	7.18	,,
दक्षिण-ग्राम	,,	764	0.49	,,
बड़ा पहाड़	,,	765	11.04	,,
पूर्व-ग्राम	,,	766	0.49	,,
गोपालपुर	,,	769	0.88	,,
पश्चिम-डी बी	,,	770	0.97	,,
रोड 798	,,	771	0.31	,,
एस० एस० रोड	,,	772	1.54	,,
और प्लाट	,,	773	3.36	,,
स० 767	,,	774	0.70	,,
	,,	775	3.70	,,
	,,	776	0.31	,,
	,,	777	0.53	,,
	,,	778	8 00	,,
	,,	779	0.60	,,
	,	780	0.45	,,
	,,	781	3.00	,,
	,	782	1.85	,,
		783	1.17	,,
	,	784	0.65	,
		785	6 75	,

1	2	3	4	
	घटसिला	1095	786	2.98 अर्जित भूमि
	,,		787	1.65 ,,
	,,		788	9.05 ,
	,,		789	1.80 ,,
	,,		790	0 95 ,
	,,		791	0 63 ,
	,,		792	5 11 ,,
	,,		795	1 01 ,,
	,,		793	6 26 ,,
	,,		796	0.11 ,
	,,		797	4.84 ,
गोपालपुर	1106		25	1.04 ,,
उत्तर रेल	(घटसिला)		26	0.16 ,,
दक्षिण	,,		27	0.11 ,,
बड़ा पहाड़	,,		28	1.55 ,,
ग्राम	,,		30	0.11 ,,
पूर्व-प्लाट सं० 100	,,		31	1.08 ,,
पश्चिम स्वासपुर	,,		32	0.10 ,,
ग्राम	,,		33	0.45 ,,
	,,		34	0.44 ,,
	,,		35	4.60 ,,
	,,		36	0.05 ,,
गोपालपुर	1106		37	4.32 ,,
	,,		38	0.04 ,,
	,,		39	0.04 ,,
	,,		40	3.55 ,,
	,,		41	1.28 ,,
	,,		42	2.03 ,,
	,,		43	2.10 ,,
	,,		44	0.64 ,,
	,,		45	0.40 ,,
	,,		46	0.48 ,,
	,,		47	0.50 ,,
	,,		48	0.29 ,,
	,,		49	0.11 ,,
	,,		50	1.16 ,,
	,,		51	0.06 ,,
	,,		52	0.29 ,,
	,,		53	0.70 ,,
	,,		54	0.05 ,,
	,,		55	0.50 ,,
	,,		56	0.24 ,,
	,,		57	0.48 ,,
	,,		58	0.22 ,,
	,,		59	0.62 ,,
	,,		60	0.95 ,,
	,,		61	0.25 ,,
	,,		62	1.03 ,,
	,,		63	0.06 ,,
	,,		64	1.11 ,,
	,,		65	0.16 ,,
	,,		66	1.45 ,,
	,,		67	2 00 ,,
	,		68	1.50 ,,
	,,		69	0.17 ,,

1	2	3	4	5
गोपालपुर	1106	70	0.8[illegible]	अर्जित भूमि
	घटसिला	[illegible]	0.4[illegible]	,,
		7[illegible]	1.0[illegible]	,,
	,,	[illegible]	0.1[illegible]	,,
	,,	74	0.58	,,
	,,	[illegible]5	0.2[illegible]	,,
	,,	76	0.[illegible]	,,
	,,	77	0.35	,,
	,,	78	0.[illegible]0	,,
	,,	79	0.04	,,
	,,	80	0.86	,,
	,,	81	0.02	,,
	,,	82	0.04	,,
	,,	83	0.16	,,
	,,	84	0.18	,,
	,,	85	0.34	,,
	,,	86	0.40	,,
	,,	87	1.41	,,
	,,	88	0.77	,,
	,,	89	0.42	,,
	,,	90	1.23	,,
	,,	91	0.22	,,
	,,	92	0.17	,,
	,,	93	0.22	,,
	,,	94 (भाग)	0.64	,,
	,,	95 (प्रर्यावक्त)	0.89	,,
	,,	96	0.33	,,
	,,	97	0.53	,,
	,,	98 (भाग)	0.89	,,
	,,	99	0.87	,,
	,,	31/102	0.58	,,
	,,	34/103	0.40	,,
	,,	40/104	0.58	,,
	,,	46/105	0.30	,,
	,,	50/106	0.19	,,
	,,	52/107	0.07	,,
	,,	47/108	0.09	,,
	,,	60/109	0.19	,,
	,,	60/110	1.04	,,
	,,	60/111	0.30	,,
	,,	6[illegible]/112	0.58	,,
	,,	35/113	0.2[illegible]	,,
	,,	47/114	0.06	,,
	,,	75/115	0.25	,,
	,,	93/116	1.40	,,
	,,	71/117	0.11	,,
	,,	64/118	0.14	,,
बड़ा पहाड़	1107	3	0.16	,,
उत्तर-प्लाट 1	घटसिला	4	0.22	,,
और प्लाट 308	,,	5	0.76	,,
दक्षिण-प्लाट 288,	,,	6	0.28	,,
289 और 290	,,	7	0.23	,,
पूर्व-प्लाट सं० 291	,,	8	0.19	,,
और 309	,,	9	0.07	,,
पश्चिम-ग्वासपुर	,,	10	0.08	,,

1	2	3	4	5
ग्राम सीमा	घटसिला	11	1.06	अर्जित भूमि
और गोपालपुर	1107	12	0.20	,,
ग्राम सीमा	,,	13	0.30	,,
	,,	14	1.25	,,
	,,	15	0.36	,,
	,,	16	0.17	,,
	,,	17	0.38	,,
	,,	18	0.08	,,
	,,	19	0.17	,,
	,,	20	1.08	,,
	,,	21	0.34	,,
	,,	22	0.16	,,
	,,	23	0.11	,,
	,,	24	0.24	,,
	,,	25	0.28	,,
	,,	26	0.14	,,
	,,	27	0.97	,,
	,,	28	0.44	,,
	,,	29	1.57	,,
	,,	30	0.31	,,
	,,	32	0.34	,,
	,,	39	0.06	,,
	,,	40	0.14	,,
	,,	41	0.42	,,
	,,	42	0.10	,,
	,,	43	0.08	,,
	,,	44	0.06	,,
	,,	45	0.17	,,
	,,	46	0.84	,,
	,,	47	0.50	,,
	,,	48	0.23	,,
	,,	49	0.21	,,
	,,	50	0.71	,,
	,,	51	0.65	,,
	,,	53	0.91	,,
	,,	54	0.22	,,
बड़ा पहाड़	1107	55	0.26	,,
	,,	56	0.73	,,
	,,	58	0.47	,,
	,,	59	0.80	,,
	,,	60	0.41	,,
	,,	61	0.40	,,
	,,	62 (भाग)	17.18	,,
	,,	63	1.74	,,
	,,	64	1.56	,,
	,,	65	0.84	,,
	,,	66	0.62	,,
	,,	67	0.37	,,
	,,	82	0.14	,,
	,,	83	1.29	,,
	,,	91	0.83	,,
	,,	92	1.56	,,
	,,	93 (भाग)	[illegible].67	,,
	,,	94	0.57	,,
	,,	95	2.70	,,

1	2	3	4	5
बड़ा पहाड़—जारी	1107	96	0.56	अर्जित भूमि
	घटसिला	97	0.32	,,
	,,	98	0.22	,,
	,,	99	0 14	,,
	,,	100	0.10	,,
	,,	101	0.09	,,
	,,	102	0.14	,,
	,,	103	0.35	,,
	,,	104	0.04	,,
	,,	105	0.33	,,
	,,	106	0.41	,,
	,,	107	0.71	,,
	,,	108	0.20	,,
	,,	109	0.23	,,
	,,	116	1.01	,,
	,,	117	0.39	,,
	,,	118	1.05	,,
	,,	119	0.19	,,
	,,	120	0.06	,,
	,,	121	0.06	,,
	,,	122	0.09	,,
	,,	125	0.20	,,
	,,	127	0 06	,,
	,,	128	0.39	,,
	,,	130	0.16	,,
	,,	132	0.21	,,
	,,	133	0.11	,,
	,,	134	0.08	,,
	,,	135	0.10	,,
	,,	140	0.10	,,
	,,	141	0.21	,,
	,,	142	0.26	,,
	,,	143	0.25	,,
	,,	144	0.73	,,
	,,	145 (भाग)	0.49	,,
	,,	146	1.40	,,
	,,	147	0.90	,,
	,,	148	1.27	,,
	,,	149	0.09	,,
	,,	150	0.55	,,
	,,	151	0.11	,,
	,,	152	0.51	,,
	,,	153	0.64	,,
	,,	159	0.50	,,
	,,	160	0.50	,,
	,,	161	0.21	,,
	,,	162	0.54	,,
	,,	163	0.13	,,
	,,	164	1.98	,,
	,,	165	2.67	,,
	,,	166	1.10	,,
	,,	167	0.37	,,
	,,	168	1.73	,,
	,,	169	1.02	,,
	,,	171	0.43	,,
	घटसिला	172 (भाग)	0.12	,,
	,,	173	0.48	,,
	,,	175	0.16	,,
	,,	178	1.19	,,
	,,	187	1.56	,,
	,,	188	6.51	,,
	,,	189	0.76	,,
	,,	190	0.61	,,
	,,	191	0.95	,,
	,,	192	1.16	,,
	,,	193	2 35	,,
	,,	194	0 69	,,
	,,	195	1.10	,,
	,,	196	0.25	,,
	,,	197	0.10	,,
	,,	198	0.44	,,
	,,	199	0.10	,,
	,,	200	0.37	,,
	,,	201	0 42	,,
	,,	202	0.19	,,
	,,	203	0.36	,,
	,,	204	1.47	,,
	,,	205	0.55	,,
	,,	206	0 88	,,
	,,	207	0.25	,,
	,,	208	0.61	,,
	,,	209	0.50	,,
	,,	210	0.87	,,
	,,	211	0.51	,,
	,,	212	0.27	,,
	,,	213	0.10	,,
	,,	214	0 69	,,
	,,	216	0.30	,,
	,,	217	0.29	,,
	,,	218	0.26	,,
	,,	219	0.73	,,
	,,	220	0.04	,,
	,,	221	0.50	,,
	,,	223	0.91	,,
	,,	225	0.06	,,
	,,	226	0.20	,,
	,,	227	0.09	,,
	,,	228	0.17	,,
	,,	229	0.20	,,
	,,	230	0.02	,,
	,,	231	0.02	,,
	,,	232	0.11	,,
	,,	233	0 18	,,
	,,	234	0.36	,,
	,,	235	0.15	,,
	,,	236	0.68	,,
	,,	237	0.14	,,
	,,	238	0.21	,,
	,,	239	2.93	,,

1	2	3	4	5
बड़ा पहाड़—जारी	1107	240	0.13	अर्जित भूमि
	घटसिला	241	0.04	,,
	,,	242	0.15	,,
	,,	243	0.26	,,
	,	244	0.96	,,
		245	0.09	,,
	,,	246	0.03	,,
	,,	247	1.81	,,
	,,	249	0.17	,,
	,,	250	0.97	,,
	,,	251	0.08	,,
	,,	252	1.43	,,
	,,	253	0.16	,,
	,,	254	0.36	,,
	,,	255	0.15	,
	,,	256	0.04	,,
	,,	257	0.04	,,
	,,	258	0.04	,,
	,,	259	0.48	,,
	,,	260 (भाग)	0.88	,,
	,,	261	0.42	,,
	,,	263	0.53	,,
	,,	264 (भाग)	0.15	,,
	,,	265	0.06	,,
	,,	266	0.48	,,
	,,	267	0.14	,,
	,,	268	0.54	,,
	,,	269	0.67	,,
	,,	270	0.39	,,
	,,	271	0.12	,,
	,,	272	0.56	,,
	,,	274	0.21	,,
	,,	275	0.53	,,
	,,	279	0.28	,,
	,,	280(भाग)	0.77	,,
	,,	281	0.19	,,
	,,	282	0.12	,
	,,	283 (भाग)	1.60	,,
	,,	284	0.59	,,
	,,	285	0.32	,,
	,,	286	0.54	,,
	,,	292	0.10	,,
	,,	293	0.07	,,
	,,	294	0.09	,,
	,,	296	0.20	,,
	,,	297	0 02	,,
	,,	298	0.34	,,
	,,	299	0.41	,,
	,,	300	0.58	,,
	,,	301	0.38	,,
	,,	302	0.21	,,
	,,	303	0.15	,,
	,,	304	0 07	,,
	,,	305	0.16	,,
	,,	306	0 24	,,
	,,	307	1.00	अर्जित भूमि
	घटसिला	284/310	0.73	,,
	,,	272/311	0.15	,,
	,,	308/312	2.52	,,
	,	400/314	0 36	,
	,,	302315	0.36	,,
	,,	27/316(भाग)	1.88	,,
	,,	62/31	1.62	,,
	,,	627/319	2.94	,,
	,,	194/321(भाग)	0.09	,
	,,	242/324(भाग)	0.16	,,
	,,	3/323	0.53	,,
	,,	24/324	0.22	,,
	,,	93/325	1.70	,,
	,,	181/326	0 01	,,
	,,	183/327	0.02	,,
93 टेंडुलडगा		192 (भाग)	0.16	अर्जित भूमि
उत्तर-गढ़ नाला	घटसिला	193 (भाग)	0 12	,,
	,,	194	3.74	,,
ओर पी० डब्ल्यू	,,	222	2 48	,
डी रोड	,,	195	2.02	,,
दक्षिण पी डब्ल्यू	,,	197	4 76	
	,,	199	0.96	,,
डी रोड और	,,	200	2 70	,,
मतिगोरा ग्राम	,,	201	1 80	,
	,,	202	2 64	,,
सीमा	,,	203	3 30	,,
पूर्व मुर्गाधुट्टू	,,	204	0 10	
ग्राम सीमा	,,	205	0 81	,,
	,,	206	0.95	,
पश्चिम-डी०बी०	,,	207	0.60	,,
रोड प्लाट सं०	,,	208	0.93	,,
189 और	,,	210	0.85	,,
	,,	212	0.32	,,
मतिगोरा	,,	213	0 30	,,
प्लाट सं० 365	,,	214	0 66	,,
	,,	215	1.35	,,
	,,	216	1.87	,,
	,,	217 (भाग)	0.11	,,
	,,	220 (भाग)	21 18	,,
	,,	191	10 00	अनुज्ञेय कब्जा
	,,	192	0.56	,
	,,	193	0.46	,,
	,,	196	0 85	,,
	,,	198	0 50	,
	,,	209	0.16	,
	,,	211	0 55	,
		218	0.29	,,

1	2	3	4	5
मुर्गाबुद्दू	घटसिला			अर्जित भूमि
	92	2 (भाग)	0.72	,,
	,,	3	0.63	,,
उत्तर-प्लाट सं० 1	,,	4	0.11	,,
	,,	5	0.09	,,
दक्षिण मनिगौरा	,,	6	0.11	,,
और सिदूरगढ़ी	,,	7	0.16	,,
नाला				
पूर्व सिदूर गढ़ी	,,	8	1.25	,,
नाला	,,	9	0.22	,,
पश्चिम टेंटुलडंगा	,,	10	0.12	,,
ग्राम सीमा	,,	11	0.37	,,
	,,	16	0.08	,,
	,,	17	0.30	,,
	,,	18	0.31	,,
	,,	19	0.55	,,
	,,	22	0.10	,,
	,,	24	0.07	,,
	,,	25 (भाग)	0.32	,,
	,,	26	0.14	,,
	,,	27	0.67	,,
	,,	28	0.05	,,
	,,	29	0.14	,,
	,,	30	0.15	,,
	,,	32	0.06	,,
	,,	33	0.55	,,
	,,	34	0.84	,,
	,,	35	0.37	,,
	,,	38	0.77	,,
	,,	39	0.14	,,
	,,	40	0.23	,,
	,,	41	0.80	,,
	,,	43	0.25	,,
	,,	46	0.22	,,
	,,	47	0.15	,,
	,,	2/152	0.94	,,
	,,	48	0.07	,,
	,,	50	0.47	,,
	,,	51	0.82	,,
	,,	54	0.49	,,
	,,	55	1.34	,,
	,,	56	0.46	,,
	,,	58	0.35	,,
	,,			,,
	,,	60	0.35	,,
	,,	61	1.15	,,
	,,	62	1.04	,,
	,,	66	0.68	,,
	,,	67	1.01	,,
	,,	68	0.18	,,
	,,	69	0.04	,,
	,,	70	5.55	,,
	,,	71	0.01	,,

1	2	3	4	5
मुर्गाबुद्दू	घटसिला			अर्जित भूमि
	92	72	0.42	,,
	,,	73	0.30	,,
	,,	74	0.13	,,
	,,	75	0.09	,,
	,,	76	1.68	,,
	,,	77	0.43	,,
	,,	78	0.08	,,
	,,	79	0.05	,,
	,,	80	0.71	,,
	,,	81 (भाग)	0.69	,,
	,,	82 (भाग)	0.22	,,
	,,	83	0.54	,,
	,,	84	0.58	,,
	,,	85	0.57	,,
	,,	86	0.34	,,
	,,	87	0.14	,,
	,,	88 (भाग)	8.44	,,
	,,	89	0.24	,,
	,,	93	0.69	,,
	,,	94	2.10	,,
	,,	95	0.01	,,
	,,	96	1.70	,,
	,,	97	1.65	,,
	,,	98	0.14	,,
	,,	99	1.00	,,
	,,	100	2.44	,,
	,,	101	0.01	,,
	,,	103	0.46	,,
	,,	104	0.45	,,
	,,	106	0.10	,,
	,,	107	0.10	,,
	,,	108	0.56	,,
	,,	109	0.04	,,
	,,	111	0.30	,,
	,,	112	0.12	,,
	,,	113 (भाग)	0.17	,,
	,,	114 (भाग)	0.35	,,
	,,	115	0.08	,,
	,,	121	0.20	,,
	,,	123	0.67	,,
	,,	126	0.35	,,
	,,	128	0.08	,,
	,,	130	0.15	,,
	,,	132	0.40	,,
	,,	39/138	0.28	,,
	,,	139	1.00	,,
	,,	140	1.00	,,
	,,	141	0.18	,,
	,,	144	0.55	,,
	,,	40/147	0.16	,,
	,,	148	0.12	,,
	,,	149	0.70	,,

1	2	3	4	5
मुर्गापुट्टू--जारी	92 घटगिवा	150	0.01	अजित भूमि
	,,	151	4.30	,,
	,,	42/153	0.85	,,
	,,	2 (भाग)	4.08	अनुज्ञेय कब्जा
	,,	4/135	0.02	,,
	,,	6/136	0.02	,,
	,,	12	0.01	,,
	,,	13	0.03	,,
	,,	14	0.69	,,
	,,	15	0.05	,,
	,,	20	0.19	,,
	,,	21	0.14	,,
	,,	23	0.15	,,
	,,	25 (भाग)	2.14	,,
	,,	31	0.07	,,
	,,	36	0.13	,,
	,,	37	0.20	,,
	,,	42	0.03	,,
	,,	44	2.50	,,
	,,	45	0.08	,,
	,,	49	0.17	,,
	,,	52	0.02	,,
	,,	53	0.03	,,
	,,	57	0.10	,,
	,,	59	0.68	,,
	,,	57/137	0.07	,,
	,,	63	0.23	,,
	,,	64	1.40	,,
	,,	65	0.26	,,
	,,	42/153(भाग)	9.33	,,
	,,	101	1.69	,,
	,,	102	0.19	,,
	,,	105	0 50	,,
	,,	107 (भाग)	3.48	,,
	,,	125 (भाग)	1.02	,,
	,,	142	0.20	,,
	,,	143	0.07	,,
	,,	90	0.98	,,
	,,	91	0.03	,,
	,,	92	0.05	,,
	,,	93/145	0.45	,,
	,,	66	0.68	,,
	,,	115	0.08	,,
	,,	94/146	0.43	,,
	,,	119	0.49	,,
	,,	120	0.18	,,
	,,	124	0.70	,,
रोम	91 घटसिला	3 (भाग)	1.50	अजित भूमि
उत्तर-प्लाट सं० 2	,,	4	0.94	,,
2 गुरानाला	,,	5	0.18	,,
दक्षिण-रोड प्लाट	,,	6	0.15	,,
सं० 215	,,	7	1.71	,,
पूर्व डिगरी ग्राम	,,	8	2.06	,,

1	2	3	4	5
सीमा और रोड	91 घटसिला	9	0.20	अजित भूमि
प्लाट सं० 215	,,	10	0.16	,,
पश्चिम-सिम्पूर	,,	11	0.74	,,
गढ़ी नाला	,,	12	1.23	,,
	,,	13	0.45	,,
	,,	14	0.40	,,
	,,	15 (भाग)	1.52	,,
	,,	16	0.09	,,
	,,	17	0.06	,,
	,,	18	0.45	,,
	,,	19	0.40	,,
	,,	20	1.76	,,
	,,	21/1210	0.12	,,
	,,	21 (भाग)	0.33	,,
रोम	91	22	0.17	,,
	,,	23	0.20	,,
	,,	24	0.23	,,
	,,	25	0.08	,,
	,,	26	0.68	,,
	,,	27	0.78	,,
	,,	28	0.45	,,
	,,	29/1201	0.05	,,
	,,	29/1200	0.09	,,
	,,	29	0.46	,,
	,,	30 (भाग)	0.46	,,
	,,	31	0.38	,,
	,,	32	0.47	,,
	,,	27/1202	0.04	,,
	,,	27/1208	0.06	,,
	,,	32/1203	0.04	,,
	,,	33/1204	0.18	,,
	,,	34/1205	0.41	,,
	,,	33	0.56	,,
	,,	34	0.57	,,
	,,	35 (भाग)	0.55	,,
	,,	36	0.17	,,
	,,	37	0.25	,,
	,,	38	0.45	,,
	,,	39	0.09	,,
	,,	40	0.30	,,
	,,	40/1206	0.62	,,
	,,	41	0.20	,,
	,,	42 (भाग)	0.18	,,
	,,	43	0 31	,,
	,,	44	0 17	,,
	,,	45	0.18	,,
	,,	46	0.34	,,
	,,	47	0.27	,,
	,,	48	0.11	,,
	,,	49	0.09	,,
	,,	50	0.11	,,
	,,	51	0.37	,,
	,,	52	0.21	,,
	,,	53	0.40	,,

1	2	3	4	5
रोम	91 षटमिला	54 भाग	0.40	अर्जित भूमि
	,,	55	0.30	,,
	,,	56	0.02	,,
	,,	57	0.12	,,
	,,	58	0.21	,,
	,,	59	0.14	,,
	,,	60	0.24	,,
	,,	61	0.04	,,
	,,	62	0.10	,,
	,,	63	0.19	,,
	,,	64	0 11	,,
	,,	65	0.22	,,
	,,	67	0.08	,,
	,,	68	0.52	,,
	,,	69	0.02	,,
	,,	70	0.35	,,
	,,	71	0.15	,,
	,,	72	0.12	,,
	,,	73	0.06	,,
	,,	74	0.09	,,
	,,	75	0.08	,,
	,,	78	0.19	,,
	,,	79	0.10	,,
	,,	80	0.30	,,
	,,	81	0.02	,,
	,,	82	0.06	,,
	,,	83	0.18	,,
	,,	84	0.10	,,
	,,	85	0.18	,,
	,,	86	0.14	,,
	,,	87	0.15	,,
	,,	88	0.02	,,
	,,	89	0.10	,,
	,,	90	0.10	,,
	,,	91	0.01	,,
	,,	92	0.03	,,
	,,	93	0.29	,,
	,,	94	0.28	,,
	,,	95	0.09	,,
	,,	95/1250	0.14	,,
	,,	96	0.59	,,
	,,	97	0.02	,,
	,,	98	0.10	,,
	,,	99	0.08	,,
	,,	100	1.57	,,
	,,	101	0.02	,,
	,,	102	0.52	,,
	,,	103	0.01	,,
	,,	104	0.15	,,
	,,	105	0.05	,,
	,,	106	0.63	,,
	,,	107	0.14	,,
	,,	108	0.66	,,
	,,	109	1.03	,,
	,,	110 भाग	0.88	,,
	,,	111	0.44	,,
	,,	112	0.15	,,
	,,	113	0.10	,,
	,,	115	1.01	,,
	,,	116	0.19	,,
	,,	117	0.39	,,
	,,	118	0 04	,,
	,,	119	0.02	,,
	,,	120	0.26	,,
	,,	121	0.02	,,
	,,	122	0 72	,,
	,,	123	0.02	,,
	,,	124	0.23	,,
	,,	125	0.02	,,
	,,	126	0.34	,,
	,,	127	1.45	,,
	,,	128	0.04	,,
	,,	129	0.02	,,
	,,	130	0.04	,,
	,,	131	0.03	,,
	,,	132	0.02	,,
	,,	133	0.05	,,
	,,	134	1.14	,,
	,,	135	0.10	,,
	,,	136	0 55	,,
	,,	137	0.82	,,
	,,	141/1226	0.19	,,
	,,	138	0.06	,,
	,,	139	0.79	,,
	,,	140	0.06	,,
	,,	141	0.80	,,
	,,	142	1.96	,,
	,,	143	0.57	,,
	,,	144	0.11	,,
	,,	145	0.27	,,
	,,	146	0.61	,,
	,,	147	1.27	,,
	,,	148	0.82	,,
	,,	149	0.05	,,
	,,	150	0.17	,,
	,,	151	0.82	,,
	,,	152	0.36	,,
	,,	11/1246	0.22	,,
	,,	11/1209	0.15	,,
	,,	154	0.52	,,
	,,	155	0.55	,,
	,,	156	0.77	,,
	,,	157	0.67	,,
	,,	158	0.78	,,
	,,	159	0.55	,,
	,,	160	0.83	,,
	,,	161	0.43	,,

1	2	3	4	5
रोम	91 घटसिला	162	0.18	अर्जित भूमि
	„	163	0.24	„
	„	164	3.66	„
	„	165	2.01	„
	„	166	0.80	„
	„	167	0.43	„
	„	168	0.39	„
	„	169	0.28	„
	„	170	0.23	„
	„	171	0.88	„
	„	172	0.52	„
	„	173	0.97	„
	„	174	0.46	„
	„	175	0.67	„
	„	176/1224	0.44	„
	„	177	0.48	„
	„	178	0.50	„
	„	179	0.72	„
	„	180	1.04	„
	„	181 भाग	1.68	„
	„	181/1242	0.65	„
	„	182 भाग	0.91	„
	„	184	0.93	„
	„	164/1262	1.62	„
	„	185	0.44	„
	„	186	0.55	„
	„	188	0.23	„
	„	189	0.36	„
	„	190 भाग	1.75	„
	„	192	0.07	„
	„	194	0.45	„
	„	195 भाग	0.24	„
	„	196	0.37	„
	„	197	0.35	„
	„	198	0.36	„
	„	199	0.54	„
	„	200	0.67	„
	„	201	0.60	„
	„	202	0.45	„
	„	203	0.39	„
	„	198/1258	0.20	„
	„	198/1257	0.12	„
	„	198/1256	0.10	„
	„	206	0.36	„
	„	204	0.07	„
	„	205	0.04	„
	„	207	0.24	„
	„	212	0.14	„
	„	207/1243	0.16	„
	„	28/नं०	0.34	„
	„	15 भाग	0.98	„
				अनुज्ञेय कब्जा
	„	42 भाग	2.35	„
	„	109 भाग	10.42	„
रोम	91	135 भाग	16.21	अनुज्ञेय कब्जा
	„	141 भाग	1.04	„
	„	153	0.23	„
	„	176	2.54	„
	„	183 भाग	2.63	„
	„	187	0.04	„
	„	191	0.40	„
	„	193 भाग	2.97	„
	„	195 भाग	1.12	„
	„	159/1225	0.10	„
	„	370	18.55	„
मलिगोरा मुख्य शाफ्ट क्षेत्र	94 घटसिला	366	1.39	„
	„	365	2.16	„
	„	370	3.35	„
	„	372	3.58	„

बसांस्थाम संबंधी भूमि की सूची जिसका अभी कब्जा नहीं लिया गया है लेकिन जिसके अर्जन की प्रक्रिया चल रही है ।

ग्राम	खाता सं०	प्लाट सं०	क्षेत्रफल एकड़ में	कब्जे के प्रकार
1	2	3	4	5
बड़ा पहाड़	1107 घटसिला	33	0.28	अभी कब्जा नहीं लिया
	„	34	0.88	„
	„	35	0.10	„
	„	36	0.31	„
	„	37	0.14	„
	„	52	0.10	„
	„	62 भाग	0.38	„
	„	69	0.02	„
	„	70	0.54	„
	„	71	0.04	„
	„	72	0.43	„
	„	73	0.18	„
	„	74	0.02	„
	„	75	0.02	„
	„	76	0.25	„
	„	77	0.22	„
	„	78	0.03	„
	„	79	0.08	„
	„	80	0.11	„
	„	81	0.39	„
	„	84	0.60	„
	„	85	0.04	„
	„	86	0.04	„
	„	87	0.30	„
	„	88	0.26	„
	„	89	0.03	„
	„	90	0.49	„
	„	123	0.08	„
	„	124	0.18	„
	„	126	0.32	„

1	2	3	4	5
बड़ा पहाड़	1107 घटसिला	129	0.03	अभी कब्जा नहीं लिया
	,,	131	0.04	,,
	,,	136	0.10	,,
	,,	137	0.01	,,
	,,	138	0.01	,,
	,,	139	0.15	,,
	,,	93 भाग	0.10	,,
	,,	110	0.28	,,
	,,	111	0.04	,,
	,,	112	0.05	,,
	,,	113	0.04	,,
	,,	114	0.06	,,
	,,	115	0.65	,,
	1107	38	0.03	,,
	,,	68	0.03	,,
	,,	145 भाग	0.02	,,
	,,	154	0.01	,,
	,,	155	0.01	,,
	,,	156	0.04	,,
	,,	157	0.24	,,
	,,	158	0.51	,,
	,,	181	0.26	,,
	,,	182	0.02	,,
	,,	183	0.27	,,
	,,	184	0.01	,,
	,,	185	0.78	,,
	,,	186	0.04	,,
	,,	273	0.01	,,
	,,	276	0.02	,,
	,,	277	0.16	,,
	,,	278	0.04	,,
	,,	280 भाग	0.04	,,
	,,	305/312 भाग	0.04	,,

[फा० सं० 14 1/83-मेट III]
जे० श्रीधरन, उपसचिव

MINISTRY OF STEEL & MINES

(Department of Mines)

New Delhi, the 23rd September 1983

S.O.3919.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoint the officer mentioned in column (1) of the Table below, being an officer equivalent to the rank of a gazetted officer of of Government to be an estate officer for the purposes of the said Act, and further directs that the said officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed, on an estate officer by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction in respect of public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Name and designation of the officer	Public Premises and local limits of jurisdiction
1	2
Shri N. Prasad, Deputy Manager (Personnel) Hindustan Copper Limited Rakha Copper Project, Singhbhum (Bihar).	Premises belonging to or taken on lease by, or on behalf, of Hindustan Copper Limited, as described in the Annexure below.

ANNEXURE

Village	Thana No.	Plot No.	Area in Acres	Type of possession
1	2	3	4	5
Swaspur	Ghatsila	763	7.18	Acquire
N. Railway	(1105)	764	0.49	Land
S. Village	,,	765	11.04	,,
Barapahar	,,	766	0.49	,,
of. Vil. Gopalpur	,,	769	0.88	,,
W.D.B. Road	,,	770	0.97	,,
798 S.S. Road	,,	771	0.31	,,
Plot No. 767	,,	772	1.54	,,
	,,	773	3.36	,,
	,,	774	0.20	,,
	,,	775	3.70	,,
	,,	776	0.31	,,
	,,	777	0.53	,,
	,,	778	8.00	,,
	,,	779	0.60	,,
	,,	780	0.45	,,
	,,	781	3.00	,,
	,,	782	1.85	,,
	,,	783	1.17	,,
	,,	784	0.65	,,
	,,	785	0.75	,,
	,,	786	2.68	,,
	,,	787	1.65	,,
	,,	788	9.08	,,
	,,	789	1.80	,,
	,,	790	0.95	,,
	,,	791	0.63	,,
	,,	792	5.11	,,
	,,	795	1.01	,,
	,,	793	6.26	,,
	,,	796	0.11	,,
	,,	797	4.83	,,
Gopalpur N.	1106	25	1.04	,,
Railway	(Ghatsila)	26	0.16	,,
S. Barapahar Vill.	,,	27	0.11	,,
E. Plot No. 100	,,	28	1.55	,,
W-Swaspur Vill.	,,	30	0.11	,,
	,,	31	2.08	,,
	,,	32	0.10	,,
	,,	33	0.45	,,
	,,	34	0.44	,,
	,,	35	4.60	,,
	,,	36	0.05	,,

1	2	3	4	5
Gopalpur	1106	37	4.32	Acquired
	,,	38	0.04	Land
	,,	39	0.04	,,
	,,	40	3.55	,,
	,,	41	1.28	,,
	,,	42	2.03	,,
	,,	43	2.10	,,
	,,	44	0.64	,,
	,,	45	0.40	,,
	,,	46	0.48	,,
	,,	47	0.50	,,
	,,	48	0.29	,,
	,,	49	0.11	,,
	,,	50	1.16	,,
	,,	51	0.06	,,
	,,	52	0.29	,,
	,,	53	0.20	,,
	,,	54	0.05	,,
	,,	55	0.50	,,
	,,	56	0.24	,,
	,,	57	0.48	,,
	,,	58	0.22	,,
	,,	59	0.62	,,
	,,	60	0.95	,,
	,,	61	0.25	,,
	,,	62	1.03	,,
	,,	63	0.06	,,
	,,	64	1.11	,,
	,,	65	0.16	,,
	,,	66	1.45	,,
	,,	67	2.00	,,
	,,	68	1.50	,,
	,,	69	0.17	,,
	,,	70	0.84	,,
	,,	71	0.44	,,
	,,	72	1.03	,,
	,,	73	0.18	,,
	,,	74	0.58	,,
	,,	75	0.22	,,
	,,	76	0.27	,,
	,,	77	0.35	,,
	,,	78	0.20	,,
	,,	79	0.04	,,
	,,	80	0.86	,,
	,,	81	0.02	,,
	,,	82	0.04	,,
	,,	83	0.16	,,
	,,	84	0.18	,,
	,,	85	0.34	,,
	,,	86	0.40	,,
	,,	87	1.41	,,
	,,	88	0.77	,,
	,,	89	0.42	,,
	,,	90	1.23	,,
	,,	91	0.22	,,
	,,	92	0.17	,,
	,,	93	0.22	,,
	,,	94 (portion)	0.64	,,
	,,	95 (portion)	0.89	,,
	,,	96	0.38	,,
	,,	97	0.53	,,
	,,	98 (portion)	0.89	,,
	,,	99	0.87	,,
	,,	31/102	0.58	,,
	,,	34/103	0.40	,,
	,,	40/104	0.58	,,
	,,	46/105	0.30	land
	,,	50/106	0.19	,,
	,,	52/107	0.07	,,
	,,	47/108	0.09	,,
	,,	60/109	0.19	,,
	,,	60/110	1.04	,,
	,,	60/111	0.30	,,
	,,	62/112	0.58	,,
	,,	35/113	0.22	,,
	,,	47/114	0.06	,,
	,,	75/115	0.25	,,
	,,	93/116	1.40	,,
	,,	71/117	0.11	,,
	,,	64/118	0.14	,,
Barapahar	1107 Ghatsila	3	0.16	,,
N. Plot 1 &	,,	4	0.22	,,
Plot 308	,,	5	0.76	,,
S. Plot 288, 289	,,	6	0.28	,,
290	,,	7	0.23	,,
E. Plot No. 291 and	,,	8	0.19	,,
309	,,	9	0.07	,,
W. Swaspur	,,	10	0.08	,,
Village Boundary	,,	11	1.06	,,
&	,,	12	0.20	,,
Gopalpur Village	,,	13	0.30	,,
Boundary	,,	14	1.25	,,
	,,	15	0.36	,,
	,,	16	0.17	,,
	,,	17	0.38	,,
	,,	18	0.08	,,
	,,	19	0.17	,,
	,,	20	1.08	,,
	,,	21	0.34	,,
	,,	22	0.16	,,
	,,	23	0.11	,,
	,,	24	0.24	,,
	,,	25	0.28	,,
	,,	26	0.14	,,
	,,	27	0.97	,,
	,,	28	0.44	,,
	,,	29	1.57	,,
	,,	30	0.31	,,
	,,	32	0.34	,,
	,,	39	0.06	,,
	,,	40	0.14	,,
	,,	41	0.42	,,
	,,	42	0.10	,,
	,,	43	0.08	,,
	,,	44	0.06	,,
	,,	45	0.17	,,
	,,	46	0.84	,,
	,,	47	0.50	,,
	,,	48	0.23	,,
	,,	49	0.21	,,
	,,	50	0.71	,,
	,,	51	0.65	,,
	,,	53	0.91	,,
	,,	54	0.22	,,
	,,	55	0.26	Acquired
	,,	56	0.73	Land
	,,	58	0.47	,,
	,,	59	0.80	,,

1	2	3	4	5
BARAPAHAR	1107 Ghatsila	60	0 41	Acquired
		61	0 40	Land
	,,	62 (portion)	17 18	,,
	,,	63	1 74	,,
	,,	64	1 56	,,
	,,	65	0 84	,,
	,,	66	0 62	,,
	,,	67	0 37	,,
	,,	82	0 14	,,
	,,	83	1 29	,,
	,,	91	0 83	,,
	,,	92	1 56	,,
	,,	93 (Portion)	2 67	,,
	,,	94	0.57	,,
	,,	95	2 70	,,
	,,	96	0 56	,,
	,,	97	0 32	,,
	,,	98	0 22	,,
	,,	99	0.14	,,
	,,	100	0 10	,,
	,,	101	0 09	,,
	,,	102	0 14	,,
	,,	103	0 35	,,
	,,	104	0 04	,,
	,,	105	0 33	,,
	,,	106	0 41	,,
	,,	107	0 71	,,
	,,	108	0 20	,,
	,,	109	0 23	,,
	,,	116	1 01	,,
	,,	117	0 39	,,
	,,	118	1 05	,,
	,,	119	0 19	,,
	,,	120	0.06	,,
	,,	121	0 06	,,
	,,	122	0 09	,,
	,,	125	0 20	,,
	,,	127	0 06	,,
	,,	128	0 39	,,
	,,	130	0 16	,,
	,,	132	0 21	,,
	,,	133	0.11	,,
	,,	134	0 08	,,
	,,	135	0.10	,,
	,,	140	0 10	,,
	,,	141	0 21	,,
	,,	142	0 26	,,
	,,	143	0 25	,,
	,,	144	0 73	,,
	,,	145 (Portion)	0 49	,,
	,,	146	1 40	,,
	,,	147	0 90	,,
	,,	148	1.27	,,
	,,	149	0 09	,,
	,,	150	0 55	,,
	,,	151	0 11	,,
	,,	152	0 51	,,
	,,	153	0 64	,,
	,,	159	0 50	,,
	,,	160	0 50	,,
	,,	161	0 21	,,
	,,	162	0 54	,,
	,,	163	0 13	,,
	,,	164	1 98	,,
	,,	165	2 67	,,
BARAPAHAR	1107 Ghatsila	166	0 10	Acquired
	,,	167	0 37	Land
	,,	168	1 73	,,
	,,	169	1 02	,,
	,,	171	0 43	,,
	,,	172 (Portion)	0 12	,,
	,,	173	0 48	,,
	,,	175	0 16	,,
	,,	178	1 19	,,
	,,	187	1 56	,,
	,,	188	0 51	,,
	,,	189	0 76	,,
	,,	190	0 61	,,
	,,	191	0 95	,,
	,,	192	1 16	,,
	,,	193	2 35	,,
	,,	194	0.69	,,
	,,	195	1 10	,,
	,,	196	0 25	,,
	,,	197	0 10	,,
	,,	198	0 44	,,
	,,	199	0 10	,,
	,,	200	0 37	,,
	,,	201	0 42	Acquired
	,,	202	0 19	land
	,,	203	0 36	,,
	,,	204	1 47	,,
	,,	205	0 55	,,
	,,	026	0 81	,,
	,,	207	0 25	,,
	,,	208	0 61	,,
	,,	209	0 50	,,
	,,	210	0 87	,,
	,,	211	0 51	,,
	,,	212	0 27	,,
	,,	213	0 10	,,
	,,	214	0 69	,,
	,,	216	0 30	,,
	,,	217	0 29	,,
	,,	218	0 26	,,
	,,	219	0 73	,,
	,,	220	0 04	,,
	,,	221	0 50	,,
	,,	223	0 91	,,
	,,	225	0.06	,,
	,,	226	0 20	,,
	,,	227	0 09	,,
	,,	228	0 17	,,
	,,	229	0 20	,,
	,,	230	0 02	,,
	,,	231	0 02	,,
	,,	232	0 11	,,
	,,	233	0 18	,,
	,,	234	0 36	,,
	,,	235	0 15	,,
	,,	236	0 68	,,
	,,	237	0 14	,,
	,,	238	0 21	,,
	,,	239	2 93	,,
	,,	240	0.13	,,
	,,	241	0 04	,,
	,,	242	0 15	,,
	,,	243	0.26	,,
	,,	244	0 96	,,

1	2	3	4	5
	Ghatsila			
BARAPAHAR	1107	245	0.09	Acquired land
	,,	246	00.3	,,
	,,	247	1.81	,,
	,,	249	0.17	,,
	,,	250	0.97	,,
	,,	251	0.08	,,
	,,	252	1.43	,,
	,,	253	0.16	,,
	,,	254	0.36	,,
	,,	255	0.15	,,
	,,	256	0.04	,,
	,,	257	0.04	,,
	,,	258	0 04	,,
	,,	259	0.48	,,
	,,	260 (Portion)	0.88	,,
	,,	261	0.42	,,
	,,	263	0.53	,,
	,,	264 (Portion)	0.15	,,
	,,	265	0.06	,,
	,,	266	0.48	,,
	,,	267	0.14	,,
	,,	268	0.54	,,
	,,	269	0.67	,,
	,,	270	0.39	,,
	,,	271	0.12	,,
	,,	272	0.56	,,
	,,	274	0.21	,,
	,,	275	0.53	,,
	,,	279	0.28	,,
	,,	280 (Portion)	0.77	,,
	,,	281	0.19	,,
	,,	282	0.12	,,
	,,	283 (Portion)	1.60	,,
	,,	284	0.59	,,
	,,	285	0.32	,,
	,,	286	0.54	,,
	,,	292	0.10	,,
	,,	293	0.07	,,
	,,	294	0.09	,,
	,,	296	0.20	,,
	,,	297	0.02	,,
	,,	298	0.34	,,
	,,	299	0.41'	,,
	,,	300	0.58	,,
	,,	301	0.38	,,
	,,	302	0.21	,,
	,,	303	0.15	,,
	,,	304	0.07	,,
	,,	305	0.16	,,
	,,	306	0.24	,,
	,,	307	1.00	,,
	,,	284/310	0.73	,,
	,,	272/311	0.15	,,
	,,	308/312 (Portion)	2.52	,,
	,,	300/314	0.36	,,
	,,	302/315	0.36	,,
	,,	2/316 Portion	1.88	,,
	,,	62/318	1.62	,,
	,,	62/319	2.94	,,
	,,	194/321 Portion	0.09	,,
	,,	244/322 Portion	0.16	Acquired land
	,,	3/323	0.53	,,
	,,	24/324	0.22	,,
	,,	93/325	1.70	,,
	,,	181/326	0.01	,,
	,,	183/327	0.02	,,
Tentuldanga	93 Ghatsila	192 Portion	0.16	,,
N. Gara Nalla & PWD Road.	194	193 Portion	0.12	,,
		194	3.74	,,
S. PWD Road & Matigora Vill. Boundary		222	2.48	,,
		195	2.02	,,
		197	4.76	,,
E. Murgaghuttu Village Boundary.		199	0.96	,,
		200	2.70	,,
W. D.B. Road Plot No. 189 & Mati Gora Plot No. 365		201	1.80	,,
		202	2.64	,,
		203	3.30	,,
		204	0.10	,,
		205	0.84	,,
		206	0.95	,,
		207	0.60	,,
		208	0.93	,,
		210	0.85	,,
		212	0.32	,,
		213	0.30	,,
		214	0.66	,,
		215	1.35	,,
		216	1.87	,,
		217 Portion	0.11	,,
		220 Portion	24.18	,,
		191	10.00	Permissive possession
		192	0.56	,,
Tentuldanga	93 Ghatsila	193	0.46	,,
		196	0.85	,,
		198	0.50	,,
		209	0.16	,,
		211	0.55	,,
		218	0.29	,,
Murgaghutu	92 Ghatsila	2 Portion	0.72	Acquired land
N. Plot No. 1		3	0.63	,,
S.Matigora & Sindurguri Nallah	,,	4	0.11	,,
	,,	5	0.09	,,
	,,	6	0.11	,,
E. Sindurguri Nallah	,,	7	0.16	,,
W. Tentuldanga Village Boundary	,,	8	1.25	,,
	,,	9	0.22	,,
	,,	10	0.12	,,
	,,	11	0.37	,,
	,,	16	0.08	,,
	,,	17	0.30	,,
	,,	18	0.31	,,
	,,	19	0.55	,,
	,,	22	0.10	,,
	,,	24	0.07	,,

1	1	3	4	5
Murgaghutu	92 Ghatsila	25 Portion	0.32	Acquired land
	,,	26	0.14	,,
	,,	27	0.67	,,
	,,	28	0.05	,,
	,,	29	0.14	,,
	,,	30	0.15	,,
	,,	32	0.06	,,
	,,	33	0.55	,,
	,,	34	0.54	,,
	,,	35	0.37	,,
	,,	38	0.77	,,
	,,	39	0.14	,,
	,,	40	0.23	,,
	,,	41	2.80	,,
	,,	43	0.25	,,
	,,	46	0.22	,,
	,,	47	0.15	,,
	,,	2/152	0.94	,,
	,,	48	0.07	,,
	,,	50	0.47	,,
	,,	51	0.82	,,
	,,	54	0.49	,,
	,,	55	1.34	,,
	,,	56	0.46	,,
	,,	58	0.33	,,
	,,	60	0.35	,,
	,,	61	1.15	,,
	,,	62	1.04	,,
	,,	66	0.68	,,
	,,	67	1.01	,,
	,,	68	0.18	,,
	,,	69	0.04	,,
	,,	70	5.55	,,
	,,	71	0.01	,,
	,,	72	0.42	,,
	,,	73	0.30	,,
	,,	74	0.13	,,
	,,	75	0.09	,,
	,,	76	1.68	,,
	,,	77	0.43	,,
	,,	78	0.08	,,
	,,	79	0.05	,,
	,,	80	0.71	,,
	,,	81 Portion	0.69	,,
	,,	82 Portion	0.22	,,
	,,	83	0.54	,,
	,,	84	0.58	,,
	,,	85	0.57	,,
	,,	86	0.34	,,
	,,	87	0.14	,,
	,,	88 Portion	8.44	,,
	,,	89	0.24	,,
	,,	93	0.69	,,
	,,	94	2.10	,,
	,,	95	0.01	,,
	,,	96	1.70	,,
	,,	97	1.65	,,
	,,	98	0.14	,,
	,,	99	1.00	,,
	,,	100	2.44	,,
	,,	101	0.01	,,
	,,	103	0.46	,,
	,,	104	0.45	,,
	,,	106	0.10	,,

1	2	3	4	5
Murgaghutu	92 Ghatsila	107	0.10	Acquired land
	,,	108	0.56	,,
	,,	109	0.04	,,
	,,	111	0.30	,,
	,,	112	0.12	,,
	,,	113 Portion	0.17	,,
	,,	114 Portion	0.35	,,
	,,	115	0.08	,,
	,,	121	0.20	,,
	,,	123	0.67	,,
	,,	126	0.35	,,
	,,	128	0.08	,,
	,,	130	0.15	,,
	,,	132	0.40	,,
	,,	39/138	0.28	,,
	,,	139	1.00	,,
	,,	140	1.00	,,
	,,	141	0.18	,,
	,,	144	0.55	,,
	,,	40/147	0.16	,,
	,,	148	0.12	,,
	,,	149	0.70	,,
	,,	150	0.01	,,
	,,	151	4.30	,,
	,,	42/153	0.85	,,
	,,	2 Portion	4.08	Permissive possession
	,,	4/135	0.02	,,
	,,	6/136	0.02	,,
	,,	12	0.01	,,
	,,	13	0.03	,,
	,,	14	0.69	,,
	,,	15	0.05	,,
	,,	20	0.19	,,
	,,	21	0.14	,,
	,,	23	0.15	,,
	,,	25 Portion	2.14	,,
	,,	31	0.07	,,
	,,	36	0.13	,,
	,,	37	0.20	,,
	,,	42	0.03	,,
	,,	44	2.50	,,
	,,	45	0.08	,,
	,,	49	0.17	,,
	,,	52	0.02	,,
	,,	53	0.03	,,
	,,	57	0.10	,,
	,,	59	0.68	,,
	,,	56/137	0.07	,,
	,,	63	0.23	,,
	,,	65	1.40	,,
	,,	65	0.24	,,
	,,	42/153 Portion	9.33	,,
	,,	101	1.69	,,
	,,	102	0.19	,,
	,,	105	0.50	,,
	,,	107 Portion	3.48	,,
	,,	125 Portion	1.02	,,
	,,	142	0.20	,,

1	2	3	4	5
Murgaghutu	92	143	0.07	Permissive
	Ghatsila	90	0.98	possession
	,,	91	0.03	,,
	,,	92	0.35	,,
	,,	93/145	0.45	,,
	,,	66	0.68	,,
	,,	115	0.08	,,
	,,	94/146	0.43	,,
	,,	119	0.49	,,
	,,	120	0.18	,,
	,,	124	0.70	,,
ROAM	91	3 Portion	1.50	Acquired
N. Plot No. 2	Ghatsila	4	0.94	land
Gura Nallah	,,	5	0.18	,,
S. Road, Plot	,,	6	0.15	,,
No. 215	,,	7	1.71	,,
E. Digri Village	,,	8	2.06	,,
Boundary &	,,	9	0.20	,,
Road, Plot	,,	10	0.16	,,
No. 215				
W. Sindurguri	,,	11	0.74	,,
Nallah	,,	12	1.23	,,
	,,	13	0.45	,,
	,,	14	0.40	,,
	,,	15 Portion	1.52	,,
	,,	16	0.09	,,
	,,	17	0.06	,,
	,,	18	0.45	,,
	,,	19	0.40	,,
	,,	20	1.76	,,
	,,	21/1210	0.12	,,
	,,	21 Portion	0.33	,,
	,,	22	0.17	,,
	,,	23	0.20	,,
	,,	24	0.23	,,
	,,	25	0.08	,,
	,,	26	0.68	,,
	,,	27	0.28	,,
	,,	28	0.45	,,
	,,	29/1201	0.05	,,
	,,	29/1200	0.09	,,
	,,	29	0.46	,,
	,,	30 Portion	0.46	,,
	,,	31	0.38	,,
	,,	32	0.47	,,
	,,	27/1202	0.04	,,
	,,	27/1208	0.06	,,
	,,	32/1203	0.04	,,
	,,	33/1204	0.18	,,
	,,	34/1205	0.41	,,
	,,	33	0.56	,,
	,,	34	0.57	,,
	,,	35 Portion	0.55	,,
	,,	36	0.17	,,
	,,	37	0.25	,,
	,,	38	0.45	,,
	,,	39	0.09	,,
	,,	40	0.30	,,
	,,	40/1206	0.62	,,
	,,	41	0.20	,,
	,,	42 Portion	0.18	,,
	,,	43	0.31	,,
	,,	44	0.17	,,

1	2	3	4	5
ROAM	91	45	0.18	Acquired
	Ghatsila	46	0.34	land
	,,	47	0.27	,,
	,,	48	0.11	,,
	,,	49	0.09	,,
	,,	50	0.11	,,
	,,	51	0.37	,,
	,,	52	0.21	,,
	,,	53	0.40	,,
	,,	54 Portion	0.40	,,
	,,	55	0.20	,,
	,,	56	0.02	,,
	,,	57	0.12	,,
	,,	58	0.21	,,
	,,	59	0.14	,,
	,,	60	0.24	,,
	,,	61	0.02	,,
	,,	62	0.10	,,
	,,	63	0.19	,,
	,,	64	0.11	,,
	,,	65	0.22	,,
	,,	67	0.08	,,
	,,	68	0.52	,,
	,,	69	0.02	,,
	,,	70	0.35	,,
	,,	71	0.15	,,
	,,	72	0.12	,,
	,,	73	0.06	,,
	,,	74	0.09	,,
	,,	75	0.08	,,
	,,	78	0.19	,,
	,,	79	0.10	,,
	,,	80	0.30	,,
	,,	81	0.02	,,
	,,	82	0.06	,,
	,,	83	0.18	,,
	,,	84	0.10	,,
	,,	85	0.18	,,
	,,	86	0.14	,,
	,,	87	0.15	,,
	,,	88	0.02	,,
	,,	89	0.10	,,
	,,	90	0.10	,,
	,,	91	0.01	,,
	,,	92	0.03	,,
	,,	93	0.29	,,
	,,	94	0.28	,,
	,,	95	0.09	,,
	,,	95/1250	0.14	,,
	,,	96	0.59	,,
	,,	97	0.02	,,
	,,	98	0.10	,,
	,,	99	0.08	,,
	,,	100	1.57	,,
	,,	101	0.02	,,
	,,	102	0.52	,,
	,,	103	0.01	,,
	,,	104	0.15	,,
	,,	105	0.05	,,
	,,	106	0.63	,,
	,,	107	0.14	,,

1	2	3	4	5
	91	108	0.66	Acquired
ROAM	Ghatsila			land
		109	1.03	
	,,	110	0.88	,,
	,,	111	0.44	,,
	,,	112	0.15	,,
	,,	113	0.10	,,
	,,	115	1.01	,,
	,,	116	0.19	,,
	,,	117	0.39	,,
	,,	118	0.04	,,
	,,	119	0.02	,,
	,,	120	0.26	,,
	,,	121	0.02	,,
	,,	122	0.72	,,
	,,	123	0.02	,,
	,,	124	0.23	,,
	,,	125	0.02	,,
	,,	126	0.34	,,
	,,	127	1.45	,,
	,,	128	0.04	,,
	,,	129	0.02	,,
	,,	130	0.04	,,
	,,	131	0.03	,,
	,,	132	0.02	,,
	,,	133	0.05	,,
	,,	134	1.14	,,
	,,	135	0.10	,,
	,,	136	0.55	,,
	,,	137	0.82	,,
	,,	141/1226	0.19	,,
	,,	138	0.06	,,
	,,	139	0.79	,,
	,,	140	0.06	,,
	,,	141 Portion	0.80	,,
	,,	142	1.96	,,
	,,	143	0.57	,,
	,,	144	0.11	,,
	,,	145	0.22	,,
	,,	146	0.61	,,
	,,	147	1.27	,,
	,,	148	0.82	,,
	,,	149	0.05	,,
	,,	150	0.17	,,
	,,	151	0.82	,,
	,,	152	0.36	,,
	,,	11/1246	0.22	,,
	,,	11/1209	0.15	,,
	,,	154	0.52	,,
	,,	155	0.55	,,
	,,	156	0.77	,,
	,,	157	0.67	,,
	,,	158	0.78	,,
	,,	159	0.55	,,
	,,	160	0.83	,,
	,,	161	0.43	,,
	,,	162	0.18	,,
	,,	163	0.24	,,
	,,	164	3.66	,,
	,,	165	2.01	,,
	,,	166	0.80	,,
	,,	167	0.43	,,
	,,	168	0.39	,,
	,,	169	0.28	,,
	,,	170	0.23	,,
	,,	171	0.88	,,
	,,	172	0.52	,,
	,,	173	0.97	,,
	,,	174	0.46	,,
	,,	175	0.67	,,
	,,	176/1224	0.44	,,
	,,	177	0.48	,,
	,,	178	0.50	,,
	,,	179	0.72	,,
	,,	180	1.04	,,
	,,	181 Portion	1.68	,,
	,,	181/1242	0.65	,,
	,,	182 Portion	0.91	,,
	,,	184	0.93	,,
	,,	164/1262	1.62	,,
	,,	185	0.44	,,
	,,	186	0.55	,,
	,,	188	0.23	,,
	,,	189	0.36	,,
	,,	190	1.75	,,
	,,	192	0.07	,,
	,,	194	0.45	,,
	,,	195 Portion	0.24	,,
	,,	196	0.37	,,
	,,	197	0.35	,,
	,,	198	0.36	,,
	,,	198	0.36	,,
	,,	199	0.54	,,
	,,	200	0.67	,,
	,,	201	0.60	,,
	,,	202	0.45	,,
	,,	203	0.39	,,
	,,	198/1258	0.20	,,
	,,	198/1257	0.12	,,
	,,	198/1256	0.10	,,
	,,	206	0.36	,,
	,,	204	0.07	,,
	,,	205	0.04	,,
	,,	207	0.24	,,
	,,	212	0.14	,,
	,,	207/1243	0.16	,,
	,,	28/No.	0.34	,,
	,,	15 Portion	0.98	Permissive possession
	,,	42 Portion	2.35	,,
	,,	109	10.42	,,
	,,	135 Portion	16.21	,,
	,,	141	1.04	,,
	,,	153	0.23	,,
	,,	176	2.54	,,
	,,	183 Portion	2.63	,,
	,,	187	0.04	,,
	,,	191	0.40	,,
	,,	193 Portion	2.97	,,
	,,	195 Portion	1.12	,,
	,,	159/1225	0.10	,,
	,,	370	18.55	,,
MATIGORA	94	366	1.39	,,
MAIN SHAFT	Ghatsila			
AREA	,,	365	2.16	,,
	,,	370	3.35	,,
	,,	372	3.58	,,

List of Homesteed Land for which possession has not been taken but under process of Acquisition

Village	Thana No.	Plot No.	Area in Acres	Type of possession
1	2	3	4	5
BARAPAHAR	1107 Ghatsila	33	0.28	Possession not yet taken
		34	0.88	,,
	,,	35	0.10	,,
	,,	36	0.31	,,
	,,	37	0.14	,,
	,,	52	0.10	,,
	,,	62 Portion	0.38	,,
	,,	69	0.02	,,
	,,	70	0.54	,,
	,,	71	0.04	,,
	,,	72	0.43	,,
	,,	73	0.18	,,
	,,	74	0.02	,,
	,,	75	0.02	,,
	,,	76	0.25	,,
	,,	77	0.22	,,
	,,	78	0.03	,,
	,,	79	0.08	,,
	,,	80	0.11	,,
	,,	81	0.39	,,
	,,	84	0.60	,,
	,,	85	0.04	,,
	,,	86	0.04	,,
	,,	87	0.30	,,
	,,	88	0.26	,,
	,,	89	0.03	,,
	,,	90	0.49	,,
	,,	123	0.08	,,
	,,	124	0.18	,,
	,,	126	0.32	,,
	,,	129	0.03	,,
	,,	131	0.04	,,
	,,	136	0.10	,,
	,,	137	0.01	,,
	,,	138	0.01	,,
	,,	139	0.15	,,
	,,	93 Portion	0.10	,,
	,,	110	0.28	,,
	,,	111	0.04	,,
	,,	112	0.05	,,
	,,	113	0.04	,,
	,,	114	0.06	,,
	,,	115	0.65	,,
	1107	38	0.03	
	,,	68	0.03	,,
	,,	145 Portion	0.02	,,
	,,	154	0.01	,,
	,,	155	0.01	,,
	,,	156	0.04	,,
	,,	157	0.04	,,
	,,	158	0.51	,,
	,,	181	0.26	,,
	,,	182	0.02	,,
BARAPAHAR	1107 Ghatsila	183	0.27	Possession not yet taken
	,,	184	0.01	,,
	,,	185	0.78	,,
	,,	186	0.04	,,
	,,	273	0.01	,,
	,,	276	0.02	,,
	,,	277	0.16	,,
	,,	278	0.04	,,
	,,	280 Portion	0.04	,,
	,,	305/312 Portion	0.04	,,

[File No. 14/1/83- Met. III]

J. S RIDHARAN, Dy. Secy.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1983

का०आ० 3920—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 20 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 307, तारीख 28 जनवरी, 1959 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे की सारणी में, क्रम सं० 26 के सामने स्तम्भ 1 और 2 में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"26(क)	नमक उप आयुक्त (मुख्यालय), जयपुर	राजस्थान राज्य मे स्थित नमक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन परिसर।
(ख)	नमक उप-आयुक्त, मद्रास और अहमदाबाद	उनकी अपनी अपनी अधिकारिताओं की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित नमक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन परिसर।
(ग)	नमक उप आयुक्त मुम्बई।	महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों और गोवा, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र में, जिसके अन्तर्गत चैम्बूर ग्राम, मुम्बई (महाराष्ट्र) के पैस्टम सागर साल्ट वर्क्स (सर्वेक्षण सं० 320) है स्थित नमक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन परिसर।

[सं० 02011/2/83 नमक]

ओ० पी० शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 14th Sept., 1983

S.O.3920 —In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 20 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendments to the notification of the Government of India in the late Ministry of Works, Housing and Supply No. S.O. 307, dated the 28th January, 1959 namely:—

In the Table below the said notification, for the entries in columns 1 and 2 against serial No. 26, the following shall be substituted, namely:—

"26. (a) Deputy Salt Commissioner (Headquarters), Jaipur.	Premises under the administrative control of the Salt Department situated in the State of Rajastahan.
(b) Deputy Salt Commissioner, Madras and Ahmedabad.	Premises under the administrative control of the Salt Department, situated within the local limits of their respective jurisdictions.
(c) Deputy Salt Commissioner, Bombay.	Premises under the administrative control of the Salt Department situated in the States of Maharashtra, Karnataka and the Union territory of Goa, Diu and Daman, including the Pestomsagar Salt Work (Survey No. 320) of villag Chembur, Bombay (Maharashtra)"

[No. 02011/2/83 Salt]

O. P. SHARMA, Under Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

पेट्रोलियम विभाग

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1983

का० आ० 3921.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (i) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 2758 तारीख 13-6-83 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाईपलाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः समक्ष प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (i) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

विरमगाम से सी० टी० एफ० कलोल

राज्य: गुजरात जिला: मेहसाना तालुका कलोल

गांव	ब्लोक नं०	हे०	एआरई	सें०
1	2	3	4	5
सरीसा	364	00	09	60
	363	00	00	72
	365	00	06	63
	361	00	08	70
	313/P	00	06	30
	313/P	00	36	05
	318	00	00	10
	317	00	13	50
	316	00	07	65
	339	00	11	55
	338	00	22	00
	340	00	00	20
	335	00	12	00
	336	00	12	15
	327	00	14	40
	330	00	07	80
	329	00	00	80
	328	00	09	70
	कार्ट ट्रेक	00	01	50
	399	00	07	35
	405	00	19	50
	408	00	13	00
	409	00	01	40
	410	00	14	65
	कार्ट ट्रेक	00	00	45
	583	00	15	75
	580	00	09	00
	579	00	12	60
	कार्ट ट्रेक	00	01	50
	577	00	16	20
	578	00	00	15

1	2	3	4	5
	568	00	17	75
	569	00	06	05
	602	00	11	55
	711	00	15	00
	710	00	12	00
	737	00	05	85
	709	00	00	15
	738	00	11	10
	739	00	00	90
	747	00	36	15
	746	00	05	25
	कार्ट ट्रेक	00	00	60
	788	00	09	60
	789	00	00	15
	कार्ट ट्रेक	00	01	05
	858	00	05	40
	857	00	10	20
	793/A	00	12	75
	793/B	00	13	05
	845	00	04	50
	840	00	09	90
	843	00	00	20
	838	00	09	10
	837	00	09	75
	834	00	29	35
	905	00	03	65

[सं० 12016/48/83-प्रोड्]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 24th September, 1983

S.O. 3921.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, (Department of Petroleum) S.O. 2758 dated 13-6-83 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Viramgam to C.T.F. Kalol

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Serisa	364	0	09	60
	363	0	00	72
	365	0	06	63
	361	0	08	70
	313/P	0	06	30
	313/P	0	36	05
	318	0	00	10
	317	0	13	50
	316	0	07	65
	339	0	11	55
	338	0	22	00
	340	0	00	20
	335	0	12	00
	336	0	12	15
	327	0	14	40
	330	0	07	80
	329	0	00	80
	328	0	09	70
	Cart Track	0	01	50
	399	0	07	35
	405	0	19	50
	408	0	13	00
	409	0	01	40
	410	0	14	65
	Cart track	0	00	45
	583	0	15	75
	580	0	09	00
	579	0	12	60
	Cart track	0	01	50
	577	0	16	20
	578	0	00	15
	568	0	17	75
	569	0	06	05
	602	0	11	55
	711	0	15	00
	710	0	12	00
	737	0	05	85
	709	0	00	15
	738	0	11	10
	739	0	00	90
	747	0	36	15
	746	0	05	25
	Cart track	0	00	60
	788	0	09	60
	789	0	00	15
	Cart track	0	01	05
	858	0	05	40
	857	0	10	20
	793/A	0	12	75
	793/B	0	13	05
	845	0	04	50
	840	0	09	90
	843	0	00	20
	838	0	09	10
	837	0	09	75
	834	0	29	35
	905	0	03	65

[N o. 12016/48/83-Prod.]

का०आ० 9322.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 4319 तारीख 25-12-82 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है, कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केंद्रीय सरकार में निहीत होने के बजाए हिन्दुस्तान पट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, बम्बई में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

एल०ए० केस नम्बर 19/82

अनुसूची

पाईप लाईन वडगांव से, तालुका मावल, जिला पूणे, महाराष्ट्र

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	
			हे०	ऐयर
1	2	3	4	
वडगांव	8 का भाग	—	00	55
	13 "	—	00	23
	34 "	—	00	08
	15 "	—	00	20
	27 "	—	00	40
	28 "	—	00	36
	29 "	—	00	32
	236 "	—	00	36
	237 "	—	00	20
	238 "	—	00	28
	240 "	—	00	36
	241 "	—	00	08
	255 "	—	00	65
	256 "	—	00	32
	268 "	—	00	28
	269 "	—	00	22

[क्रमांक ओ-12016/67/82-प्रोड]

S.O. 3922.—Whereas by a notification of Government of India in the Ministry of Energy (Department of Petroleum) S.O. 4319 (No. 12016/67/82-Prod.) dated 25-12-82 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the Lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired for laying the pipelines ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

L.A. CASE NO. 19/82

SCHEDULE

Village : Vadgaon, Taluka : Mawal, Dist. : Pune, Maharashtra

Village	Survey No./Gat No	Hissa No.	AREA	
			H.	R.
Vadgaon	8 Part	—	00	55
,,	13 ,,	—	00	23
,,	14 ,,	—	00	08
,,	15 ,,	—	00	20
,,	27 ,,	—	00	40
,,	28 ,,	—	00	36
,,	29 ,,	—	00	32
,,	236 ,,	—	00	36
,,	237 ,,	—	00	20
,,	238 ,,	—	00	28
,,	240 ,,	—	00	36
,,	241 ,,	—	00	08
,,	255 ,,	—	00	65
,,	256 ,,	—	00	32
,,	268 ,,	—	00	28
,,	269 ,,	—	00	22

[No. O-12016/67/82-Prod.]

का० आ० 3923.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 663 तारीख 11-1-83 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कूप नं० वालनेर 1 से मोटवान जी० सी० एस०
राज्य –गुजरात जिला – भरूच तालुका – अंकलेश्वर

गांव	ब्लाक नं०	हे०	एआरई	सें०
मोटवान	357	00	09	75
	103	00	10	40
	120	00	09	10

[सं० -12016/73/82-प्रोड०].

S.O. 3923.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, (Department of Petroleum) S.O. 663 dated 11-1-83 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipe line From Well No. Walner 1 To Motwan GCS
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Ankleshwar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
otwan	357	0	09	75
	103	0	10	40
	120	0	09	10

[No. O-12016/73/82-Prod.]

का० आ० 3924.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० 2830 तारीख 27-6-83 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से उत्रन तक पाइप लाइन बिछाने के लिए
राज्य : गुजरात जिला : सूरत तालुका : ओलपाड

गांव	ब्लोक नं०	हे०	एआरई	सें०
गोथाना	375	00	04	12
	376	00	46	80
	377	00	10	07
	378	00	55	24
	371	00	08	62
	379	00	09	36
	380	00	48	02
	390	00	03	22
	383	00	07	99

[सं० 12016/81/83-प्रोड०]

S.O. 3924.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, (Department of Petroleum) S.O. 2830 dated 27-6-83 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Mnerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From Hajira To Utran

State : Gujarat District : Surat Taluka : Olpad

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Gothan	375	0	04	12
	376	0	46	80
	377	0	10	07
	378	0	55	24
	371	0	08	62
	379	0	09	36
	380	0	48	02
	390	0	03	22
	383	0	07	99

[No. 12016/81/83-Prod.]

का० आ० 3925.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 2832 तारीख 27-6-83 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाईप लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

डी० एस० नं० एस० एन० ऐ० एक्स से एस० एन० ए० टी० तक पाइपलाईन बिछाने के लिए,

राज्य—गुजरात जिला व तालुका—मेहसाना

गांव	सर्वे० नं०	हे०	एआर आई	सेन्टीयर
संथाल	429	00	01	00
	430	00	11	50
	431	00	12	25
	447	00	08	00

[सं० O-12016/83/83-प्रोड०]

S.O. 3925.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Petroleum) S.O. 2832 dated 27-6-83 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of users in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From D.S. No. SNAX To SNAT
State . Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Santhal	429	0	01	00
	430	0	11	50
	431	0	12	25
	447	0	08	00

[No. O-12016/83/83-Prod.]

का० आ० 3926.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 2834 तारीख 27-6-83 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जे० एन० पी० सेक्शुटाना जी० जी० एस० तक पाइप लाइन

राज्य—गुजरात जिला व तालुका— मेहसाना

गांव	सर्वे० नं०	हेक्टेयर	एआरई०	सेंन्टीयर
सुटाना	1489	0	11	10
	1487	0	06	70
	1490	0	06	70
	1484	0	09	00
	1494	0	06	30
	1495	0	13	20

[सं० O- 12016 / 85 / 83- प्रोड०]

S.O. 3926.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Energy, (Department of Petroleum) S.O. 2834 dated 27-6-83 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From J.N.P. To Jotana G.G.S.
State : Gujarat District & Taluka : Mohsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Jotana	1489	0	11	10
	1487	0	06	70
	1490	0	06	70
	1484	0	09	00
	1494	0	06	30
	1495	0	13	20

[No. O-12016/85/83-PROD.]

का०आ० 3927.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 2835 तारीख

27-6-83 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाईप लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एन० के० ई० ऐ० सं० एन० के० 32 तक पाईपलाईन

राज्य : गुजरात जिला : मैहसान तालुका : कडी

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
चालासन	125	0	05	50
	124	0	00	50
	136/2	0	03	80
	123	0	09	80
	122	0	00	50
	कार्ट ट्रेक	0	01	00
	119/2/2	0	00	60
	119/2/1	0	07	30

[सं० O-12016/86/83-प्रोड०]
राजेन्द्र सिंह, निदेशक

S.O. 3927.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, (Department of Petroleum) S.O. 2835 dated 27-6-83 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From N.K.E.A. To N.K.-32

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Chalasan	125	0	05	50
	124	0	00	50
	136/2	0	03	80
	123	0	09	80
	122	0	00	50
	Cart track	0	01	00
	119/2/2	0	00	60
	119/2/1	0	07	30

[No. O-12016/86/83-Prod.]
RAJENDRA SINGH, Director

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1983

का०आ० 3928.—वास्तुकला अधिनियम, 1972 (1972 का 20वां) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उपरोक्त अधिनियम के खंड 3 के अन्तर्गत गठित की गई वास्तुकला परिषद के सदस्यों के नाम निम्न प्रकार से अधिसूचित करती है :

(क) खंड 3 के उपखंड (3) की धारा (क) के अन्तर्गत

नाम	चुनाव की तिथि
1	2	3
1. श्री माधव गणेश देवभक्त, मार्फत मैसर्स सेन एंड पेमास्टर प्रोसपेक्ट चेम्बर अनेक्सी, डा०डी०एन रोड, फोर्ट बम्बई-400001	24-1-1983
2. श्री होमी नौसिरवान डलास 70/बी, गोवालिया टैंक रोड, बम्बई-400026	24-1-1983

1	2	3
3.	श्री अरुणकुमार चटर्जी, उपनिदेशक तकनीकी शिक्षा (प्रशा०) ऐलफिन्सटोन तकनीकी हाई स्कूल भवन, महापालिका मार्ग, बम्बई 400001	24-1-1983
4.	श्री राम फतेह चन्द केवलरमानी, ए 1/3, कृपा नगर, स्वामी विवेकानन्द रोड, इरला, बम्बई-400056	24-1-1983
5.	श्री राजा शिवाजी पोरेडी, 'गोल्ड मिस्ट", प्लाट नं० 36, प्रथम तल, कार्टर रोड, बान्द्रा, बम्बई 400050	24-1-1983

(ख) खंड 3 के उपखंड (3) की धारा (ख) के अन्तर्गत

	नाम	नामांकन की तिथि
6.	प्रो० बी०वी० दोशी, वास्तुकार, पर्यावरण डिजाइन के अध्ययन और अनुसंधान के लिए वास्तुशिल्प प्रतिष्ठान, "संगथ" थलतेज रोड, अहमदाबाद-380054	2-2-1983
7.	श्री ए०पी० कानविन्दे, वास्तुकार, अच्युत कानविन्द्र वास्तुकार, 14एफ, मिडिल सर्कल, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001	2-2-1983

(ग) खंड 3 के उपखंड (3) की धारा (ग) के अन्तर्गत

	नाम	चुनाव तिथि
8.	प्रो० सतीश अनंत ढुंगरे, प्राचार्य, सर जे०जे० वास्तुकला, कालेज, डा० डी०एन० रोड, बम्बई-400001	20-12-1982
9.	प्रो० चन्द्रकान्त केशव गुम्स्ते, प्राचार्य, वास्तुकला अकादमी, प्लाट नं० 278, शंकर घनेकर मार्ग, प्रभादेवी, बम्बई-400025	20-12-1982
10.	प्रो० वैकुण्ठ राधाकृष्ण सरदेसाई, प्राचार्य बी०के०पी०एस० वास्तुकला कालेज, अभिनव कला महाविद्यालय, तिलक रोड, पुणे-30	20-12-82
11.	डा० प्रमोद शंकरराव शिन्दे, प्राचार्य, ललित कला और वास्तुकला कालेज, जे०टी०यू० केम्पस, मसब टैंक, हैदराबाद-400050	12-3-1983
12.	प्रो० दागडू सखलाराम भौसले, प्राचार्य (वास्तुकला) एल०एम० रहेजा कला स्कूल सेंट मार्टिन्स रोड, बान्द्रा (प०) बम्बई-400050	12-3-1983

(घ) खंड 3 के उपखंड 3 की धारा (घ) के अन्तर्गत

13.	श्री एच०आर० लोरोया, मुख्य वास्तुकार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, कार्य महानिदेशालय का कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।	पदेन
14.	श्री एच०के० राखड़ा, मुख्य वास्तुकार, इंजीनियर-इन-चीफ की शाखा, सेना मुख्यालय रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।	पदेन
15.	श्री वी०के० पुंज, अतिरिक्त निदेशक (वास्तुकला) प्रमुख वास्तुकला विभाग, रेल मंत्रालय, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन, लखनऊ-226011	पदेन

(ङ) खंड 3 के उपखंड (3) की धारा (ङ) के अन्तर्गत

16.	श्री सी०एस० झा, शिक्षा सलाहकार (तकनीकी), शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	6-2-1983

नाम	नामांकन तिथि
(च) खंड 3 के उपखंड (3) की धारा (च) के अन्तर्गत	
17. श्री बी०ए० कैडिया, मुख्य वास्तुकार, गुजरात सरकार, 8-ए, मल्टि स्टोरी भवन, लाल दरवाजा, अहमदाबाद-380001	14-12-1982
18. श्री वी० एन० शाह, मुख्य वास्तुकार, वास्तुकला विभाग, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़।	27-5-1983
19. श्री थोमस पानोकर, उप-मुख्य वास्तुकार, लोक निर्माण विभाग, केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम।	2-5-1983
20. श्री आर०टी० सवार्देकर, सरकार के वास्तुकार, महाराष्ट्र सरकार, 25, मुर्जबान रोड, फोर्ट, बम्बई-400001	22-4-1983
21. श्री एम० जंगो, सहायक वास्तुकार, मुख्य अभियन्ता का कार्यालय (लो०नि०वि०), नागालैण्ड सरकार, नागालैण्ड, कोहिमा	23-5-1983
22. श्री एच०एन० मनापुरे, उप-मुख्य वास्तुकार, मुख्य इंजीनियर का कार्यालय (आर एंड बी) उड़ीसा सरकार, भुबनेश्वर	22-3-1983
23. श्री जीत मल्होत्रा मुख्य वास्तुकार, वास्तुकला विभाग, पंजाब सरकार, चंडीगढ़।	16-5-1983
24. तिरु के०आर० सुब्रमण्यम, वरिष्ठ वास्तुकार, लोक निर्माण विभाग, तमिलनाडु सरकार, फोर्ट सेंट जार्ज मद्रास-600009	23-3-1983
25 श्री अरुणभा चक्रवर्ती, सरकारी वास्तुकार लोक निर्माण विभाग, त्रिपुरा सरकार, अगरतला।	12-11-1982
26. श्री आनन्द प्रकाश त्यागी, वरिष्ठ वास्तुकार, मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।	28-5-1983
27. श्री ए०के० मजूमदार, सरकार के मुख्य वास्तुकार और पदेन अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (लो०नि०वि०) लोक निर्माण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, राइटस बिल्डिंग, कलकत्ता।	9-11-1982
28. श्रीमती पी० सूरी, प्रमुख वास्तुकला विभाग, मार्फत प्राचार्य महिला पोलिटैक्निक दिल्ली प्रशासन, महारानी बाग, नई दिल्ली।	22-4-1983
29. श्री सी०जी० गोम्स, वरिष्ठ वास्तुकार, लोक निर्माण विभाग, गोवा, दमन और दीव सरकार, अल्टिन्हो, पणजी।	27-5-1983
30. श्री ए०के० घोष, वास्तुकार, मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, मिजोरम सरकार, आइजौल।	17-6-1983
31. श्री कुंवन लाल, वास्तुकार, लोक निर्माण विभाग, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर,	29-6-1983

नाम	नामांकन की तिथि
32. श्री सुरजीत सिंह मुख्य वास्तुकार और सचिव, वास्तुकला विभाग, चंडीगढ़ प्रकाशन, चंडीगढ़।	24-12-1983
33. श्री एन०सी० साइकिया, वास्तुकार, मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, (भवन) लोक निर्माण विभाग, असम सरकार, चांदमारी, गोहाटी-3	5-7-1983
34. श्री बी०पी० मल्होत्रा, वरिष्ठ वास्तुकार, लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2	23-7-1983
(छ) खंड 3 के उपखंड (3) की धारा (छ) के अन्तर्गत	
35. श्री सी०आर० अलिमचन्दानी, अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक, स्टप कन्सल्टेन्टस लिमिटेड, 1004, 5 और 7, रहेजा चेम्बर्स, नारीमन प्वाइंट, बम्बई-400021	7-3-1983
36. श्री पी०पी० धखडकर, फ्लैट नं० आर० 34, तारा अपार्टमेंटस, तारा कोओपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, गोबिन्दपुरी एक्सटेंशन, कालकाजी एरिया, नई दिल्ली-110019	16-7-1983
(ज) खंड 3 के उपखंड 3 की धारा (ज) के अन्तर्गत	
37. श्री जे०पी० बजाज, ए० 294, न्यू फ्रेंड्स कालोनी, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110065।	5-1-1983

[एफ० सं० 17-16/82-टी० 13]

एम०एस० श्रीनिवासन, संयुक्त शिक्षा सलाहकार (त०)

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

(Department of Education)

New Delhi, the 28th September, 1983

S.O. 3928 —In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Architects Act, 1972 (20 of 1972), the Central Government hereby notifies the names of the members on the Council of Architecture, constituted under section 3 of the said Act, as follows :

(a) Under clause (a) of sub-section (3) of section 3.

Name	Date of election
1. Mr. Madhav Ganesh Deobhakta, C/o M/s. Sane & Paymaster, Prospect Chambers Annexe, Dr. D.N. Road, Fort, Bombay-400001.	24-1-1983
2. Mr. Homi Naushirwan Dallas, 70/B, Gowalia Tank Road, Bombay-400026.	24-1-1983
3. Mr. Arun Kumar Chatterjee, Dy. Director of Technical Education (Admn.), Elphinstone Technical High School Building, Mahapalika Marg, Bombay-400001.	24-1-1983
4. Mr. Ram Fatehchand Kewalramani, A-1/3, Kripa Nagar, Swami Vivekanand Road, Irla, Bombay-400056.	24-1-1983
5. Mr. Raja Shivaji Poredi, "Gold Mist", Plot No. 36, 1st Floor, Carter Road, Bandra, Bombay-400050.	24-1-1983
(b) Under clause (b) of sub-section (3) of section 3.	
6. Prof. B.V. Doshi, Architect, Vastu-Shilpa Foundation for Studies and Research in Environmental Design, "SANGATH" Thaltej Road, Ahmedabad-380054.	2-2-1983
7. Shri A.P. Kanvinde, Architect, Achyut Kanvinde Architect, 14F, Middle Circle, Connaught Place, New Delhi-110001.	2-2-1983
(c) Under clause (c) of sub-section (3) of section 3.	
8. Prof. Satish Anant Tungare, Principal, Sir J.J. College of Architecture, Dr. D.N. Road, Bombay-400001.	20-12-1982
9. Prof. Chandrakant Keshav Gumaste, Principal, Academy of Architecture, Plot No. 278, Shankar Ghanekar Marg, Prabhadevi, Bombay-400025.	20-12-1982

Name	Date of nomination
10. Prof. Vaikunth Radhakrishna Sardesai, Principal, B.K.P.S. College of Architecture, Abhinav Kala Mahavidyalya, Tilak Road, Pune-30.	20-12-1982
11. Dr. Pramod Shankarrao Shinde, Principal, College of Fine Arts & Architecture, J.T.U. Campus, Masab Tank, Hyderabad-400050.	12-3-1983
12. Prof. Dagdoo Savlaram Bhonsale, Principal (Arch.) L.S. Raheja School of Art, St. Martin's Road, Bandra (W), Bombay-400050.	12-3-1983
(d) Under clause (d) of sub-section (3) of section 3.	
13. Shri H.R. Loroya, Chief Architect, Central Public Works Department, Directorate General of Works, Nirman Bhawan, New Delhi.	Ex-officio
14. Shri H.K. Rakhra, Chief Architect, Engineer-in-Chief's Branch, Army Headquarters, Ministry of Defence, New Delhi.	Ex-officio
15. Shri V.K. Punj, Additional Director (Arch.) Head of the Deptt. of Architecture, Ministry of Railways, Research Design & Standards Organisation, Lucknow-226011.	Ex-officio
(e) Under clause (e) of sub-section (3) of section 3	
16. Prof. C.S. Jha, Educational Adviser (Tech.), Ministry of Education & Culture, Shastri Bhawan, New Delhi.	
(f) Under clause (f) of sub-section (3) of section 3.	
17. Shri B.A. Kadia, Chief Architect, Government of Gujarat, 8A, Multistorey Building, Lal Darwaja, Ahmedabad-380001.	14-12-1982
18. Shri V.N. Shagh, Chief Architect, Architecture Department, Government of Haryana, Chandigarh.	27-5-1983
19. Shri Thomas Panicker, Deputy Chief Architect, Public Works Department, Government of Kerala, Trivandrum.	2-5-1983
20. Shri R.T. Sawardekar, Architect to Government, Government of Maharashtra, 25, Murzban Road, Fort, Bombay-400001.	22-4-1983
21. Shri M. Zango, Assistant Architect, Office of the Chief Engineer (PWD), Government of Nagaland, Nagaland, Kohima.	23-5-1983
22. Shri H.N. Manapure, Deputy Chief Architect, Office of the Chief Engineer (R & B), Government of Orissa, Bhubaneswar.	22-3-1983
23. Shri Jeet Malhotra, Chief Architect, Department of Architecture, Government of Punjab, Chandigarh.	16-5-1983
24. Thiru K.R. Subramaniam, Senior Architect, Public Works Department, Government of Tamil Nadu, Fort St. George, Madras-600009.	23-3-1983
25. Shri Arunabha Chakraborty Architect to Government, Public Works Department, Government of Tripura, mgartala.	12-11-1982
26. Shri Anand Prakash Tyagi, Senior Architect, Chief Engineer's Office, Public Works Department, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.	28-5-1983
27. Sri A.K. Majumdar, Chief Govt. Architect & ex-officio Additional Chief Engineer (PWD), Public Works Department, Government of West Bengal, Writers Building, Calcutta.	9-11-1982
28. Mrs. P. Suri, Head of the Department of Architecture, C/o Principal, Women's Polytechnic, Delhi Administration, Maharani Bagh, New Delhi.	22-4-1983
29. Shri C.G. Gomes, Senior Architect, Public Works Department, Government of Goa, Daman & Diu, Altinho, Panaji.	27-5-1983

Name	Date of nomination
30. Shri A.K. Ghosh, Architect, Chief Engineer's Office, Public Works Department, Government of Mizoram, Aizawl.	17-6-1983
31. Shri Kundan Lal, Architect, Public Works Department, Andaman & Nicobar Administration, Port Blair.	29-6-1983
32. Shri Surjit Singh, Chief Architect & Secretary Deptt. of Architecture, Chandigarh Administration, Chandigarh.	24-12-1982
33. Shri N.C. Saikia, Architect, Office of the Chief Engineer (Building), Public Works Department, Government of Assam, Chandmari, Gauhati-3.	5-7-1983
34. Shri B.P. Malhotra, Senior Architect, Public Works Department, Government of Himachal Pradesh, Simla-2	23-7-1983
(g) Under clause (g) of sub-section (3) of section 3.	
35. Shri C.R. Alimchandani, Chairman & Managing Director Stup Consultants Ltd. 1004, 5 and 7, Raheja Chambers, Nariman Point, Bombay-400021.	7-3-1983
36. Shri P.P. Dharwadkar, Flat No. R.34, Tara Apartments, Tara Cooperative Group, Housing Society, Govindpuri Extension, Kalkaji Area, New Delhi-110019.	16-7-1983
(h) Under clause (h) of sub-section (3) of section 3.	
37. Shri J.P. Bajaj, A-294, New Friends Colony, Mathura Road, New Delhi-110065.	5-1-1983

[F. No. 17-16/82-T.13]

M.S. SRINIVASAN, Joint Educational Adviser (Tech.)

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

(नागर विमानन विभाग)

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1983

का० आ० 3929.—भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 (1971 का 43) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एयर इंडिया के अध्यक्ष व प्रबन्ध-निदेशक, श्री रघुराज को भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य नियुक्त करती है। यह नियुक्ति दिनांक 25-4-1980 की अधिसूचना सं० ए. वी. 240-12/1/79-एए द्वारा की गई नियुक्ति के अनुक्रम में है तथा 1-4-1984 तक अथवा उनके पद-त्याग करने तक जो भी पहले हो, है।

[एवी-24012/1/83-एए]

एस. डब्ल्यू. ओक, वित्त नियंत्रक

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

(Department of Civil Aviation)

New Delhi, the 29th September, 1983

S.O. 3929.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the International Airports Authority Act, 1971 (43 of 1971), the Central Government hereby appoints Shri Raghu Raj, Chairman-cum-M.D., Air India as part-time member of the International Airports Authority of India. This appointment is in continuation of the appointment made vide Notification No. AV. 24012/1/79-AA dated 25-4-1980 and is till 1-4-1984 or till he demits office which ever is earlier.

[AV. 24012/1/83-AA]

S. W. OAK, Financial Controller

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(नौवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1983

का०आ० 3930.—केन्द्रीय सरकार व्यापार नौवहन (दर) नियम, 1977 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिकारियों को, अधिसूचना सं० का०आ० 2989 दिनांक 13-10-1981 द्वारा गठित नौवहन दर सलाहकार बोर्ड के सदस्य नियुक्त करती है :—

(1) वित्तीय सलाहकार
नौवहन और परिवहन मंत्रालय —सदस्य

(2) संयुक्त सचिव
कोयला विभाग, ऊर्जा मंत्रालय
—सदस्य

(3) उप नौवहन महानिदेशक
जो नौवहन महानिदेशालय, बम्बई में
तटीय नौवहन प्रभारी है। —सदस्य-सचिव

[एस डब्ल्यू/एम सी एस-5/81-एम एफ]

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Shipping Wing)

New Delhi, the 19th September, 1983

S.O. 3930.—The Central Government hereby appoints the followngi officials as additional members of the Shipping Rates

Advisory Board constituted in pursuance of the powers conferred by Rules 3 of the Merchant Shipping (Rates) Rules, 1977, vide Notification S.O. 2989 dated 13-10-1981—

(1) Financial Adviser : Ministry of Shipping & Transport .. Member

(2) Joint Secretary, Deptt. of Coal, Ministry of Energy ...Member

(3) Dy. Director General of Shipping, incharge of Coastal Shipping in the Office of the Directorate General of Shipping, Bombay ...Member-Secretary

[No. SW/MCS-5/81-MF]

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1983

का० आ०3931—केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड नियम, 1960 के नियम 3 के साथ पठित वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सदस्यों के साथ राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की स्थापना करती है और श्री एम. आर. कृष्णा को उक्त बोर्ड का अध्यक्ष नामित करती है, अर्थात् :—

1. श्री एम. आर. कृष्णा	अध्यक्ष
2. श्री जे. सी. बार्वे, संसद सदस्य 3. श्री दौलत सिंह जी जदेजा, संसद सदस्य 4. श्री गुलाम मोहम्मद खान, संसद सदस्य 5. श्री के. ए. स्वामी, संसद सदस्य	लोक सभा द्वारा निर्वाचित
6. श्री एन. पी. चेंगलराया नायडु, संसद सदस्य 7. श्री दीपेन घोष, संसद सदस्य	राज्य सभा द्वारा निर्वाचित
8. सचिव, नौवहन और परिवहन मंत्रालय, या उसके द्वारा नामजद व्यक्ति जो संयुक्त सचिव स्तर का पद धारण करते हों। 9. सचिव, वाणिज्य मंत्रालय या उनके द्वारा नामजद व्यक्ति जो संयुक्त सचिव स्तर का पद धारण करते हों। 10. नौसेना के उपाध्यक्ष, नौवहन मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय 11. वित्तीय सलाहकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय 12. नौवहन महानिदेशक, बम्बई 13. अध्यक्ष, शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि. बंबई	केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि
14. श्री अनिल सलगांवकर 15. श्रीमती सुमति मोरारजी	जहाज मालिकों के प्रतिनिधि
16. श्री के. ई. सुखिया	मेरीटाइम यूनियन आफ इंडिया
17. डा० लियो बर्न्स 18. श्री असीत मित्र	नाविकों के प्रतिनिधि
19. श्री वी. डी. चौगुले	अखिल भारतीय शिपर्स कांउंसिल
20. श्री जे. एच. दोशी	फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री
21. श्री डी. एम. पारेख	पालपोत उद्योग
22. श्री मालिक मोहिउद्दीन जम्मु और कश्मीर विधानसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष	

[सं० एस डब्ल्यू/एम एस बी०-5/82-एस एल]
टी. सिंगारावेलु, अवर सचिव

New Delhi, the 20th September 1983

S.O.3931.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), read with rule 3 of the National Shipping Board Rules, 1960, the Central Government hereby establishes a National Shipping Board consisting of the following members and nominates Shri M.R. Krishna, to be the Chairman of the said Board, namely :—

1. Shri M.R. Krishna	Chairman
2. Shri J.C. Barve, M.P. 3. Shri Daulatsinhji Jadeja, M.P. 4. Shri Ghulam Mohd. Khan, M.P. 5. Shri K.A. Swami, M.P.	Elected by the Lok Sabha.
6. Shri N.P. Chengalraya Naidu, MP 7. Shri Dipen Ghosh, MP	Elected by the Rajya Sabha.
8. Secretary, Ministry of Shipping & Transport or his nominee not below the level of Joint Secretary. 9. Secretry, Ministry of Commerce, or his nominee not below the level of Joint Secy. 10. Deputy Chief of Naval Staff, Naval Headquarters, Ministry of Defence, 11. Financial Adviser, Ministry of Shipping & Transport. 12. Director General of Shipping, Bombay.	Central Government representatives
13. Chairman, Shipping Corporation of India Ltd., Bombay.	
14. Shri Anil Salgaonkar 15. Smt. Sumati Morarji	Representatives of ship owners
16. Shri K.E. Sukhia,	Maritime Union of India.
17. Dr. Leo Barnes 18. Shri Asit Mitra	Representatives of Seamen.
19. Shri V.D. Chowgule	All India Shippers' Council.
20. Shri J.H. Doshi	Federation of Indian Chambers of Commerce and Industr y.
21. Shri D.M. Parekh	Sailing Vessels Industry.
22. Shri Malik Mohiud-Din, Ex-Speaker of J & K Assembly.	

[No. SW/MSB-5/82.,S-L
T. SINGARAVELU, Under Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1983

का. आ. 3932 :—केन्द्रीय सरकार स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 (1952 का 30) की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि अधिनियम की धारा 6, 7, 8(ख), 8(ग), 8(घ), 10 और 13 के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों, उस प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के जिसके प्रयोग के लिए प्रश्नगत सम्पत्ति का अधिग्रहण किया जाता है, सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव, भारत सरकार द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी ।

[फा. सं. 19011/(2)/74-पालिसी-4]

एम. श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WORKS & HOUSING

New Delhi, the 5th September, 1983

S.O. 3932.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 17 of Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 (30 of 1952), the Central Government hereby directs that the powers exercisable by it under section 6, 7, 8(b), 8(c), 8(d), 10 and 13 of the Act shall be exercisable by Secretary/Additional Secretary/Special Secretary to the Government of India in the administrative Ministry/Department for whose use the property in question is requisitioned.

[F. No. 19011(2)/74-Pol. IV]

M. SRINIVASAN, Jt. Secy.

खेल विभाग

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1983

का. आ. 3933.—आवेदन पर और "खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि नई दिल्ली" के लिए महा समिति की संस्वीकृति पर और धर्मस्वनिधि अधिनियम 1890 (1890 का 6) के खण्ड 5 के उपखण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दिनांक 25 मार्च, 1982 के असाधारण भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में एस०ओ० 166 (ई) के रूप में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 22 मार्च, 1982 के संदर्भ में निर्धारित योजना को निम्नलिखित के रूप में संशोधित करती है, अर्थात:—

1. प्रारम्भिक पैरा 1 और 2 में "शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा विभाग" ये शब्द जब कभी भी पाया जाए तो उनकी जगह पर "खेल विभाग" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. अनुसूची "बी" में,: –

(क) पैरा 3 में,—

(i) मद संख्या (1) म "शिक्षा तथा संस्कृति" शब्दों के स्थान पर "संसदीय कार्य तथा खेल" प्रतिस्थापित किया जाएगा–

(ii) मद संख्या (2), (3) और (12) में "शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय" के शब्द जब कभी पाये जाएं तो "खेल विभाग" प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ख) पैरा 12 के बाद निम्नलिखित पैरे सम्मिलित किए जाएँगे; अर्थात्:—

13. वित्तीय सहायता के लिए पात्रता (1) ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में प्रथम अथवा दूसरा स्थान प्राप्त किया है अथवा जिन्होंने अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो और अथवा उनके आश्रित, जो इस संबंध में, महासमिति द्वारा यथा-निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों, योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के पात्र होंगे। तथापि महा समिति को यह अधिकार होगा कि वे इस योजना के अन्तर्गत किसी भी खिलाड़ी को, जो पूर्णतया पात्रता के नियमों के अन्तर्गत नहीं आता हो तो भी उसे लाभान्वित कर सकती है।

(2) इस योजना के अन्तर्गत एक खिलाड़ी को उसके प्रशिक्षण अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के दौरान घातक रूप में जख्मी हो जाने के मामले में, अधिकतम वित्तीय सहायता 1 लाख रुपये तक सीमित सम्मिलित होगी अन्यथा मामले में 25,000 रुपये तक। इस योजना के अन्तर्गत कम से कम सहायता 2,000 रुपये दी जायेगी।

(3) प्रत्येक मामले में ऐसे उच्च कोटि के खिलाड़ियों को जो अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे हैं, और जो स्थायी रूप से अथवा हमेशा के लिए सेवा के अथवा अन्यथा अयोग्य हो चुके हैं, 500 रुपये प्रतिमाह की दर से पैन्शन दी जाए। यह पैन्शन कितनी समयावधि के लिए उपलब्ध होगी, जिसमें आयुपर्यन्त पैन्शन भी शामिल हैं, प्रत्येक के मामले में महासमिति द्वारा निश्चित की जाएगी। अयोग्य बन गये खिलाड़ियों को छोड़कर, अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे खिलाड़ियों के प्रत्येक मामले में 250 रुपये प्रतिमास तक की पैंशन दी जा सकती है।

अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे उत्कृष्ट खिलाड़ियों के आश्रितों को देय वित्तीय सहायता, प्रत्येक मामले में 5000 रुपये से अधिक नहीं होगी।

(4) महा समिति को इस बात की स्वतन्त्रता होगी कि वह 300 रुपये प्रतिमास के मूल्य के वजीफे के रूप में और सीमित अवधि के लिए विशेष मामलों में वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है ताकि ऐसा उत्कृष्ट खिलाड़ी जिसे रोजगार नहीं है वे अपना दैनिक खर्च जिसमें इसका खाना भी शामिल हैं, जुटाने के योग्य बन सके। समिति को यह भी अधिकार होगा कि वह विशेष मामलों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लेने के लिए, खिलाड़ियों के लिए तदर्थ वित्तीय सहायता की अवधि में वृद्धि कर सके।

14. समिति को आवेदन :— निधि में से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र सचिव-कोषाध्यक्ष को संबोधित किया जाएगा।

15. आवेदन पत्रों पर विचार :—निधि में से वित्तीय सहायता से संबंधित सभी आवेदन पत्रों पर विचार तथा उनका निपटान महा समिति द्वारा किया जाएगा और ऐसी स्थिति में जहां समिति किसी कारणवश कुछ समय के लिए अपनी बैठक नहीं बुला रही हो, तो प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार तथा उनका निपटान एक ऐसी समिति द्वारा जिसमें अध्यक्ष एवं महा समिति के अन्य दो सदस्य जिन्हें महा समिति के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया गया हो, शामिल होंगे, किया जाएगा।

16. अनुदान बन्द करने का अधिकार :—महा समिति का अध्यक्ष, यदि वे ऐसा करना आवश्यक समझें, और ऐसे कारणवश लिखित रूप में रिकार्ड करना चाहे, तो वे कि ही अवितरित अनुदान को रोक सकते हैं, बन्द कर सकते हैं और कम कर सकते हैं चाहे यह इस योजना के अन्तर्गत आवर्ती अथवा/अनावर्ती के रूप में रखे गए हों।

17. सदस्यता की अवधि :—

(1) महा समिति का मनोनीत सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए कार्यभार संभालेगा जब तक कि वे उस अवधि की समाप्ति पर पुन : मनोनीत न हो जाते हैं।

(2) समिति का सदस्य, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है और वे अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे देता है, अथवा वह विक्षिप्त अथवा दिवालिया अथवा नैतिक कदाचार के किसी अपराध के लिए दण्डित हो जाए तो सदस्य नहीं रहेगा।

(3) सदस्यता का त्यागपत्र महा समिति के अध्यक्ष को दिया जाएगा और वह स्वीकृति की तिथि से इसको अथवा त्याग पत्र की तिथि से 30 दिन की समाप्ति पर, जो भी पहले हो ; प्रभावी होगा।

18. महासमिति में रिक्तियां :— महासमिति में रिक्तयां उसी तरीके से भरी जाएगी जैसी महासमिति में मूल गठन के समय भरी गई थी।

19. महासमिति की बैठकें :— निधि के कार्य के लिए समिति की बैठक जब भी आवश्यक समझा जाएगा अक्सर होती रहेगी, लेकिन किसी भी हालत में कम से कम वर्ष में एक बार अवश्य होगी।

20. महासमिति के सचिव-कोषाध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य :—

(क) समिति के सारे रिकार्ड का अभिरक्षक होना ;

(ख) समिति की ओर से शासकीय पत्र-व्यवहार करना ;

(ग) महासमिति की बैठकें बुलाने के लिए सभी नोटिस जारी करना ;

(घ) समिति की सभी बैठकों के कार्यवृत्त रखना ;

(ङ) निधि की सम्पत्ति और निधियों का प्रबन्ध करना ; समिति की ओर से लेखे रखने और सभी ठेकों का निष्पादन करना ; और

(च) समय-समय पर महा समिति द्वारा उन्हें ऐसे सौंपे गए सभी अन्य अधिकार और अन्य कार्य पर कार्यवाई करना।

21. इस निधि की परिसम्पत्तियां :—

(1) इस अधिसूचना की अनुसूची 'क" में दिए गए राशि के ब्यौरे के अतिरिक्त, निधि की परिसम्पत्तियों में केन्द्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों अथवा अन्य वैधानिक निकायों के जो केन्द्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए गए हों, से आवर्ती और अनावर्ती ऐसे सभी अनुदान और अंशदान, और इसके साथ साथ किन्हीं अन्य स्त्रोतों से स्वैच्छिक दान और धर्मस्व, जब कभी भी प्राप्त हुए हों शामिल होंगे।

(2) निधि की सारी परिसम्पत्तियां महासमिति में निहित होगी।

22. निधि का आवटन :—

महासमिति कुल निधि का कुछ हिस्सा अपने निपटान के लिए निर्धारित कर सकती हैं जिसे किसी विशेष वर्ष में इस योजना के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जाएगा।

23. जमा निधि :—

(1) निधि की सारी राशि आरम्भ में भारतीय स्टेट बैंक अथवा इसके किसी सहायक बैंक या भारत सरकार द्वारा इसकी ओर से अनुमोदित किसी अन्य अनुसूचित बैंक में खोले गये निधि के महासिमिति के लेखे में जमा होगी।

(2) समिति को ऐसी निधि जो, निधि के लक्ष्यों के लिए तत्काल प्रयोग करने के लिए अपेक्षित नहीं हैं उसे फिलहाल ऐसी समिति के सचिव-कोषाध्यक्ष द्वारा निर्धारित के अनुसार ट्रस्ट की राशि के रूप में लगाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत के अनुसार लागत के तारीखों में से किसी एक अथवा अधिक में लगाई जाएं।

24. निधि को निकालना :

निधि की समिति के लेखों में से निकाली गई निधि महासमिति द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार नियमित की जाएगी। 1,000 रु० की राशि से कम की ऐसी निकाली गई राशि पर सचिव-कोषाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित चैक अथवा मांग-पत्र (जैसा भी मामला हो) और अन्य मामलों में सचिव-कोषाध्यक्ष और महासमिति द्वारा नामांकित किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षरित से निकाली जाएगी।

25. स्टाफ की नियुक्ति :

(1) महासमिति अपने कार्यों के लिए ऐसे स्टाफ की नियुक्ति कर सकती हैं जिन्हें वह अपेक्षित समझती हों ;

(2) स्टाफ की सेवा शर्तें महासमिति द्वारा निर्धारितर की जाएगी।

26. प्रशासनिक खर्च :

अपने कर्मचारियों तथा स्टाफ के वेतन तथा भत्ते और यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते और सदस्यों के यात्रा-भत्ते और दैनिक भत्ते जैसे महासमिति द्वारा किए गए प्रशासनिक खर्च निधि की धनराशि पर वैध खर्चे होंगे ।

27 सदस्यों और अधिकारियों को पारिश्रमिक :

(1) महा समिति के किसी भी सदस्य को यात्रा और दैनिक भत्ते, जिसकी दरें महा समिति द्वारा ही निर्धारित की जाएं, को छोड़कर, पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा ।

(2) महा समिति के सरकारी सदस्य यात्रा और दैनिक भत्ते अनुमन्य दरों पर उसी स्रोत से लेंगे जहां से वे अपने वेतन पाते हैं ।

(3) निधि के अधिकारी और स्टाफ ऐसे वही पारिश्रमिक यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता, उन पर लागू होने वाले नियमों के अंतर्गत, पायेंगे जिनके वे हकदार हैं ।

28. लेखे और लेखा परीक्षा :

निधि की सारी राशि और सम्पत्ति और आय और व्यय का नियमित रूप से हिसाब रखा जाएगा और उनको एक सनदी लेखापालों मान्य प्राधिकरण द्वारा परीक्षा की जाएगी ।

कि निधि को धन राशि में किया गया खर्च निधि के उद्देश्य के अनुसार सही तरीके से खर्च किया

29. वार्षिक रिपोर्ट : महा निधि के कार्यकरण की वार्षिक के अनुमोदन के बाद, भारत सरकार को पेश की जाएगी ।

[मि०सं० 13-1/81-डेस्क-1(खेल)]

एस०के० चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF SPORTS

New Delhi, the 6th August, 1983

S.O. 3983.—On the application and with the concurrence of the General Committee for "National Welfare Fund for Sportsmen, New Delhi" and in exercise of the powers conferred on it by sub-section (2) of section 5 of the Charitable Endowments Act, 1890 (16 of 1890), the Central Government hereby modifies the scheme settled in terms of the notification published as S.O. 166(E) dated the 22nd March, 1982, in the Gazetted of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 15th March 1982, as follows, namely:—

1. In the opening paras 1 and 2, for the words "Ministry of Education and Culture, Department of Education", wherever they occur, the words "Department of Sports" shall be substituted.

2. In the Schedule 'B':—(a) in para 3,—

(i) in item number (1) for the words "Education and Culture", the words "Parliamentary Affairs and Sports" shall be substituted.

(ii) in item numbers (2), (3) and (12), for the words "Ministry of Education and Culture", wherever they occur, the words "Department of Sports" shall be substituted.

(b) After para 12, the following paras shall be inserted, namely:—

13. Eligibility for financial assistance : (1) The sportsmen who have achieved first or second position in the national championships or who have represented the country in an approved international competition and/or their dependents who fulfill conditions as may be laid down by the General Committee in this behaf, shall be eligible for financial assistance under the Scheme. The General Committee however will have the right to extend the benefit under the scheme to any sportsman not strictly covered under the rules of eligibility.

(2) The maximum financial assistance to a sportsman under the Scheme will be restricted to Rs. 1 lakh in a case of fatal injury during training or participation in an international competition or otherwise to Rs. 25,000 in a case. The minimum assistance provided under the scheme will be Rs. 2,000.

(3) Monthly pension up to Rs. 500 per month in each case may be provided to outstanding sportsmen in indigent circumstances who are permanently or indefinitely incapacitated for service or otherwise. The period for which the pension would be available including life pension will be determined in each case by the General Committee.

Monthly pension up to Rs. 250 per month may be in each case provided to outstading sportsman in indigent circumstances, other than those incapacitated.

The financial assistance payable to the dependents of outstanding sportsmen in indigent circumstances will not exceed Rs. 5,000 in each case.

(4) The General Committee will be at liberty to provide financial assistance in special cases in the form of stipend of the value not exceeding Rs. 300 per month and for a limited period to enable an outstanding sportsman who is not employed to look after his day to day expenses including diet. The Committee will also have the power to extend ad-hoc financial assistance to sportsmen in exceptional cases for participation in the national championships.

14. Applications to Committee.—For financial assistance form the Fund, applications shall be addressed to the Secretary-Treasurer of the Committee.

15. Consideration of application.—All applications for financial assistance from the Fund shall be considered and disposed of by the General Committee and where the Committee is not meeting in near future for any reasons, the applications so received may be considered and disposed of by a Committee consisting of the Chairman and two other members of the General Committee to be nominated by the Chairman of the General Committee.

16. Power to stop grant.—The Chairman of the General Committee, if he thinks it necessary to do so, and for reasons to be recorded in writing, may withhold or terminate or reduce any undispursed grants whether a recurring or a non-recurring nature, made under this Scheme.

17. Duration of Membership.—(1) A nominated member of the General Committee, shall hold office for a period of 3 years unless renominated at the expiry of that period.

(2) A member of the Committee shall cease to be a member if he dies, resigns his membership or becomes of unsound mind or insolvent or is convicted or a criminal offence involving moral turpitude.

(3) Resignation of membership shall be tendered to the Chairman of the General Committee and shall become effective from the date of its acceptance or on the expiry of 30 days after the date of resignation whichever is earlier.

18. Vacancies on the General Committee.—Vacancies on the General Committee shall be filed in the manner in which the General Committee was originally constituted.

19. Meetings of the General Committee.—The Committee shall meet as often as it is necessary to do so for the transaction of the business of the Fund but in any case at least once a year.

20. Powers and Functions of the Secretary-Treasurer of the General Committee.—(a) To be the custodian of all records of the Committee;

(b) To conduct the official correspondence on behalf of the Committee;

(c) To issue all notices for convening the meetings of the General Committee;

(d) To keep minutes of all meetings of the Committee;

(e) To manage the properties and funds of the Fund, to maintain accounts and execute all contracts on behalf of the Committee; and

(f) To exercise all other powers and execute such other functions as may be assigned to him by the General Committee from time to time.

21. Assets of this Funds.—(i) In addition to the money particulars of which are given in Schedule 'A' to this notification, the assets of the Fund shall include all such grants and contributions, recurring and non-recurring from the Central and State Governments, local bodies or any other statotory or non-statutory bodies set up by the Central or State Government as well as the voluntary donations and endowments from any other sources, whenever received.

(ii) All assets of the Fund shall vests in the General Committee.

22. Allocation of Funds.—The General Committee may determine the proportion of the total funds at its disposal which shall be applied for the purpose of this Scheme in a particular year.

23. Deposit of Fund.—(i) All moneys of the Fund shall be credited initially to the account of the General Committee of the Fund to be opened in the State Bank of India or any of its subsidiaries or any other Scheduled Bank approved in this behalf by the Government of India.

(ii) The funds of the Committee that are not required to be used immediately for the objects of the fund, may be invested in any one or more of the modes of investment for the time being authorised by law for the investment of the trust moneys as may be determined by the Secretary-Treasurer of such Committee.

24. Withdrawal of Funds.—Withdrawal of funds from the accounts of the Committee of the Fund shall be regulated in a manner to be determined by the General Committee. Such withdrawals shall be made by cheques or requisitions (as the case may be) signed by the Secretary-Treasurer in the case of amount not exceeding Rs. 1,000 and signed duly by the Secretary-Treasurer and another member of the General Committee to nominated by the Committee in other cases.

25. Appointment of Staff.—(i) The General Committee may appoint such staff as they may consider necessary for the discharge of their functions.

(ii) The terms and conditions of service of the staff may be determined by the General Committee.

26. Administrative Expenses.—Administrative expenses incurred by the General Committee, such as expenditure incurred on salaries and allowances and TA and DA of their officers and staff and TA and DA of the members, shall be a legitimate charge on the funds of the Fund.

27. Remuneration to members and officers.—(1) No remuneration shall be paid to any of the members of the General Committee except travelling and daily allowance at rates to be determined by the General Committee.

(2) Official members of the General Committee will draw travelling and daily allowance at rates admissible to them from the source from which they draw their salaries.

(3) Officers and staff of the Fund may draw such remuneration and TA and DA to which they may be entitled under rules applicable to them.

28. Accounts and Audit.—Regular accounts shall be kept of all moneys and properties and of income and expenditure of the Fund and shall be audited by a firm of Chartered Accountants or any other recognised authorities as may be appointed by the General Committee. The Auditors shall also certify that the expenditure from the funds of the Fund has been correctly incurred in accordance with the objects of the Fund.

29. Annual Report.—An Annual Report on the working of the Fund Shall be prepared by the Secretary Treasurer of the General Committee and shall after approval of the com-approval of the Comment of India.

[No.F.13-1/81-Desk-I(Sports)]
S.K. CHATURVEDI, Jt. Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 29 सितम्बर 1983

का० आ० 3934—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन बन्दोबस्त आयुक्त को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए पुनर्वास विभाग के श्री महेन्द्र कुमार बंसल को बन्दोबस्त आयुक्त नियुक्त करती है।

इसके अधिसूचना संख्या 1 (18) वि. सैं. /82 एस एस 2 (ए) दिनांक 21 सितम्बर, 1982 का अतिक्रमण किया जाता है।

[सं० 1/19/वि. सैल/83-एस. एस-2)]

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 29th September, 1983

S.O. 3934.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Displaced persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoint Shri M. K. Kansal, Settlement Commissioner, Department of Rehabilitation, for the purpose of performing the functions assigned to a Settlement Commissioner by or under the said Act.

2. This supersedes Notification No. 1(18)/Spl. Cell/82-SS II(A) dated 21st September, 1982.

[No. 1(19)/Spl. Cell/83-SS. II]

का० आ० 3935—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा पुनर्वास विभाग के बन्दोबस्त विंग में, बन्दोबस्त आयुक्त, श्री महेन्द्र कुमार कंसल को, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत उप महाभिरक्षक को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए, उप महाभिरक्षक, निष्क्रान्त सम्पत्ति नियुक्त करती है।

[संख्या 1/19/वि. सैल./83-एस एस-2 (सी)]

के. सी. गेहानी, उप सचिव

S.O. 3935.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), the Central Government hereby appoint Shri M. K. Kansal, Settlement Commissioner in the Settlement Wing of department of Rehabilitation as Deputy Custodian General of

Evacuee property for the purpose of performing the functions assigned to such Deputy Custodian General by or under the said Act.

[No. 1(19)/Spl. Cell/83-SS. II(C)]

K. C. GEHANI, Dy. Secy.

(Department of Labour)

New Delhi, the 28th September, 1983

ORDER

S.O. 3936.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Madras Port Clearing and Forwarding Labour (Regulation of Employment) Scheme and their workmen, represented by Madras Port and Dock Workers Congress and Madras Harbour Workers Union, Madras.

And whereas, the said employers and their workmen have by a written agreement under sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration and have forwarded to the Central Government a copy of the said arbitration agreement ;

Now therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement which was received by it on the 25th August, 1983.

AGREEMENT

(Under Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947) signed on 8-8-1983—

BETWEEN

The Madras Port Clearing and Forwarding Labour (Regulation of Employment) Scheme, 1st Floor, Dock Labour Board Buildings, Madras-600001.

Employer

AND

(1) The Madras Harbour Workers Union, Broadway, Madras-600001.

(2) The Madras Port and Dock Workers Congress, Philips Street, Madras-600001. Representing workmen.

1. SPECIFIC MATTER IN DISPUTE

(i) To determine the strength of Casual workers required for the Madras Port Clearing and Forwarding Labour (Regulation of Employment) Scheme taking into consideration the volume of cargo handled and the changes in the method and mode of handling cargo in the Port of Madras.

(ii) Parties to the dispute are :—

(i) Madras Port Clearing and Forwarding Labour (Regulation of Employment) Scheme and

(ii) Clearing and Forwarding Workers represented by :—

(a) Madras Harbour Workers Union ;

(b) Madras Port and Dock Workers Congress ;

(iii) Total No. of workers employed :—
Listed : 685
Casuals : 396

The No. of workers are affected or likely to be affected by the dispute are Casual workers numbering 396.

(iv) We further agree that the decision of the Arbitrator shall be binding on us.

The Arbitrator shall give his decision within a period of 2 months or within such period of time further extended by mutual agreement between us in writing.

We further agree that we will continue to have Shri A. Ranjithamony as Arbitrator to finalise the dispute even if he has not given his decision before his retirement on 31-8-1983.

Sd/- 1. The Madras Port Clearing and Forwarding Labour (Regulation of Employment) Scheme.

Sd/- 2. The Madras Harbour Workers Union.

Sd/- 3. The Madras Port and Dock Workers Congress.

Witnesses :—

Sd/- 1. Shri R. Swakumar.

Sd/- 2. Shri N. J. Tharavanath.

[No. L-33013/1/83-D.IV(A)]

R. K. GUPTA, Desk Officer

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1983

का० आ० 3937.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त, इसके द्वारा पुनर्वास विभाग, बन्दोबस्त खण्ड में बन्दोबस्त आयुक्त श्री महेन्द्र कुमार कंसल को उक्त अधिनियम की धारा 23 तथा 24 के अन्तर्गत अपीलों की सुनवाई तथा इन धाराओं के अधीन पुनरीक्षण हेतु अपनी शक्तियां इस शर्त के साथ सौंपते हैं कि वे इन शक्तियों का प्रयोग किसी ऐसे मामलों में नहीं करेंगे जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत उनके द्वारा अथवा किसी अन्य क्षमता में आदेश दिये गये हों।

2. इसके द्वारा 21 सितम्बर, 1982 की अधिसूचना संख्या 1/18/ वि० सं०/82 एस० एस० II का अतिक्रमण किया जाता है।

[सं० 1/19/वि०सै०/83-एस०एस०-2(डी)]

ए० के० मुखर्जी, मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 30th September, 1983

S.O. 3937.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 34 of the Displaced persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Chief Settlement Commissioner hereby delegates to Shri M. K. Kansal, Settlement Commissioner in the Settlement Wing, Department of Rehabilitation, his powers under Sections 23 and 24 of the said Act for the purpose of hearing appeals and revisions under these Sections subject to the condition that he shall not exercise any of such powers in relation to any matter in which an order has been made by him under Section 22 of the aforesaid Act, or in any other capacity.

2. This supersedes Notification No. 1(18)/Spl. Cell/82-SS.-II(B) dated 21st September, 1982.

[No. 1(19)/Spl. Cell/83-SS.II(D)]

A. K. MUKHERJEE, Chief Settlement Commissioner

(श्रम विभाग)

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1983

का. आ. 3938.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (6) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार

के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1873, तारीख 2 अप्रैल, 1983 द्वारा यूरेनियम उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 20 अप्रैल, 1983 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 20 अक्तूबर, 1983 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[संख्या एस-11017/7/81-डी-1 (ए)]
एस. एच. एस. अय्यर, अवर सचिव

(Department of Labour)

New Delhi, the 26th September, 1983

S.O. 3938.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour No. S.O. 1873 dated the 2nd April, 1983 the Uranium industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months, from the 20th April, 1983 ;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 20th October, 1983.

[No. S-11017/7/81-D.I(A)]
S. H. S. IYER, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983